सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य
एवं
संयुक्त शासन सचिव, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर), राजस्थान, जयपुर

प्रगति प्रतिवेदन

2021-22

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302 005

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य
एवं
संयुक्त शासन सचिव, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर), राजस्थान, जयपुर

प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2021-2022

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302005

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
	भाग– 1 **उद्योग एवं वाणिज्य विभाग : सामान्य परिचय व कार्यों का संक्षिप्त विवरण**	1
1	सामान्य परिचय व कार्यों का संक्षिप्त विवरण	1
2	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार प्रशासनिक व्यवस्था	8
3	कॉरपोरेट एवं सामाजिक दायित्व (सीएसआर)	9
	भाग– 2 **उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के नियमित कार्य एवं सामान्य योजनाएँ**	12
1	**उद्योग पंजीयन संबंधी कार्य**	12
(i)	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के स्थापनार्थ **उद्योग आधार/उद्यम रजिस्ट्रीकरण**	12
(ii)	वृहद उद्योगों के स्थापनार्थ **औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन/पावती (IEM)**	13
(iii)	भागीदारी फर्मों का पंजीयन (भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 एवं राजस्थान भागीदारी नियम, 2017 के अन्तर्गत)	14
(iv)	नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज का पंजीयन (नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज एक्ट, 1960 एवं राजस्थान नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज नियम, 1962 के अन्तर्गत)	14
2	**उद्योगों हेतु प्रक्रिया सरलीकरण**	15
(i)	उद्यम स्थापित करने की प्रक्रियाओं का सरलीकरण	15
(ii)	एकल खिड़की योजना (राजस्थान एन्टरप्राईजेज सिंगल विण्डो एनेबलिंग एण्ड क्लीयरेन्स अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत)	16
(iii)	उद्यमों का विलंबित भुगतान निस्तारण (राजस्थान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद के माध्यम से)	17
3	**उद्योगों हेतु आधारभूत संरचना विकास, सामान्य राजकीय सहायता, प्रोत्साहन, पुरस्कार, प्रदर्शनी व शिविर**	19
(i)	राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019	19
(ii)	क्लस्टर विकास	21
(iii)	एमएसएमई इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेन्टर्स (एमआईएफसी)	22
(iv)	Scheme for Establishment of Integrated CETPs and Up-gradation of Existing CETPs	23
(v)	राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सहायता योजना 2015	23
(vi)	राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2014	24
(vii)	राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019	26

(viii)	राजस्थान सूक्ष्म,लघु व मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेन्ट एण्ड ऑपरेशन) अधिनियम 2019	27
(ix)	राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विपणन (मार्केटिंग) प्रोत्साहन	28
(x)	राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार **(राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस पर)**	29
(xi)	उद्योगों हेतु मेले, प्रदर्शनी व हाट व्यवस्था **(उद्यम प्रोत्साहन संस्थान तथा शहरी एवं ग्रामीण हाट के माध्यम से)**	30
(xii)	औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर	33
(xiii)	विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र (DRM)	33
(xiv)	एमनेस्टी स्कीम, 2021	34
(xv)	भौगोलिक संकेत (जी.आई.)	35
	भाग– 3 **उद्योग एवं वाणिज्य विभाग प्रमुख विशिष्ट योजनाएँ**	36
1	**सामान्य स्वरोजगार योजनाएँ**	36
	(i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	36
	(ii) मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना	39
	(iii) भामाशाह रोजगार सृजन योजना	39
	(iv) मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना	40
2	**हस्तशिल्प एवं संबंधित विकास योजनाएँ**	41
क	राज्य में हस्तशिल्प : वस्तुस्थिति व सम्भावना – विकास, सम्भावना व हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात	41
ख	हस्तशिल्प विकास योजनाएँ	42
	(i) हस्तशिल्पी (आर्टीजन) परिचय पत्र	42
	(ii) शिल्पियों हेतु बाजार सहायता योजना	43
3	**हाथकरघा (Handloom) विकास योजनाएँ**	43
क	हाथकरघा उद्योग : वस्तुस्थिति व सम्भावना	43
ख	हाथकरघा उद्योग से सम्बन्धित योजनाएँ	45
	(i) उत्पाद विविधीकरण योजना	45
	(ii) बुनकर पुरस्कार योजना	46
	(iii) बुनकर के पंजीयन हेतु ऑनलाईन पोर्टल	46

4	**कपड़ा (TEXTILE) उद्योग व उससे सम्बन्धित योजनाएँ**	47
क	कपड़ा उद्योग : वस्तुस्थिति व सम्भावना	47
ख	कपड़ा उद्योग से सम्बन्धित योजनाएँ	47
	(i) एकीकृत प्रोसेसिंग विकास योजना	47
	(ii) टैक्सटाईल पार्क योजना	48
5	**चर्म उद्योग व उससे सम्बन्धित योजनाएँ**	49
क	चर्म उद्योग : वस्तुस्थिति व सम्भावना	49
ख	चर्म उद्योग से सम्बन्धित योजनाएँ	50
	(i) चर्म प्रशिक्षण	50
	(ii) राजस्थान चर्म शिल्प विकास एवं आधुनिकीकरण योजना, 2012	51
6	**नमक उद्योग व उससे सम्बन्धित योजनाएँ**	52
	लवण उद्योग : वस्तुस्थिति व सम्भावना– लवण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विवरण, लवण क्षेत्रों में सर्वेक्षण एवं सीमांकन	52
7	**निर्यात**	54
क	**निर्यात : वस्तुस्थिति –** राज्य से किये जा रहे निर्यात, सेक्टर वाईज निर्यात वर्ष 2020–21	55
ख	**निर्यात से सम्बन्धित योजनाएँ**	57
	(i) अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर सहायता योजना	57
	(ii) निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	57
	(iii) राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना	58
	(iv) मिशन निर्यातक बनों	66
	(v) राजस्थान निर्यात संवर्द्धन समन्वय परिषद् (REPCC)	66
	(vi) राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद् (REPC)	66
	(vii) जिला स्तरीय निर्यात संवर्द्धन परिषद् (DLEPC)	67
	(viii) एक जिला एक उत्पाद योजना (ODOP SCHEME)	67
8	**अल्पसंख्यक कल्याण योजना (15 सूत्रीय कार्यक्रम)**	70
9	**उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से संबंधित अन्य प्रमुख संस्थान**	70
	(i) राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान (NIFT)	70
	(ii) सिरेमिक इलेक्ट्रीकल रिसर्च एण्ड डवलपमेंट सेंटर (CERDC)	70
	(iii) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (CIPET)	72
	(iv) ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, जोधपुर	73

10	**उद्योग विभाग से संबंधित अन्य कार्य**	74
	ऋण / ब्याज वसूली / अपलेखन	74
	भाग– 4 **परिशिष्ट**	75
1.	परिशिष्ट–1 स्वीकृत पदों का विवरण	75
2.	परिशिष्ट–2 बजट (वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22)	78
3.	परिशिष्ट –3 विभागीय योजनाओं की प्रगति (वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21एवं 2021–22)	79
4.	परिशिष्ट –4 प्रमुख कार्यक्रमों में जिला उद्योग केन्द्रवार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ (वर्ष 2018–19)	80
5.	परिशिष्ट –5 प्रमुख कार्यक्रमों में जिला उद्योग केन्द्रवार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ (वर्ष 2019–20)	81
6.	परिशिष्ट –6 प्रमुख कार्यक्रमों में जिला उद्योग केन्द्रवार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ (वर्ष 2020–21)	82
7.	परिशिष्ट–7 प्रमुख कार्यक्रमों में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रवार लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ (वर्ष 2021–22 ––माह दिसम्बर, 2021 तक)	83
8.	परिशिष्ट–8 दो अंकीय कोड वार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई उद्योग) (2007–08 से 2019–20 तक)	84
9.	परिशिष्ट–9 वृहद् एवं मध्यम उद्योगों की जिलेवार तालिका	88
10.	परिशिष्ट–10 उद्योग विभाग मुख्यालयों के अधिकारियों की सूची	90
11.	परिशिष्ट–11 जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों के नाम एवं स्थान की सूची	92

आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान

प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2021–2022
(दिसम्बर, 2021 तक)

भाग–1

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग : सामान्य परिचय व कार्यों का संक्षिप्त विवरण

(1) सामान्य परिचय व कार्यों का संक्षिप्त विवरण

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। किसी भी राज्य के आर्थिक विकास में अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रों कृषि, उद्योग एवं सेवा में से उद्योग क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य के औद्योगिक वातावरण का विकास स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग, परम्परागत दस्तकारों के कौशल, उत्पादकता में सुधार, बुनियादी ढाँचे के लिए समुचित प्रावधान, राज्य में उद्यमियों को निवेश हेतु आकर्षित करना, दीर्घकालीन राजकोषीय एवं निवेश प्रोत्साहन नीति के साथ उद्योगों को वित्तीय सहायता पर निर्भर है। तीव्र औद्योगीकरण के लिए राज्य में आधारभूत संरचना के साथ राज्य सरकार की सहायता, सहयोग एवं मार्गदर्शन की महत्ती आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के दृष्टिगत राज्य में उद्योग, हस्तशिल्प, हाथकरघा तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों के द्रुतगति से विकास करने, मार्गदर्शन, आवश्यक सहायता एवं सुविधाएँ प्रदान करने हेतु राज्य स्तर पर कार्यालय आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा जिला स्तर पर जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र कार्यरत है।

आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा मुख्य रुप से राज्य में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को प्रोत्साहन, इनके उत्पादों के विपणन में सहायता, क्लस्टर विकास, नमक क्षेत्रों का विकास, हस्तशिल्पियों कारीगरों व दस्तकारों का विकास, हथकरघा विकास आदि कार्य किये जाते है। राजस्थान को इको सिस्टम के साथ भारत में सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभारने हेतु समावेशी, संतुलित, सतत् एवं पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास करने, आधारभूत ढांचा सृजित करने, रोजगार के अवसर सृजित करने, संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से **राजस्थान औद्योगिक विकास नीति, 2019** दिनांक 19.12.2019 को जारी की गई है। राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा **राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019** दिनांक 17.12.2019 से लागू की गई है।

राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के विलम्बित भुगतान के प्रकरणों में सुनवाई कर, उनका समयबद्व निस्तारण हेतु दिनांक 08.08.2019 को **4 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों** का गठन किया गया। दिनांक 25.09.2020 को राज्य में पूर्व में कार्यरत 4 सुविधा परिषदों के स्थान पर 2 राज्य

स्तरीय एवं 7 संभाग स्तरीय सुविधा परिषदों का गठन किया गया तथा उक्त 9 सुविधा परिषदों के कार्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मुख्यालय पर राजस्थान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद्– सचिवालय का गठन किया गया।

राज्य में निर्यात प्रोत्साहन हेतु ''**राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद**'' का गठन दिनांक 08.11.2019 एवं ''**राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद**'' का गठन दिनांक 25.10.2019 को किया गया है।

विभाग द्वारा प्रधानमं़त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत नवीन उद्यम (सेवा एवं विनिर्माण क्षेत्र हेतु) स्थापनार्थ बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण पर नियमानुसार मार्जिनमनी राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (दिनांक 13.12.2019 से लागू) अन्तर्गत व्यापार, सेवा एवं विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना, विविधीकरण एवं विस्तार हेतु नियमानुसार वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदत्त ऋण पर प्रभारित ब्याज पर 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान उपलब्ध कराया जाता है।

इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा स्वरोजगार हेतु क्षमता में वृद्वि के लिए तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने, परम्परागत हस्तशिल्प, दस्तकारी, शिल्पकारी एवं हाथकरघा आदि हुनरों को जीवन्त रखकर प्रोत्साहित करने तथा इनमें आधुनिकता के सम्मिश्रण हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं सहायता उपलब्ध कराने का कार्य भी किया जा रहा है।

राज्य में कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के प्रावधानों को समुचित रूप से कियान्वित करने, इसमें समन्वय कर समुचित सहयोग प्राप्त करने, विभिन्न औद्योगिक समूहों से समन्वय स्थापित कर उनसे आवश्यक सुझाव प्राप्त करने, उन्हें नवीन प्रावधानों के सम्बन्ध में यथोचित मार्गदर्शन प्रदान करने एवं प्राप्त राशि से समुचित आधारभूत सुविधाओं का सृजन एवं विकास करने के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.11.2019 द्वारा **राजस्थान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्राधिकरण** का गठन किया गया है।

नवीन सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों की सरल स्थापना हेतु उद्यमों को प्रारम्भिक 3 वर्षों में राज्य के विभिन्न एक्ट्स के अधीन दी जाने वाली स्वीकृतियों एवं सम्बन्धित निरीक्षणों से मुक्त करने हेतु **राजस्थान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेन्ट एण्ड ऑपरेशन) अध्यादेश, 2019** दिनांक 04.03.2019 को तथा अधिनियम के रूप में दिनांक 17.07.2019 को अधिसूचित किया गया है।

इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग राज्य में भागीदारी फर्मों के पंजीयन हेतु रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का कार्य भी सम्पादित करता है। सभी महाप्रबन्धक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र सहायक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज एक्ट, 1960 एवं राजस्थान नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज नियम, 1962 के अन्तर्गत नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज का पंजीयन का कार्य भी किया जाता है।

राज्य में दिनांक 18.09.2015 से उद्यमिता ज्ञापनों की जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र द्वारा जारी की जाने वाली अभिस्वीकृतियों के स्थान पर भारत सरकार द्वारा उद्योग आधार अभिज्ञापन जारी करने की व्यवस्था ऑनलाइन की गई है। उद्योग आधार अभिज्ञापन के स्थान पर दिनांक 01.07.2020 से एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उद्यम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है।

विभाग द्वारा राज्य में न केवल रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए नये उद्यमियों को उद्योग स्थापना हेतु मुख्यालय एवं जिला स्तर पर स्थापित औद्योगिक मार्गदर्शन ब्यूरो के माध्यम से सभी प्रकार का मार्गदर्शन एवं परामर्श दिया जाता है, बल्कि अन्य विभागों से समन्वय कर अनापत्ति/सहमति की सुविधा भी उपलब्ध करवायी जा रही है। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों के माध्यम से उद्यमियों को राज्य में नये उद्योग स्थापित करने हेतु मार्गदर्शन, सहायता एवं सुविधाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है।

वर्तमान में राज्य में 36 जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र एवं 8 उपकेन्द्र ब्यावर, फालना, आबूरोड, बालोतरा, मकराना, किशनगढ़, नीमराना एवं सुजानगढ़ कार्यरत हैं।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के प्रमुख कार्य

क्र.सं.	प्रमुख कार्य
1.	राज्य में उद्योग संवर्द्धन में नोडल विभाग की भूमिका निभाना।
2.	राज्य के औद्योगिक वातावरण का विकास, स्थानीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग, परम्परागत दस्तकारों के कौशल, उत्पादकता में सुधार, बुनियादी ढॉचे के लिए समुचित प्रावधान हेतु आवश्यक कार्यवाही करना एवं नीति बनाना।
3.	राज्य में उद्यमियों को निवेश हेतु आकर्षित करने के लिए दीर्घकालीन राजकोषीय एवं निवेश प्रोत्साहन नीति निर्माण में सहयोग करना।
4.	उद्यमिता एंव रोजगार हेतु विभिन्न राजकीय योजनाओं का संचालन करना।
5.	हस्तशिल्प, हाथकरघा तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्यमों का विकास करना।
6.	हस्तशिल्पियों, कारीगरों व दस्तकारों की समस्याओं का निवारण करते हुए उनका विकास करना।
7.	इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग राज्य में भागीदारी फर्मों के पंजीयन हेतु रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स का कार्य सम्पादित करना। नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज एक्ट, 1960 एवं राजस्थान नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज नियम, 1962 के अन्तर्गत नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज का पंजीयन करना।
8.	उत्पादों के विपणन में सहायता करना, इस हेतु मेला, शिविर, संगोष्ठी, सेमिनार कार्यशाला आदि का आयोजन करना।
9.	औद्योगीकरण के लिए राज्य में आधारभूत संरचना के विकास में सहयोग प्रदान करना, उद्योगों के लिए उनके समुचित क्लस्टर विकास हेतु कार्यवाही करना।
10.	उद्योगों से संबंधित समस्याओं और औद्योगीकरण में आने वाली बाधाओं के निराकरण में समन्वयकारी भूमिका निभाना।

राज्य में वृहद एवं मध्यम उद्योगों की वर्तमान स्थिति (अनुमानित स्थिति 31.03.2021 तक)

क.सं.	उद्योग की श्रेणी	संख्या	निवेश राशि (करोड़ रू.)	रोजगार की संख्या
1.	वृहद उद्योग	**277**	**147983.56**	**167694**
2.	मध्यम उद्योग	**273**	**5231.31**	**52555**
	योग	**550**	**153214.87**	**220249**

नोटः— राज्य में 30.06.2020 तक कुल लगभग 9.50 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम ईएम (पार्ट—।।)/ उद्योग आधार मेमोरेण्डम (UAM) के अधीन पंजीकृत हैं, जिनमें लगभग 91169.67 करोड़ रू. से अधिक की राशि का निवेश हो चुका है और 44.50 लाख से अधिक लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है।

दिनांक 30.06.2020 से भारत सरकार द्वारा **UAM Portal** बन्द कर उसके स्थान पर दिनांक 01.07.2020 से "उद्यम रजिस्ट्रीकरण" नया **Portal** शुरू किया गया है। उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल पर पूर्व में **UAM Portal** पर पंजीकृत उद्यमियों को पुनः उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल पर **online** रजिस्ट्रीकरण करने की सुविधा दी गई है।

जुलाई, 2020 से दिसम्बर, 2021 तक 4,01,079 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के उद्यम रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इन उद्यमों में 29419.19 करोड़ रूपये का निवेश एवं 24,57,062 व्यक्तियों को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है।

उद्योग स्थापना व संचालन से जुड़े विभिन्न चरण व उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के कार्य

वस्तुतः उद्योग स्थापना से लेकर उसके संचालन तक अनेक चरणों में अनेक स्तरों पर सहयोग एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ सकती है, जिनका सामान्य विवरण निम्नानुसार हैः—

क.सं.	कार्य	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के कार्य
1.	उद्योग का पंजीयन	इसमें सूक्ष्म, लधु एवं मध्यम उद्यमों को उद्यम रजिस्ट्रेशन ऑनलाईन जारी करने का प्रावधान है। साथ ही **इंडियन पार्टनरशिप एक्ट** एवं **नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज एक्ट** में भी पंजीयन किया जाता है।
2.	उद्योग हेतु भूमि आवंटन	यह कार्य मुख्यतः रीको क्षेत्र में रीको द्वारा किया जाता है। अन्य क्षेत्र में भूमि आरक्षित होने पर उस क्षेत्र में भू—खण्ड आवंटन जिला कलक्टर/आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा किया जाता है।
3.	उद्योग हेतु ऋण वितरण	इसमें रोजगार सृजन व उद्योग संचालन हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई जाती है। इसमें विभिन्न प्रकार के अनुदान व सहायता दी जाती है।
4.	उद्योग हेतु प्रशिक्षण	इसमें मुख्यतः हस्तशिल्प/हाथकरघा, चर्म उद्योग आदि के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते है।
5.	उद्योग हेतु विपणन	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इसके लिए उद्योग प्रोत्साहन संस्थान के माध्यम से विभिन्न मेले व प्रदर्शनियां आयोजित करता है। अर्न्तराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राउंड रेन्ट सब्सिडी दी जाती है।

उद्योग को प्रारम्भ करने के लिए उद्योग के पंजीयन/रजिस्ट्रेशन अथवा ज्ञापन आदि प्राप्त करने से सम्बन्धित महत्वपूर्ण नियम/अधिनियम व प्रावधान

सामान्य तौर पर किसी उद्योग को प्रारम्भ करने के लिए उद्योग के पंजीयन/रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती, किन्तु उसमें नियोजित होने वाले श्रमिकों, प्रयुक्त होने वाली मशीनरी एवं उत्सर्जित होने वाले प्रदूषण के नियन्त्रण के लिए विभिन्न विभागों के अन्तर्गत संबंधित नियम/अधिनियम पंजीयन कराने अथवा अनापत्ति/प्रमाणपत्र का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त किसी उद्योग के संचालन हेतु अनेक विभागों की सेवाओं या सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें उनके द्वारा यथा अपेक्षित उद्योग के पंजीयन क्रमांक की मांग की जाती है। ऐसी स्थिति में सुविधा हेतु कोई उद्यमी उद्योग का पंजीयन अपने अनुरूप नियम या अधिनियम के अन्तर्गत करा सकता है। भारत सरकार की वेबसाइट https://udyogaadhaar.gov.in/ पर जा कर कोई अपने लघु, सूक्ष्म या मध्यम उद्योग के लिए **उद्योग आधार ज्ञापन** (UAM) प्रस्तुत कर, तत्काल निःशुल्क **उद्योग आधार** प्राप्त कर सकता था। एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.07.2020 से उद्यम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है। ईएम (पार्ट–।।)/ उद्योग आधार मेमोरेण्डम (UAM) के अधीन पंजीकृत सभी विद्यमान उद्यम 01.07.2020 को या उसके पश्चात उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल पर फिर से रजिस्ट्रीकरण करेंगे तथा 30 जून, 2020 से पहले पंजीकृत विद्यमान उद्यम केवल 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए विधिमान्य थे।

उद्यम रजिस्ट्रीकरण की नवीन व्यवस्था पूर्णतः ऑनलाईन है, जिसके तहत रजिस्ट्रेशन हेतु ऑनलाईन पोर्टल https://udyamregistration.gov.in/ पर आवेदन प्रस्तुत करना होता है। इसी प्रकार भारत सरकार की वेबसाइट https://services.dipp.gov.in/lms/iemServices पर जा कर कुछ विहित औपचारिकताओं की पूर्ति कर कोई अपने वृहद उद्योग के लिए **औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन** (IEM) प्रस्तुत कर पावती की सूचना (Acknowledgement) प्राप्त कर सकता है।

वर्तमान में कोई उद्यमी अपनी आवश्यकता के अनुरूप अनेक विभागों में अथवा अनेक अधिनियमों के अन्तर्गत उद्यम के पंजीयन/प्रमाण पत्र/अनापत्ति के संबंध में कार्यवाही करता है, जिनमें कुछ प्रावधानों की सूची निम्नानुसार हैः–

S.No.	Acts	Department
1.	Companies Act 2013	Registrar of Companies
2.	Partnership Act 1932	Industries Department
3.	Rajasthan Partnership Rules 2017	Industries Department
4.	Non- Trading Companies Act 1960	Industries Department
5.	Rajasthan Non-Trading Companies Rules 1962	Industries Department
6.	Rajasthan Shops and Commercial Establishments Act 1958	Labour Department

7.	Factories Act 1948 & Boilers Act 1923	Factories & Boilers Department
8.	Indian Trust Act 1920	Registration & Stamps Department
9.	Rajasthan Public Trust Act 1959	Devasthan Department
10.	Rajasthan Public Trust Rules 1962	Devasthan Department
11.	Societies Registration Act 1860	Co-operative Department
12.	The Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981	Pollution Control Board
13.	The Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974	Pollution Control Board
14.	The Environment (Protection) Act 1986	Pollution Control Board

उक्त सूची केवल सुलभ संदर्भाथ है। इनमें नियमों एवं प्रावधानों में समयानुसार परिवर्तन होते रहते हैं,जो तदनुरूप देखे जा सकते है।

विभाग द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास हेतु विभिन्न योजनाएँ/कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है,जिनका विवरण अग्रलिखित है :–

क्र.सं.	**योजना का नाम व विवरण**	*टिप्पणी*
(क)	**उद्योग पंजीयन संबंधी कार्य**	
1.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के स्थापनार्थ **उद्यम रजिस्ट्रीकरण** जारी करना	भारत सरकार
2.	वृहद उद्योगों की स्थापनार्थ **औद्योगिक उद्यमिता पावती** (IEM) जारी करना	भारत सरकार
3.	भागीदारी फर्मों का पंजीयन	राज्य सरकार
4.	नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज एक्ट, 1960 एवं राजस्थान नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज नियम, 1962 के अन्तर्गत नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज का पंजीयन	राज्य सरकार
(ख)	**उद्योगों को सामान्य राजकीय सहायता, प्रोत्साहन व पुरस्कार**	
5.	राजस्थान सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम सहायता योजना 2015	राज्य सरकार
6.	राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2014	राज्य सरकार
7.	राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019	राज्य सरकार
8.	राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विपणन (मार्केटिंग) प्रोत्साहन	राज्य सरकार
9.	राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार	राज्य सरकार
10.	एमनेस्टी स्कीम, 2021	राज्य सरकार
(ग)	**सामान्य स्वरोजगार योजनाएँ**	

11.	(I) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	भारत सरकार
12.	(II) भामाशाह रोजगार सृजन योजना	राज्य सरकार
13.	(III) मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना	राज्य सरकार
(घ)	**हस्त शिल्प विकास योजनाएँ**	
14.	(I) आर्टीजन परिचय पत्र	राज्य सरकार
15.	(II) ब्याज अनुदान योजना	राज्य सरकार
16.	(III) शिल्पियों हेतु बाजार सहायता योजना	राज्य सरकार
(ड़)	**हाथकरघा विकास योजनाएँ**	
17.	(I) उत्पाद विविधीकरण योजना	राज्य सरकार
18.	(II) बुनकर पुरस्कार योजना	राज्य सरकार
(च)	**कपड़ा (TEXTILE) उद्योग से सम्बन्धित योजनाएँ**	
19.	(I) एकीकृत कौशल विकास योजना	भारत सरकार
20.	(II) एकीकृत प्रोसेसिंग विकास योजना	भारत सरकार
(छ)	**चर्म उद्योग सम्बन्धी योजनाऍ**	
21.	(I) चर्म प्रशिक्षण	राज्य सरकार
22.	(II) राजस्थान चर्म शिल्प विकास एवं आधुनिकीकरण योजना, 2012	राज्य सरकार
(ज)	**नमक उद्योग से सम्बन्धित योजनाऍ**	
23.	(I) लवण श्रमिक कल्याण योजना	राज्य सरकार
(झ)	**निर्यात सम्बन्धी योजनाऍ**	
24.	(I) अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों में भाग लेने पर सहायता योजना	राज्य सरकार
25.	(II) निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	राज्य सरकार
26.	(III) राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना	राज्य सरकार
27.	(iv) एक जिला एक उत्पाद योजना	भारत सरकार
28.	(v) मिशन निर्यातक बनों	राज्य सरकार
29.	**अल्पसंख्यक कल्याण योजना (15 सूत्रीय कार्यक्रम)**	राज्य सरकार

(2) उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार–प्रशासनिक व्यवस्था

राज्य स्तर पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था निम्नानुसार हैः–

माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री

↓

प्रमुख शासन सचिव, उद्योग, वाणिज्य एवं एमएसएमई			
(ग्रुप–1)		(ग्रुप–2)	
संयुक्त शासन सचिव	सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	सहायक शासन सचिव

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से संबंधित विभाग, निगम एवं बोर्ड

ग्रुप–1	ग्रुप–2
• आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य • राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (रीको) • निवेश संवर्धन ब्यूरो • राजस्थान वित्त निगम • दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रियल कोरिडोर • राजस्थान फाउण्डेशन	• आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य • राजस्थान लघु उद्योग निगम • राजस्थान गैर कृषि ग्रामीण विकास अभिकरण (रूडा) • राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड • राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ • राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम • उद्यम प्रोत्साहन संस्थान • शिल्प एवं माटी कला बोर्ड

राज्य सरकार के स्तर पर आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य के कार्यों का विभाजन

ग्रुप–1	ग्रुप–2	
1. आधारभूत सुविधाएं एवं विकास (भू–आवंटन सहित) 2. निर्यात संवर्द्धन 3. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) 4. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) 5. राजस्थान औद्योगिक विकास नीति– 2019	1. संस्थापन संबंधी कार्य 2. रजिस्ट्रार ऑफ फर्म संबंधी कार्य 3. रोजगार सृजन संबंधी योजनाएं (प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम / भामाशाह रोजगार सृजन योजना/मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना–2019) 4. टेक्सटाईल, हाथकरघा विकास, हस्तकला विकास,	9. औद्योगिक सलाहकार समिति संबंधी कार्य (राज्य स्तर) 10. उद्यम सम्बन्धी अन्य नीतियां व योजनाएं • सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2015 (एम. एस.एम.ई. पॉलिसी–2015) • सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास

6. सूक्ष्म,लघु और मध्यम (स्थापना एवं प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम 2019	चर्म उद्योग, नमक उद्योग सम्बन्धी योजनाएं 5. राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम 6. उद्योग मेला/प्रदर्शनी 7. राजस्थान क्राफ्ट कॉउन्सिल 8. उद्यम निवेश सुविधा केंद्र (एम.आई.एफ.सी.)	अधिनियम–2006 • सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) सहायता योजना–2015 • शिकायत एवं विवाद निवारण तंत्र (DRM)

(3) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

पात्रता एवं प्रावधानः

- भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार ऐसी कम्पनी जिसकी वार्षिक आधार पर Networth 500 करोड़ या अधिक अथवा Turnover 1000 करोड़ या अधिक अथवा Net Profit 5 करोड़ या अधिक हो, ऐसी कम्पनियों को CSR के तहत् उनके विगत 3 वर्षो में अर्जित शुद्ध लाभ के औसत का 2 प्रतिशत उनकी सीएसआर कमेटी में लिये गये निर्णयानुसार शेड्यूल–VII में उल्लेखित गतिविधियों में व्यय किये जाने का प्रावधान हैं।
- भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर कम्पनीज केवल रजिस्ट्रॅार ऑफ कम्पनीज, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित हैं तथा कम्पनियों द्वारा व्यय की जाने वाली सीएसआर राशि की मॉनिटरिंग करने का राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त नही हैं।
- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27.02.2014 द्वारा कम्पनी (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार कम्पनियों द्वारा सीएसआर समिति गठित की जाती है एवं उक्त सीएसआर समिति में लिये गये निर्णयों के अनुसार ही सीएसआर कम्पनियों द्वारा सीएसआर राशि का व्यय किया जाता है।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के संबंध में राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयास

राज्य सरकार द्वारा राज्य में सी.एस.आर. के अन्तर्गत निवेश किये जा रहे फण्ड्स के सही उपयोग हेतु सर्वप्रथम दिनांक 24.12.2014 को शासन सचिव सी.एस.आर. के पद का अतिरिक्त कार्यभार आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को सौंपा गया।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा अद्वितीय एवं परस्पर संवादात्मक राजस्थान सीएसआर वेब पोर्टल (www.csr.rajasthan.gov.in) विकसित किया गया है। यह पोर्टल राज्य में संचालित सीएसआर कम्पनियों, सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों की पहचान करने तथा सूचीबद्ध करने हेतु डिजाईन किया गया है। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सीएसआर नीति नियम, 2014 के

तहत् पोर्टल सीएसआर वित्त पोषण के लिये परियोजनाओं/कार्यक्रमों तथा क्रियान्वयन एजेन्सियों की पहचान करने एवं उन्हें सुविधा प्रदान करने में मदद करता हैं। कम्पनियां सीधे ही क्रियान्वयन एजेंसी को उनकी सीएसआर परियोजना क्रियान्वित करने हेतु सिफारिश कर सकती है।

उक्त पोर्टल की वर्तमान वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैं :

कॉरपोरेट उपयोगकर्ता – 122

सरकारी उपयोगकर्ता – 22

क्रियान्वयन एजेन्सीज – 261

सर्विस प्रोवाईडर– 48

राज्य में कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के प्रावधानों को समुचित रूप से क्रियान्वित करने, इसमें समन्वय कर समुचित सहयोग प्राप्त करने, विभिन्न औद्योगिक समूहों से समन्वय स्थापित कर उनसे आवश्यक सुझाव प्राप्त करने, उन्हें नवीन प्रावधानों के संबंध में यथोचित मार्गदर्शन प्रदान करने एवं प्राप्त राशि से समुचित आधारभूत सुविधाओं का सृजन एवं विकास करने के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.11.2019 द्वारा **राजस्थान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) प्राधिकरण** का गठन किया गया है।

सीएसआर प्राधिकरण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय 19 सदस्यीय परामर्शदात्री मण्डल और मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय प्राधिकरण तथा आयुक्त, उद्योग एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सीएसआर की मुख्यकार्यकारित्व में 6 सदस्यीय अधिशाषी समिति का गठन किया गया है। सीएसआर प्राधिकरण हेतु गठित परामर्शदात्री मण्डल एवं प्राधिकरण के सदस्यों में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 4–4 उद्योग जगत के उद्यमी/प्रतिनिधि भी होंगे तथा इनका कार्यकाल 3 वर्ष होगा।

सीएसआर प्राधिकरण राज्य में विभिन्न औद्योगिक समूहों से समन्वय स्थापित करते हुये उन्हें भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत् कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के प्रावधानों व गतिविधियों के संबंध में मार्गदर्शन देने के साथ ही परस्पर समन्वय स्थापित करते हुये सीएसआर गतिविधियों का संचालन करेगा। राज्य में प्राधिकरण स्तर पर सीएसआर कोष स्थापित किया जायेगा और इस कोष में उपलब्ध राशि से प्रदेश में राज्य की प्राथमिकताओं के अनुसार आधारभूत सुविधाओं का सृजन और संवर्द्धन किया जायेगा। इसके लिये औद्योगिक समूहों से भी सुझाव लिये जायेंगे। उक्त प्राधिकरण के माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में गठित परामर्शदात्री मंडल की प्रथम बैठक दिनांक 05.04.2021 को आयोजित की जा चुकी है।

राज्य में संचालित 151 सीएसआर कम्पनियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार उनके द्वारा वर्ष 2018–19 में 517.82 करोड़ रूपयें तथा वर्ष 2019–20 में 574.44 करोड़ रूपयें सीएसआर के तहत् व्यय किये गये हैं।

दिनांक 04.06.2019 को जयपुर मैरियट होटल, जयपुर में **तृतीय राजस्थान सीएसआर समिट–2019 का आयोजन एनजीओ बॉक्स के संयुक्त तत्वावधान** में किया गया जिसमें सीएसआर के 11 क्षेत्रों में श्रेष्ठ कार्य करने वाली **कुल 9 कम्पनियों एवं 8 कियान्वयन एजेन्सीज को अवार्ड दिये गये तथा राजस्थान सीएसआर रिपोर्ट–2019 का विमोचन** किया गया।

दिनांक 06.02.2018 को होटल द ललित, जयपुर में द्वितीय राजस्थान सीएसआर समिट–2018 का आयोजन एनजीओ बॉक्स के साथ कॉरपोरेट्स के सहयोग से किया गया जिसमें सीएसआर के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाली कुल 7 कम्पनियों एवं 5 क्रियान्वयन एजेंसीज को अवार्ड दिये गये तथा राजस्थान सीएसआर रिपोर्ट–2018 का विमोचन किया गया।

दिनांक 07.03.2017 को एस.एम.एस. कन्वेंशन सेंटर, रामबाग पैलेस, जयपुर में प्रथम राजस्थान सीएसआर समिट–2017 का आयोजन अन्तरा फाउण्डेशन के साथ कॉरपोरेट्स के सहयोग से किया गया जिसमें सीएसआर के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाली कुल 14 कम्पनियों एवं 3 क्रियान्वयन एजेन्सीज को राजस्थान सीएसआर एक्सीलेंसी अवार्ड प्रदान किये गये तथा राजस्थान सीएसआर एक दृष्टि में पुस्तक का विमोचन किया गया।

आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग एवं शासन सचिव, सीएसआर के स्तर से 22 प्रमुख विभागों के पदाधिकारियों को राजस्थान सीएसआर वेब–पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर उनके प्रोजेक्टस/प्रोग्राम्स को अपलोड/अपडेट किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

प्रमुख सीएसआर एमओयू

- बारां जिलें की 44 ग्राम पंचायतों में संचालित 106 आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं शाहबाद, किशनगंज ब्लॉक में संचालित 60 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नवीनीकरण हेतु पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि., ग्रामीण विकास ट्रस्ट (कार्यकारी एजेन्सी) तथा जिला कलक्टर, बारां के मध्य सीएसआर के तहत् रूपयें 9.00 करोड़ का त्रिपक्षीय अनुबंध दिनांक 10.06.2019 को हस्ताक्षरित किया गया।
- सीएसआर वेब पोर्टल के संचालन हेतु आयुक्त उद्योग एवं सचिव सीएसआर, हिन्दुस्तान जिंक लि. उदयपुर एवं गिरनार सॉफ्टवेयर जयपुर के मध्य एक त्रिपक्षीय अनुबंध दिनांक 22.08.2016 को हस्ताक्षरित किया गया।
- श्री सीमेन्ट–डीडवाना शिक्षा समिति, डीडवाना।
- राजस्थान टेक्सटाईल मिल्स एसोसिएशन–राजस्थान स्टेट स्पोर्टस कॉउन्सिल, राज्य में खेलकूद सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु।

भाग–2

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के नियमित कार्य एवं सामान्य योजनाएँ

(1) उद्योग पंजीयन संबंधी कार्य

(i) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के स्थापनार्थ उद्योग आधार/उद्यम रजिस्ट्रीकरण

परिचयः–

कोई भी व्यक्ति जो एक सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम स्थापित करना चाहता है, वह स्व–घोषणा के आधार पर दस्तावेज,कागजात,प्रमाण पत्र या प्रमाण अपलोड करने की आवश्यकता के बिना, उद्यम पंजीकरण पोर्टल (https://udyamregistration.gov.in/) में ऑनलाइन उद्यम पंजीकरण दर्ज कर सकता है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की नवीन परिभाषाः–

Existing and Revised Definition of MSMEs

Existing MSME Classification			
Criteria : Investment in Plan & Machinery or Equipment			
Classification	Micro	Small	Medium
Mfg. Enterprises	Investment<Rs. 25 lac	Investment<Rs. 5 cr.	Investment<Rs. 10 cr.
Services Enterprise	Investment<Rs. 10 lac	Investment<Rs. 2 cr.	Investment<Rs. 5 cr.

Revised MSME Classification			
Composite Criteria : Investment And Annual Turnover			
Classification	Micro	Small	Medium
Manufacturing & Services	Investment<Rs.1 cr. and Turnover Rs.5 cr.	Investment<Rs.10 cr. and Turnover Rs.50 cr.	Investment<Rs.50 cr. and Turnover Rs.250 cr.

दिनांक 14.09.2015 से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **Ease of Doing Business** के तहत उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्रणाली प्रारंभ की गई। इसके तहत उद्यम स्थापना से पूर्व पंजीयन की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए उत्पादन पश्चात् उद्योग आधार मेमोरेण्डम ऑनलाईन जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई।

एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.07.2020 से उद्योग आधार मेमोरेण्डम (UAM) के स्थान पर उद्यम रजिस्ट्रेशन (UR) की व्यवस्था प्रारम्भ की गई है। ईएम

(पार्ट–।।)/ उद्योग आधार मेमोरेण्डम (UAM) के अधीन पंजीकृत सभी विद्यमान उद्यम 01.07.2020 को या उसके पश्चात उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल पर फिर से रजिस्ट्रीकरण करेंगे तथा 30 जून, 2020 से पहले पंजीकृत विद्यमान उद्यम केवल 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए विधिमान्य थे।

उद्यम रजिस्ट्रीकरण की नवीन व्यवस्था पूर्णतः ऑनलाईन है, जिसके तहत रजिस्ट्रेशन हेतु ऑनलाईन पोर्टल https://udyamregistration.gov.in/ पर आवेदन प्रस्तुत करना होता है।

उद्योग आधार मेमोरेण्डम व्यवस्था के तहत 30 जून 2020 तक की प्रगति एवं उद्यम रजिस्ट्रेशन के तहत 01.07.2020 से 31 दिसम्बर, 2021 तक की प्रगति निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	वर्ष	ऑनलाईन जारी UAM/ UR (सख्या)	नियोजन/रोजगार के प्रस्ताव (संख्या)	विनियोजन प्रस्ताव (करोड़ रु.)
1.	2018–19	1,04,584	4,65,445	11,589.64
2.	2019–20	1,46,472	6,17,245	16,011.71
3.	2020–21 (UAM 30 जून, 2020 तक)	43,685	2,53,512	8,104.97
	2020–21 (UR 01.07.2020 से 31.03.2021 तक)	1,98,132	13,28,980	21,719.73
4.	2021–22 (UR दिसम्बर, 2021 तक)	2,02,947	11,28,082	7,699.46

(ii) वृहद उद्योगों के स्थापनार्थ औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन/पावती (IEM)

राज्य में वृहद उद्योगों की स्थापनार्थ उद्यमियों द्वारा भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन उपरान्त भारत सरकार द्वारा जारी किये गये औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन (IEM) एवं उनमें प्राप्त निवेश/विनियोजन की वर्ष वार स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	वर्ष (जनवरी से दिसम्बर तक)	भारत सरकार द्वारा ऑनलाईन जारी IEM(संख्या)	विनियोजन (करोड़ रु.)
1	2018	92	39606.00
2	2019	100	10108.00
3	2020	40	12698.00
4	2021 (माह नवम्बर, 2021 तक)	57	38460.00

राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस

राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष विश्वकर्मा दिवस 17 सितम्बर को राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस समारोह के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राज्य स्तरीय समारोह में उत्कृष्ट उद्यमियों, बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों को सम्मानित किया जाता है। जिला स्तरीय समारोह में उद्यमियों, बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों को आमंत्रित कर संगोष्ठी आयोजित की जाकर राज्य व केन्द्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, उनके लिए उपयोगी प्रावधानों एवं नियमों की जानकारी प्रदान की जाती है।

(iii) भागीदारी फर्मों का पंजीयन

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 एवं राजस्थान भागीदारी नियम, 2017 के अन्तर्गत)

कार्यालय आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र द्वारा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के रूप में राज्य की भागीदारी फर्मों का पंजीयन भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 एवं राजस्थान भागीदारी नियम, 2017 के अन्तर्गत किया जाता हैं।

राजस्थान भागीदारी नियम, 2017 द्वारा दिनांक 31.10.2017 से राज्य में नई भागीदारी फर्मों के पंजीयन की प्रक्रिया ऑनलाईन कर दी गई है। ऑनलाईन आवेदन sso.rajasthan.gov.in वेब पोर्टल के माध्यम से किये जा सकते है। ऑनलाईन आवेदन पत्रों का पंजीयन करने की समयावधि आवेदन प्राप्ति की तिथि से 7 कार्य दिवस निर्धारित है। राज्य में भागीदारी फर्मो के पंजीयन की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र0सं0	वर्ष	भागीदारी फर्म	
		पंजीयन संख्या	राशि (लाख रु.)
1.	2018–19	4674	15.09
2.	2019–20	4399	15.54
3.	2020–21	5154	14.94
4.	2021–22 (माह दिसम्बर, 2021 तक)	3157	10.36

(iv) नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज का पंजीयन

(नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज एक्ट, 1960 एवं राजस्थान नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज नियम, 1962 के अन्तर्गत)

कार्यालय आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज एक्ट, 1960 एवं राजस्थान नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज नियम, 1962 के अन्तर्गत नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज का पंजीयन किया जाता है, जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0सं0	वर्ष	नॉन ट्रेडिंग कम्पनीज	
		पंजीयन संख्या	राशि (रूपये)
1.	2018–19	15	15, 600/–
2.	2019–20	9	9, 100/–
3.	2020–21	7	7, 000/–
4.	2021–22 (माह दिसम्बर, 2021 तक)	8	8, 000/–

(2) उद्योगों हेतु प्रक्रिया सरलीकरण

(i) उद्यम स्थापित करने की प्रक्रियाओं का सरलीकरण

(EoDB- Ease of Doing Business)

भारत सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा राज्यों के लिए प्रतिवर्ष जारी स्टेट बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान (State Business Reform Action Plan or State BRAP) के अन्तर्गत प्रदत्त रिफार्म बिन्दुओं के क्रियान्वयन का मूल्यांकन कर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग प्रदान की जाती है।

स्टेट बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान (State Business Reform Action Plan or State BRAP) में मुख्यतया पारदर्शिता, सुधार ऑनलाईन स्वीकृतियां जारी किया जाना, निरीक्षणों के युक्तिकरण हेतु एकल खिड़की व्यवस्था एवं नीतियों में सुधार जैसे बिन्दु सम्मिलित होते है।

उद्यम स्थापित करने हेतु प्रक्रियाओं के सरलीकरण (EoDB- Ease of Doing Business) के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है।

विगत वर्षो में जारी स्टेट बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान– 2015,2016 एवं 2017 में राज्य की स्थिति निम्नानुसार थीः–

1. State Business Reform Action Plan-2015 (285 Reform Points)– राजस्थान रिफार्म बिन्दुओं के 61.04 प्रतिशत क्रियान्वयन के साथ देश में छठे स्थान पर रहा था तथा राजस्थान को ''Aspiring Leader States'' की श्रेणी में सम्मिलित किया गया था।

2. State Business Reform Action Plan-2016 (340 Reform Points)– राजस्थान रिफार्म बिन्दुओं के 96.43 प्रतिशत क्रियान्वयन के साथ देश में आठवें स्थान पर रहा तथा राजस्थान को ''Leader States'' की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था।
3. State Business Reform Action Plan- 2017 (372 Reform Points)– राजस्थान रिफार्म बिन्दुओं के 99.46 प्रतिशत क्रियान्वयन के साथ देश में नवें स्थान पर रहा था तथा राजस्थान को ''Top Achiever States'' की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था।
4. State Business Reform Action Plan- 2019 (80 Reform Points)– इस वर्ष राजस्थान की रैंकिंग में एक अंक का सुधार हुआ है एवं राजस्थान देश में आठवें स्थान पर रहा है।

(ii) एकल खिड़की योजना

(राजस्थान एन्टरप्राईजेज सिंगल विण्डो एनेबलिंग एण्ड क्लीयरेन्स अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत)

राज्य में उद्यम की स्थापना को बाधा रहित बनाने, स्वीकृतियों के समयबद्ध निस्तारण तथा एकल खिड़की योजना को सुदृढ़ बनाये जाने एवं उसे विधिक आधार प्रदान किये जाने के दृष्टिकोण से राजस्थान एन्टरप्राइजेज सिंगल विण्डो एनेबलिंग एण्ड क्लीयरेंस एक्ट–2011 एवं इस एक्ट के प्रावधानों की क्रियान्विति तथा निवेश प्रस्तावों के समयबद्ध निस्तारण हेतु संशोधित रूल्स, 2016 जारी किये गये हैं।

राज्य में निवेश प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक अनुमतियों व स्वीकृतियों हेतु निर्णय लेने के लिए राज्य सक्षम समिति व जिला सक्षम समिति अपने क्षेत्राधिकार में सक्षम है। राज्य सक्षम समिति द्वारा आवश्यक अनुमतियों/स्वीकृतियों पर निर्णय लेने के साथ–साथ कस्टमाइज्ड पैकेज हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्णय हेतु अपनी अभिशंषा मंत्रीमण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। जिला सक्षम समिति के लिए जिला उद्योग केन्द्र तथा राज्य सक्षम समिति के लिए ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (बीआईपी) नोडल एजेन्सी है। संशोधित रूल्स, 2016 नोटिफिकेशन के पश्चात नवीन सिंगल विण्डो पोर्टल (ऑन–लाईन सिस्टम) का संचालन दिनांक 1 जून, 2016 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

राज्य में निवेश हेतु सिंगल विण्डो ऑन–लाईन सिस्टम के तहत दिनांक 1 जून, 2016 से दिसम्बर, 2021 तक 13,411 आवेदन पत्र जिनमें 31,360 करोड़ रू. के प्रस्तावित निवेश में से 8,662 आवेदन पत्र जिनमें 24,726 करोड़ रू. के प्रस्तावित निवेश पर वांछित स्वीकृतियां जारी की गई है।

(iii) उद्यमों का विलंबित भुगतान निस्तारण

(राजस्थान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद् (RMSEFC) के माध्यम से)

सुविधा परिषद् का परिचय

- केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं द्वारा राज्य के उद्यमियों को लाभान्वित करने के प्रयास सदैव किये जाते रहे है परन्तु एक छोटे उद्यमियों द्वारा उद्यम स्थापित किये जाने के पश्चात उनके द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद या सेवा हेतु क्रेता द्वारा समय पर भुगतान नही किये जाने से छोटे उद्यम बहुत अधिक प्रभावित थे, ऐसे उद्यमियों को वर्ष 2006 तक विलम्बित भुगतान के प्रकरणों की सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय की शरण में ही जाना पडता था।
- अतः एमएसएमई मंत्रालय, केन्द्र सरकार द्वारा जारी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम–2006 द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों के विलम्बित भुगतान के प्रकरणों के निस्तारण हेतु राज्य के उद्योग विभाग के अधीन एक अर्द्व–न्यायिक निकाय या परिषद की स्थापना करने का विचार प्रस्तुत किया, उक्त परिषद को **सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद** नाम दिया गया। एमएसएमईडी एक्ट–2006 की धारा 21 के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद 5 सदस्यों की परिषद है, जिसकी अध्यक्षता आयुक्त, उद्योग विभाग द्वारा की जाती है, साथ ही उद्योग, व्यापार एवं वित्त के 2 विषय विशेषज्ञों को स्थायी सदस्य के रूप में तथा राज्य के औद्योगिक संघों के 2 प्रतिनिधिओं को 2 वर्ष के लिए अस्थाई सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सुविधा परिषद राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को यह भरोसा प्रदान करती है कि वे उनके द्वारा उत्पादित माल या सेवा को सम्पूर्ण भारतवर्ष में किसी भी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/केन्द्र या राज्य सरकार के उपक्रमों/केन्द्र या राज्य सरकार के विभागों को उपलब्ध करवाते है तो उस उपलब्ध कराये गए माल या सेवा के लिए राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अधिकतम 45 दिवस में भुगतान करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा, भुगतान विलम्ब से होने पर क्रेता द्वारा राज्य के आपूर्तिकर्ता को रिजर्व बैक की बैक दर का तीन गुना मासिक चक्रवृद्वि ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

एमएसएमईडी एक्ट 2006 के अंतर्गत उद्योग विभाग में ई.एम. पार्ट II/उद्योग आधार की अभिस्वीकृति प्राप्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यम द्वारा क्रेता को आपूर्ति की गयी सामग्री/माल के भुगतान का नियत करार के बाद भुगतान न करने पर रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर पर मासिक अवशेष के साथ 3 गुना चक्रवृद्धि ब्याज के भुगतान कराने हेतु राज्य सरकार के स्तर से सुविधा परिषद का प्रथम बार गठन दिनांक 06.05.2008 को किया गया। राजस्थान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद नियम–2007 की अधिसूचना दिनांक 08.09.2008 को जारी की गयी है।

वर्ष 2008 से दिसम्बर, 2021 तक राजस्थान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद् के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों की वस्तुस्थिति :–

1. कुल प्रस्तुत प्रकरण :– 6055
2. निस्तारित प्रकरण :– 2966
3. लम्बित प्रकरण :– 3089

राज्य में नव सुविधा परिषदों की स्थापना :–

1. राज्य सरकार के उद्योग (ग्रुप–2) विभाग के आदेश क्रमांक पं. 1(16)उद्योग/ग्रुप–2/2018 दिनांक 08.08.2019 द्वारा राज्य में 4 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदो का गठन किया गया, उक्त परिषदों द्वारा किए गए कार्य की वस्तुस्थितिः–

कुल बैठकें	कुल प्रस्तुत प्रकरण	कुल निस्तारित प्रकरण
26	**1274**	**346**

2. कोविड–19 वैश्विक महामारी से राज्य की अर्थव्यवस्था को उबारने के संबंध में गठित टास्क फोर्स की अनुशंषा पर दिनांक 25.09.2020 को राज्य में पूर्व में कार्यरत 4 सुविधा परिषदों के स्थान पर 2 राज्य स्तरीय एवं 7 संभाग स्तरीय सुविधा परिषदों का गठन किया गया तथा उक्त 9 सुविधा परिषदों के कार्यालयों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मुख्यालय पर राजस्थान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद–सचिवालय का गठन किया गया।

नव गठित परिषदों का विवरण निम्नानुसार हैः–

S. N	MSEFC	Jurisdiction	Claim amount	Chair Person
1	MSEFC, HQ-1, Jaipur	All Rajasthan	Above Rs. 75 lacs	Commissioner, Industries
2	MSEFC, HQ-2, Jaipur	All Rajasthan	Above Rs. 25 lacs & below Rs. 75 lacs	Additional Director, Industries (I)
3	MSEFC,	Jodhpur, Jaisalmer,	upto Rs. 25 lacs	Additional Director,

	Jodhpur	Badmer, Pali, Sirohi, Jalore		Industries (FC)
4	MSEFC, Bikaner	Bikaner Hanumangarh, churu, Shri-Ganganagar	upto Rs. 25 lacs	Additional Director, Industries (FC)
5	MSEFC-Udaipur	Udaipur, Chittorgarh, pratapgarh, Banswara, Rajsamand, Dungarpur	upto Rs. 25 lacs	Additional Director, Industries (FC)
6	MSEFC-Bharatpur	Bharatpur, Karauli, Dholpur, SawaiMadhopur	upto Rs. 25 lacs	Additional Director, Industries (FC)
7	MSEFC-Ajmer	Ajmer, Bhilwara, Nagaur, Tonk	upto Rs. 25 lacs	Additional Director, Industries (FC)
8	MSEFC-kota	Kota, Jhalawar, Baran, Bundi	upto Rs. 25 lacs	Additional Director, Industries (FC)
9	MSEFC, Jaipur	Jaipur, Alwar, Dausa, Jhunjunu, Sikar	upto Rs. 25 lacs	Additional Director, Industries (FC)

दिनांक 25.09.2020 को गठित 9 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषदों द्वारा की गई कार्यवाही (माह दिसम्बर, 2021 तक)

कुल बैठकें	कुल प्रस्तुत प्रकरण	कुल निस्तारित प्रकरण
71	**2120**	**490**

(3) उद्योगों हेतु आधारभूत संरचना विकास, सामान्य राजकीय सहायता, प्रोत्साहन, पुरस्कार, प्रदर्शनी व शिविर

(i) राजस्थान औद्योगिक विकास नीति– 2019

राजस्थान को इको सिस्टम के साथ भारत में सबसे पंसदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभारने हेतु समावेशी, संतुलित, सतत् एवं पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास करने, आधारभूत ढॉचा सृजित करने, रोजगार के अवसर सृजित करने, संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से राजस्थान औद्योगिक विकास नीति, 2019 तैयार की गई है।

राजस्थान औद्योगिक विकास नीति, 2019 के अन्तर्गत निम्न उद्देश्य के साथ विशेष प्रावधान किये गये है:

1. **अनुकूल औद्योगिक आधारभूत संरचना**–भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लचीला बनाना, निजी भूमि–रीको द्वारा निवेश तथा रीको की भूमि–निजी निवेश मॉडल पर पीपीपी मोड

पर औद्योगिक पार्कों का विकास, प्लग एंड प्ले सुविधाओं एवं बहुमंजिला कारखानों को बढ़ावा देना, औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार सामजिक बुनियादी ढांचे का विकास करना, पिछड़े क्षेत्र में उद्योग स्थापना हेतु रियायती दर पर बंजर भूमि का आवंटन, पेट्रो केमिकल उद्योग के लिए तेल रिफाईनरी के पास औद्योगिक टाऊनशिप विकसित करना, बिजली दरों को परिवर्तनशील बनाना एवं व्हीलिंग चार्जेज कम करना।

2. **प्रतियोगात्मक राजकोषीय प्रोत्साहन**–मैन्युफेक्चरिंग एवं सेवा क्षेत्र के उद्यम हेतु प्रोत्साहन पैकेज, थ्रस्ट सेक्टर एवं पिछड़े व अति पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों को अतिरिक्त प्रोत्साहन, एंकर इकाइयों को आकर्षक प्रोत्साहन, एमएसएमई को पूंजी निवेश, प्रौद्योगिकी अधिग्रहण/उन्नयन, क्रेडिट गारंटी, गुणवत्ता प्रमाणन, रिसर्च एण्ड डवलपमेंट आदि के लिए सहायता, अनु.जाति, अनु. जनजाति, महिला उद्यमियों, कुटीर उद्योगों, फुटकर व्यापारियों एवं स्वंय सहायता समूह के उद्यमियों को वित्तीय सहायता के लिए विशेष योजना का प्रावधान।

3. **कुशल मानव संसाधन**–बेरोजगार युवाओं का डेटाबेस तैयार करना एवं संभावित अवसरों का सृजन करना, उद्योगों को कौशल विकास संस्थान की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करना तथा लॉजिस्टिक्स, ईएसडीएम तथा ऑटोमोबाइल (इलेक्ट्रिक वाहन खण्ड) आदि उभरते क्षेत्रों के लिए नये कौशल विकास कार्यक्रम पर बल।

4. **संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा**–जिला स्तरीय औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण तैयार करना, बड़े उद्योगों के साथ एमएसएमई की आपूर्ति श्रृंखला लिंकेज को प्रोत्साहित करना, जिला स्तर पर व्यावसायिक सुविधा केन्द्र की स्थापना का प्रावधान।

5. **उद्यमशीलता एवं नवाचार**–नवाचार एवं प्रभारी ईको सिस्टम को बढ़ावा देने हेतु नई स्टार्ट–अप नीति का निर्माण, प्रमुख शहरों के निकट स्टार्ट–अप क्षेत्र विकसित कराना, राज्य के बाहर से स्टार्ट–अप को राज्य में स्थापित एवं विकसित करने के लिए सुविधायुक्त ढॉचे का निर्माण करना, सभी क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु वार्षिक नवाचार पुरस्कार का प्रावधान।

6. **पर्यावरण संरक्षण एवं सतत् औद्योगिक विकास**–औद्योगिक अपशिष्ट के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक पार्कों के लिए प्रभावी कचरा प्रबन्धन, ग्रीन बिल्डिंग एवं इको फ्रेंडली उद्योगों को सहायता, आवश्यक सहायता के साथ वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहन।

7. **उद्योगों का तकनीकी उन्नयन**–अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों, परीक्षण और प्रमाणीकरण प्रयोगशालाओं के लिए सहायता का प्रावधान।

8. **उद्योग 4.0**–प्रौद्योगिक अधिग्रहण, कौशल विकास, रिसर्च एण्ड डवलपमेंट को प्रोत्साहन के माध्यम से उद्योग 4.0 के नये युग में उभार।

9. नियमों और निरीक्षणों को युक्तिसंगत बनाना।

10. ईओडीबी और उद्योग समर्थक दृष्टिकोण को अपनाना।

थ्रस्ट सेक्टर्स का विकास करना–राज्य के आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र कपड़ा एवं परिधान, फूड प्रोसेसिंग, ईएसडीएम, ऑटो और ऑटो कम्पोनेन्ट, लेदर व फुटवियर, खान एवं खनिज, जैम्स व ज्वैलरी एवं सेवा क्षेत्र पर विशेष बल।

(ii) क्लस्टर विकास

राज्य सरकार द्वारा राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों तथा दस्तकारों का विकास क्लस्टर डवलपमेंट एप्रोच के आधार पर किया जा रहा है। इस हेतु वर्ष 2005–06 से राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत् बेस लाईन सर्वे के आधार पर चयनित क्लस्टर्स में क्लस्टर विकास गतिविधियों का क्रियान्वयन स्वयं सेवी संस्थाओं/क्रियान्वयन एजेन्सियों के माध्यम से महाप्रबन्धक, जिला उद्योग एवं केन्द्र के निर्देशन में कराया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत् क्लस्टर्स में आवश्यकता के आधार पर सोफ्ट गतिविधियां यथा–एसपीवी का गठन, कौशल विकास एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, डिजाईन विकास प्रशिक्षण, तकनीकि उन्नयन, मार्केट असिस्टेन्स, क्षमता संवर्द्धन आदि क्रियान्वित की जाती है। क्लस्टर में आवश्यकता होने पर सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी) की स्थापना भी की जाती है, जिसका संचालन सम्बन्धित उद्यमियों/दस्तकारों की एसपीवी (स्पेशल परपज व्हीकल) द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2005–06 से अब तक क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 57 क्लस्टर्स में क्लस्टर विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया, जिनमे से 50 क्लस्टर्स में गतिविधियां पूर्ण हो चुकी है।

वर्तमान में जिन क्लस्टर्स में क्लस्टर विकास गतिविधियां संचालित है, उनका विवरण निम्नानुसार है–

<table>
<tr><th>क्र सं</th><th>चयन वर्ष</th><th>क्लस्टर का विवरण</th><th>कलस्टर उत्पाद</th></tr>
<tr><td rowspan="6">1.</td><td rowspan="6">2018–19</td><td>Marble Murti Cluster Sikari, Bharatpur</td><td>मार्बल मूर्ति</td></tr>
<tr><td>Phad Painting Cluster, Bhilwara</td><td>फड़ पेंटिग्स</td></tr>
<tr><td>Pak visthapit Cluster, Jodhpur</td><td>हैण्ड एम्ब्रोयडरी</td></tr>
<tr><td>Art Metal Craft Cluster, Jodhpur</td><td>आर्ट मेटल क्रॉफ्ट</td></tr>
<tr><td>Leather Craft Cluster, Barmer</td><td>लेदर क्रॉफ्ट</td></tr>
<tr><td>Hand Embroidery Craft Cluster, Jaisalmer</td><td>हैण्ड एम्ब्रोयडरी</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2019–20</td><td>Leather Jutti Cluster, Gangrar, Chittorgarh</td><td>लेदर क्रॉफ्ट</td></tr>
</table>

राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में 62.59 लाख रू., वर्ष 2019–20 में 132.15 रू., वर्ष 2020–21 में 91.90 लाख रू. एवं 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक 83.75 लाख रू. की राशि व्यय हुई है।

(iii) एमएसएमई इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेन्टर्स (MIFC)

एमएसएमई इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेन्टर्स (एमआईएफसी) की स्थापना का उद्देश्य भावी निवेशक उद्यमी को अपना व्यवसाय स्थापित करने या विस्तार करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना तथा विभाग को एक नियामक के रूप से परिवर्तित कर सुविधा केन्द्र के रूप में विकसित करना है।

राज्य में एमएसएमई पॉलिसी 2015 के तहत राज्य स्तर पर उद्योग भवन में तथा जिला स्तर पर प्रत्येक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र में प्रथम पीढी के उद्यमियों सहित कार्यरत उद्यमियों को मार्गदर्शन, पथप्रदर्शन, हैण्डहॉल्डिंग सपोर्ट एवं सहयोग प्रदान करने हेतु एमएसएमई इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेन्टर (MIFC) का संचालन किया जा रहा है। एमआईएफसी द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जाते है :–

- आगन्तुकों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य उद्यम के चिन्हीकरण में सहयोग करना।
- उद्यम स्थापित करने हेतु उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं की जानकारी।
- आगन्तुकों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना ।
- उद्योग स्थापित करने संबंधी विभिन्न पंजीयन, लाईसेंस, अनापत्ति/सहमति आदि की जानकारी उपलब्ध कराना।
- विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उद्यमियों को परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने एवं ऋण आवेदन करने में आवश्यक सहयोग करना।
- उद्यमियों को अपने उत्पाद के विपणन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना ।
- आगन्तुकों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में आवेदन प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करना।

वर्तमान में जिला उद्योग केन्द्रों में स्थापित एमआईएफसी के बेहतर संचालन के लिए कुल **एक करोड रू .की राशि** से रीको लि0 द्वारा कक्ष का आधुनिकीकरण, सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण कर, एमआईएफसी कम उद्यमिता विकास प्रशिक्षण केन्द्र विकसित किया गया है।

गौरतलब है कि एमआईएफसी के माध्यम से वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर 2021 तक राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर लगभग **36505 आगन्तुकों** को विभागीय अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

(iv) Scheme for Establishment of Integrated CETPs and Up-gradation of Existing CETPs

- माननीय N.G.T. के द्वारा समय समय पर दिये गये दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित किऐ जाने के लिये राज्य सरकार की बजट घोषणा संख्या 75 (वर्ष 2019–20) के क्रियान्वयन हेतु नए C.E.T.Ps की स्थापना एवं पुराने C.E.T.Ps के उन्नयन के लिये वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के उद्देश्य से Scheme for establishment of integrated CETP,s and Up-gradation of Existing CETP,s उद्योग (ग्रुप–1) विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.02.2020 के द्वारा राज्य में लागू कर दी गई है।
- चूंकि भारत सरकार की IPDS योजना में केवल वस्त्र उद्योगों को CETP,s स्थापना हेतु सहायता प्रदान की जाती है। अतः इसके अतिरिक्त अन्य औद्योगिक सेक्टर्स अथवा Heterogenous Industrial Area को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नही है, उन्हे इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। अतः जिस CETP,s को वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की IPDS योजना में सहायता प्राप्त हो चुकी है, वह इस योजना के लिये पात्र नही होगी।
- इस योजना के अन्तर्गत 200 करोड़ रूपये के कॉरपस फण्ड का प्रावधान किया गया है। इसमें रीको लि. एवं राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा 50–50 प्रतिशत का योगदान दिया जायेगा।
- योजनान्तर्गत किसी प्रोजेक्ट में अधिकतम 50 करोड़ या 50 प्रतिशत कम्पोनेंट वाईज प्रोजेक्ट कॉस्ट, जो भी कम हो, वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जायेगी।

योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये एस.पी.वी. Pali Water Pollution Control Treatment and Research Foundation, Pali द्वारा सी.ई.टी.पी. यूनिट–04, पुनयाता औद्योगिक क्षेत्र, पाली के उन्नयन हेतु प्राप्त प्रस्ताव मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 22.11.2021 में स्वीकृत किया गया।

(v) राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सहायता योजना 2015

राज्य में उपलब्ध संसाधनों एवं सम्भाव्यताओं के आधार पर नये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं पूर्व स्थापित उद्यमों के गुणवत्ता संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण एवं इनमें वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.11.2015 को **राजस्थान सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम सहायता योजना–2015** लागू की गई थी। उक्त योजना दिनांक 31.03.2021 को समाप्त हो चुकी है। योजनान्तर्गत निम्नानुसार प्रमुख प्रावधान सम्मिलित थे–

- वित्तीय संस्थानों से सम्पार्श्विक प्रतिभूति रहित ऋण प्राप्त करने के लिए सीजीएफटी एमएसई का लाभ लेने वाले उद्यमों को एकमुश्त सेवा प्रसंस्करण शुल्क अदा करने वाले एमएसएमई को इसका पुनर्भरण करने का प्रावधान।
- एसएमई एक्सचेंज के जरिये केपिटल राईजिंग करने वाले लघु व मध्यम उद्यमों को इस हेतु किये गये व्यय का 10 प्रतिशत राशि का पुनर्भरण करने का प्रावधान।
- उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को इस हेतु किये गये व्यय की 50 प्रतिशत राशि पुनर्भरण करने का प्रावधान।
- पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से कॉमन एफ्यूलेन्ट ट्रीटमेंट प्लांट एवं एफ्यूलेन्ट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापना पर किये गये पूँजीगत व्यय की 50 प्रतिशत राशि पुनर्भरण का प्रावधान।

योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 के दौरान 12 इकाइयों को कुल 134.11 लाख रूपयें की वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(vi) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2014

राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2014 दिनांक 08.10.2014 को जारी की गई थी।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2014 दिनांक 08.10.2014 से **दिनांक 31.03.2023 तक प्रभावी** रहेगी।

योजना हेतु पात्रता– यह योजना नए उपक्रम, स्थापित उपक्रम जो विस्तार करना चाहें, रूग्ण इकाइयों के पुर्नजीवन एवं चयनित सेवाओं में किये गये निवेश पर लागू होगी। इस प्रकार इसमें पात्रता निम्नानुसार होगी–

- नवीन उद्यम स्थापित करने पर
- वर्तमान उद्यम द्वारा विस्तार हेतु निवेश करने पर
- रूग्ण औद्योगिक इकाई को पुर्नजीवित करने पर

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2014 के अन्तर्गत निम्नानुसार छूट/लाभ के प्रावधान किए गए हैं–

(i) मुद्रांक शुल्क एवं भू–रूपान्तरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट

(ii) विद्युत कर, मण्डी शुल्क एवं भूमि कर में 50 प्रतिशत की छूट (7 वर्षों के लिए)

(iii) 30 प्रतिशत निवेश अनुदान व 20 प्रतिशत रोजगार सृजन अनुदान (7 वर्षों के लिए)

(iv) टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए 5 से 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 वर्ष तक।

(v) टेक्सटाइल, एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग एवं बायोटेक्नोलॉजी इकाइयों को ईटीपी स्थापना पर 20 प्रतिशत पूंजी अनुदान।

➢ **निम्नांकित थ्रस्ट सेक्टर्स के लिए विशेष प्रावधान–**

क्र. सं.	**विनिर्माण क्षेत्र (मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर)**	**सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर)**
1.	सिरेमिक्स व ग्लास	(i) आईटी
2.	डेयरी	(ii)बायोटेक्नोलोजी
3.	एम.एस.एम.ई.	(iii) ट्यूरिज्म
4.	ई.एस.डी.एम. (इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन मैन्यूफैक्चरिंग)	
5.	फार्मास्यूटीकल,	
6.	प्लास्टिक टू ऑयल मैन्यूफैक्चरिंग,	
7.	टेक्सटाईल	
8.	इण्डस्ट्रियल गैसेज	
9.	डिफेन्स	
10.	आई. टी. एण्ड रोबोटिक्स	
11.	बायोटेक्नोलोजी	
12.	कोटा स्टोन मार्बल एण्ड ग्रेनाईट	
13.	डिसेलीनेशन	
14.	एग्रो प्रोसेसिंग एण्ड एग्रो मार्केटिंग	
15.	फूड प्रोसेसिंग	

कतिपय क्षेत्रों में अतिरिक्त लाभ–

➢ महिलाओं के लिए अतिरिक्त परिलाभों के प्रावधान है।

➢ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए अतिरिक्त परिलाभों के प्रावधान है।

➢ पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा क्षेत्रों में किये गये निवेश पर भी अतिरिक्त परिलाभों के प्रावधान है।

➢ एक निश्चित सीमा से अधिक निवेश करने एवं रोजगार प्रदान करने वाली इकाइयों को कस्टमाईज पैकेज स्वीकृत करने का प्रावधान भी किया गया है।

जी.एस.टी. लागू होने के पश्चात् योजना में संशोधन आदेश दिनांक 30.04.2018 को जारी कर दिए गए हैं।

प्रगतिः

वर्ष	प्राप्त प्रस्ताव	जारी छूट प्रमाण पत्र	निवेश (राशि करोड़ में)
2018–19	1594	1480	39638.52
2019–20	1036	926	23333.55
2020–21	103	14	131.38
2021–22 (माह दिसम्बर, 2021 तक)	77	4	88.46

(vii) राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019

राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019 दिनांक 17.12.2019 से प्रभावी हो गई है।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019 दिनांक 17.12.2019 से दिनांक 31.03.2026 तक प्रभावी रहेगी।

योजना हेतु पात्रता– यह योजना नए उपक्रम तथा स्थापित उपक्रम द्वारा विस्तार करने पर किये गये निवेश पर लागू होगी।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019 के अन्तर्गत सभी पात्र विनिर्माण एवं सेवा उद्यमों के लिए निम्नानुसार छूट/लाभ के प्रावधान किए गए हैं–

1. निवेश अनुदान (Investment Subsidy)–देय एवं जमा एस.जी.एस.टी. का 75 %
2. रोजगार सृजन अनुदान (Employment Generation Subsidy) – श्रमिकों के ईपीएफ/ईएसआई के नियोक्ता (Employer) के अंशदान का न्यूनतम 50% पुनर्भरण
3. विद्युत कर (Electricity Duty) – 100 % छूट सात वर्षों के लिए
4. मण्डी शुल्क (Mandi Fee) – 100 % छूट सात वर्षों के लिए
5. भूमि कर (Land Tax) – 100 % छूट सात वर्षों के लिए
6. स्टाम्प ड्यूटी (Stamp Duty) – 100 % छूट
7. भूमि रूपान्तरण शुल्क (Land Conversion Tax) – 100 % छूट

निम्नांकित थ्रस्ट सेक्टर्स के लिए विशेष प्रावधान–

विनिर्माण क्षेत्र (मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर)	सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर)
1. कृषि प्रसंस्करण	1. दवा निर्माण क्षेत्र में कोल्ड चेन
2. ऑटो–कम्पोनेन्ट	2. कॉमन यूटिलिटी सेन्टर
3. बॉयो–टेक्नोलोजी	3. औद्योगिक पार्क
4. सेरेमिक एण्ड ग्लास	4. कृषि उत्पाद संरक्षण व मूल्य संवर्धन हेतु आधारभूत सुविधा
5. केमिकल	5. सूचना प्रौद्योगिकी पार्क
6. डेयरी	6. सूचना प्रौद्योगिकी उद्यम
7. डिफेन्स	7. लॉजिस्टिक इन्फ्रास्टक्चर
8. दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर एरिया के उद्यम	8. प्लग एण्ड प्ले ऑफिस काम्प्लेक्स
9. इलैक्ट्रिक व्हीकल	9. स्टार्ट–अप्स
10. इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाईन–निर्माण	10. सामाजिक आधारभूत सुविधा
11. फूड प्रोसेसिंग	11. टेस्टिंग व रिसर्च प्रयोगशाला
12. जेम्स एण्ड ज्वैलरी	12. पर्यटन क्षेत्र
13. हैण्डीक्राफ्ट	13. स्वास्थ्य
14. औद्योगिक गैस	14. ई–चार्ज एवं स्वेपिंग स्टेशन
15. चमड़ा, जूते एवं सह–उत्पाद	

16. एम–सेण्ड	
17. मेडिकल डिवाईस निर्माण	
18. खनिज आधारित निर्माण	
19. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	
20. पेट्रोलियम सहायक उद्यम	
21. पेट्रोकेमिकल	
22. दवा निर्माण	
23. सौर ऊर्जा उपकरण	
24. स्टार्ट–अप्स	
25. टेक्सटाईल	
26. विंड टर्बाइन निर्माण क्षेत्र	
27. अपेरल	
28. सक्रिय दवा सामग्री	
29. खेल सामग्री	
30. खिलौने	

अतिरिक्त परिलाभ–

I. विनिर्माण क्षेत्र में कुल 30 थ्रस्ट सेक्टर्स तथा सेवा क्षेत्र में कुल 14 थ्रस्ट सेक्टर्स में।

II. पिछड़े, अतिपिछड़े, जनजातिय क्षेत्र, पहाड़ी, मरूस्थलीय क्षेत्रों में निवेश पर।

III. अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमों के प्रोत्साहन हेतु डॉ. बी. आर. अम्बेड़कर स्पेशल पैकेज के तहत अतिरिक्त परिलाभ।

प्रगतिः

वर्ष	जारी छूट प्रमाण पत्र	निवेश (राशि करोड़ में)
2019–20	524	12829.44
2020–21	3423	63392.01
2021–22 (माह दिसम्बर, 2021 तक)	3268	54254.84

(viii) राजस्थान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेन्ट एण्ड ऑपरेशन) अधिनियम, 2019

नवीन सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम उद्यमों की सरल स्थापना हेतु उद्यमों को प्रारम्भिक वर्षों में राज्य के विभिन्न एक्ट्स के अधीन दी जाने वाली स्वीकृतियों एवं सम्बन्धित निरीक्षणों से मुक्त करने हेतु राजस्थान सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेन्ट एण्ड ऑपरेशन) अध्यादेश, 2019 दिनांक 04.03.2019 को तथा अधिनियम के रूप में दिनांक 17.07.2019 को अधिसूचित किया गया है। अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु रूल्स भी दिनांक 24.05.2019 को अधिसूचित कर दिये गये हैं।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उद्यमी एक निर्धारित प्रारूप में "उद्यम स्थापना करने का आशय" (Declaration of Intent) नोडल एजेन्सी (बी.आई.पी.) को प्रस्तुत करेगा और नोडल एजेन्सी द्वारा "प्राप्ति का प्रमाण–पत्र" (Acknowledgement Certificate) जारी किया जायेगा। यह Acknowledgement Certificate प्राप्त करने के 3 वर्षों तक उद्यम विभिन्न विभागों की स्वीकृतियों व निरीक्षणों से मुक्त रहेगा। उद्यमों को 3 वर्षों की समाप्ति के पश्चात् 6 माह में आवश्यक स्वीकृतियॉ प्राप्त करनी होंगी।

अधिनियम में विभागों को भारत सरकार के अधिनियमों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय अधिनियमों के अन्तर्गत भी उद्यमों को स्वीकृतियों व निरीक्षणों से मुक्त करने हेतु अधिकृत किया गया था। फैक्ट्रीज एण्ड बॉयलर विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 16.09.2019 जारी कर Acknowledgement Certificate प्राप्त करने के 3 वर्षों तक उद्यमों को Indian Boiler Act, 1923 के अन्तर्गत स्वीकृति एवं निरीक्षणों से मुक्त कर दिया गया है।

अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु ऑनलाईन पोर्टल (https://rajudyogmitra.rajasthan.gov.in/) का शुभारम्भ दिनांक 12.06.2019 को किया गया है। दिनांक 12.06.2019 से माह दिसम्बर, 2021 तक 12,242 नये उद्यम स्थापित करने वाले आवेदको ने (https://rajudyogmitra.rajasthan.gov.in/) पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर Acknowledgement Certificate प्राप्त किये है।

(ix) राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विपणन (मार्केटिंग) प्रोत्साहन

राज्य की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा उत्पादित उत्पादों का उपापन राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं राज्य सरकार के उपक्रमों में सुनिश्चित करने हेतु वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 जारी की गई। इस अधिसूचना के तहत राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रदत्त सुविधायें निम्नानुसार है :

1. बोली दस्तावेज विहित लागत के 50 प्रतिशत पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के उपलब्ध कराया जायेगा।
2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए बोली प्रतिभूति उनके द्वारा प्रदाय की जाने वाली प्रस्तावित परिमाण के मूल्य की 0.5 प्रतिशत (आधा प्रतिशत) दर पर होगी।
3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए निष्पादन प्रतिभूति माल के प्रदाय की जाने वाली प्रस्तावित परिमाण के मूल्य की 1 प्रतिशत दर पर होगी।
4. अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित उत्पादों का उपापन स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से ही किया जाना अनिवार्य है।
5. अनुसूची में सम्मलित नहीं की गई वस्तुओं के लिए स्थानीय उद्यमों को क्रय वरीयता दिये जाने का प्रावधान है, जिसके अन्तर्गत आपूर्ति मात्रा का 80 प्रतिशत स्थानीय

उद्यमों से उपाप्त किये जाने का प्रावधान है, जिसमें 60 प्रतिशत राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों तथा अधिकतम 20 प्रतिशत राज्य के मध्यम उद्यमों से उपाप्त किये जाने का प्रावधान है।

वित्त (सा.वि.ले.नियम) विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के अन्तर्गत उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अधिकारी, को आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य के प्रतिनिधि के रूप में उपापन समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु अधिकृत किया गया है। सूक्ष्म, लघु उद्यमियों के विपणन प्रोत्साहन हेतु उद्योग (ग्रुप–2) विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(37)उद्योग/ग्रुप–2/2001 दिनांक 09.04.2021 की पालना में राजसीको द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले स्टील फर्नीचर, टेन्ट एवं त्रिपाल, बारबेड वायर, पॉलिथीन बैग उत्पादों की दरें निर्धारण करने हेतु आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य की अध्यक्षता में दर निर्धारण समिति का गठन किया गया है।

विपणन प्रोत्साहन हेतु स्थापित शहरी एवं ग्रामीण हाटों के संचालन हेतु वर्ष 2020–21 में आवंटित राशि रू. 20.00 लाख के विरूद्ध 19.87 लाख रूपये व्यय हुये।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में ग्रमीण एवं शहरी हाटों के संचालन हेतु राशि रूपये 20.00 लाख के बजट प्रावधान के विरूद्ध लगभग 12.00 लाख रूपये (माह दिसम्बर 2021 तक) व्यय हुये है।

(x) राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार

(राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस पर)

राज्य सरकार द्वारा 2016 में राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम दिवस पर राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार योजना घोषित की गई। राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष विश्वकर्मा दिवस /राजस्थान दिवस अथवा किसी उचित दिवस पर उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किये जाते है। उक्त राज्य स्तरीय समारोह में उत्कृष्ट उद्यमियों, बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों को सम्मानित किया जाता है। योजनान्तर्गत राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से व्यवसाय के टर्नओवर में उत्कृष्ट वृद्धि, व्यवसायिक नवाचार, महिला उद्यमियों द्वारा व्यवसाय के टर्नओवर में उत्कृष्ट वृद्धि, एवं रूग्ण उद्यमों के पुनरूद्धार पर विशेष योगदान करने वाले उद्यमों को पुरस्कृत/सम्मानित करने के लिए प्रत्येक श्रेणी में 4 उद्यमों को पुरस्कृत करने का प्रावधान रखा गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले बुनकरों एवं हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के उद्‌देश्य से एक–एक बुनकर एवं हस्तशिल्पी को राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार व राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस प्रकार 12 उद्यमियों को राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार एवं एक राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार व एक राजस्थान हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष देने का प्रावधान है। जिसमें प्रत्येक विजेता को एक लाख रुपये की धनराशि, शॉल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। योजनान्तर्गत 2 स्तरीय चयन समितियों का गठन किया गया हैं, आयुक्त, उद्योग की अध्यक्षता

में प्रारम्भिक चयन समिति एवं प्रमुख शासन सचिव, एमएसएमई/उद्योग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय चयन समिति का गठन किया गया हैं।

उद्योग रत्न पुरस्कार हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार पुरस्कारों के चयन हेतु प्रारम्भिक चयन समिति की अभिशंषा उपरान्त राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कारों हेतु उद्यमियों का चयन किया जाता है, जिसका अंतिम अनुमोदन माननीय उद्योग मंत्री, राजस्थान सरकार से कराया जाता है।

वर्ष 2020–21 के दौरान निम्नानुसार 4 उद्यमियों को उद्योग रत्न, 1 हस्त शिल्पी को हस्त शिल्प रत्न पुरस्कार एवं 1 बुनकर को बुनकर रत्न पुरस्कार हेतु चयन किया गया :–

क.स.	उद्योग रत्न पुरस्कार हेतु चयनित उद्यमी/हस्तशिल्पी/बुनकर का नाम एवं पता	उद्यम का प्रकार
1.	श्री धर्मेन्द्र कुमावत, मै. हैण्डीक्राफ्ट विला, जयपुर	सूक्ष्म उद्यम
2.	श्री अमित खड़गावत, मै. एसएस ब्लोकेम प्रा.लि. हनुमानगढ	लघु उद्यम
3.	श्री विमल भंसाली, मै. सोमी कन्वेयर बेल्टिंग्स लि., जोधपुर	लघु उद्यम
4.	श्रीमती छाया खण्डेलवाल, खण्डेलवाल मिनरल्स, अलवर	लघु उद्यम
5.	श्री बाबूलाल मारोटिया, जयपुर	हस्तशिल्पी
6.	श्री गंगासिंह गौतम, दौसा	बुनकर

(xi) उद्योगों हेतु मेले, प्रदर्शनी व हाट व्यवस्था

(उद्यम प्रोत्साहन संस्थान तथा शहरी एवं ग्रामीण हाट के माध्यम से)

राज्य सरकार ने राज्य के दस्तकारों, बुनकरों एवं लघु उपकर्मियों के उत्पादों की मार्केटिंग हेतु राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर औद्योगिक प्रदर्शनियों का आयोजन, बायर–सेलर मीट आदि करने के लिए उद्यम प्रोत्साहन संस्थान का गठन माह सितम्बर, 1995 में किया गया। संस्थान के माध्यम से वर्ष 2020–21 में 46 मेला प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया, जिनमें 1944 ईकाईयों/दस्तकारों/लघु उपकर्मियों ने भाग लिया तथा लगभग 221.47 लाख रूपये की बिक्री एवं क्रय आदेश प्राप्त हुए।

उद्यम प्रोत्साहन संस्थान द्वारा वर्षपर्यन्त दस्तकारों/बुनकरों/स्वयं सहायता समूहो एवं लघु उपक्रमियों के उत्पादों के प्रदर्शन एवं विक्रय की दृष्टि से राज्य में निम्न 10 ग्रामीण हाट एवं 4 शहरी हाट स्थापित किये गये हैं:–

<u>ग्रामीण हाट</u>:– भीलवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, झुंझुंनू, राजसमन्द, उदयपुर, कोटा, दौसा एवं जैसलमेर।

<u>शहरी हाट</u>:– जयपुर, जोधपुर, अजमेर एवं सीकर।

(सीकर हाट का कुछ निर्माण कार्य शेष है जिसे पूर्ण कराने की कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है।)

शहरी एवं ग्रामीण हाटों का विवरण

क्र.सं.	नाम	पता	टेलीफोन	कॉन्टेक्ट परसन
1.	शहरी हाट, जयपुर	मन्दिर बलदेवजी परशुराम द्वारा परिसर, जलमहल के सामने, आमेर रोड़, जयपुर	0141.2227731	अधिशाषी निदेशक, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जयपुर
2.	शहरी हाट, जोधपुर	झालामंड चौराहा, पाली रोड़, जोधपुर	0291.2431937	महाप्रबंधक, जिउके, जोधपुर
3.	शहरी हाट, अजमेर	आनासागर झील के पास, वैशाली नगर, अजमेर	0145.2970791	महाप्रबंधक, जिउके, अजमेर
4.	शहरी हाट, सीकर	कृषि उपज मण्डी के सामने आईआईटी के पास, जयपुर रोड़ ,सीकर	01572.245434	महाप्रबंधक, जिउके, सीकर
5.	ग्रामीण हाट, भीलवाड़ा	खसरा नं. 1489 ग्राम हरनी, तह. –भीलवाड़ा	01482.240906	महाप्रबंधक, जिउके, भीलवाड़ा
6.	ग्रामीण हाट, भरतपुर	खसरा नं. 1691, कम्पनी बाग, भरतपुर	05644.222422	महाप्रबंधक, जिउके, भरतपुर
7.	ग्रामीण हाट, बीकानेर	सेक्टर–2, जयनारायण व्यास नगर, बीकानेर	0151.2200325	महाप्रबंधक, जिउके, बीकानेर
8.	ग्रामीण हाट, चित्तौड़गढ़	ग्राम सेती, उदयपुर रोड़, चित्तौड़गढ़	01472.256073	महाप्रबंधक, जिउके, चित्तौड़गढ
9.	ग्रामीण हाट, नाथद्वारा (राजसमन्द)	लालबाग, नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द	02952.221382	महाप्रबंधक, जिउके, राजसमन्द
10.	ग्रामीण हाट, जैसलमेर	मगरा ग्राम–जैसलमेर जिला–जैसलमेर	02992.252273	महाप्रबंधक, जिउके, जैसलमेर
11.	ग्रामीण हाट, कोटा	छत्र विलास उद्यान, कोटा	0744.2363129	महाप्रबंधक, जिउके, कोटा
12.	ग्रामीण हाट, उदयपुर	रेती स्टेण्ड, सवसिटी सेन्टर, सविना, उदयपुर	0294.2490941	महाप्रबंधक, जिउके, उदयपुर
13.	ग्रामीण हाट, दौसा	जयपुर रोड़, दौसा	01427.224430	महाप्रबंधक, जिउके, दौसा
14.	ग्रामीण हाट, झुन्झुनू	ग्राम–आबूसर, जिला झुन्झुनू	01592.250013	महाप्रबंधक, जिउके, झुन्झुनू

वर्ष 2020–21 में उद्यम प्रोत्साहन संस्थान द्वारा आयोजित मेला– प्रदर्शनियों / क्रेता–विक्रेता सम्मेलनों का विवरण

क्र.सं.	मेला प्रदर्शनी	मेला प्रदर्शनी स्थल	अवधि		प्रतिभागियों की अनुमानित संख्या	बिक्री / विक्रय अनुमान (रूपये लाखों में)
			कब से कब तक	कुल दिवस		
1.	गांधी शिल्प बाजार	राजस्थान हाट जयपुर	16.1.2021 से 25.1.2021	10	80	3.56
2.	काफ्ट बाजार	राजस्थान हाट जयपुर	26.01.2021 से 4.02.2021	10	70	2.96
3.	काफ्ट बाजार	राजस्थान हाट जयपुर	1.01.2021 से 10.01.2021	10	70	3.01
4.	स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो	राजस्थान हाट जयपुर	19.02.2021से 04.03.2021	14	50	8.70
5.	हस्त शिल्प प्रदर्शनी	राजस्थान हाट जयपुर	5.03.2021 से 14.03.2021	10	30	
6.	हस्त शिल्प प्रदर्शनी	राजस्थान हाट जयपुर	15.03.2021 से 24.032021	10	30	
7.	हस्त शिल्प प्रदर्शनी	राजस्थान हाट जयपुर	25.03.2021 से 3.04.2021	10	30	
8.	स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो	जोधपुर	01.03.21 से 14.03.21	14	45	7.85
9.	स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो	अजमेर	08.03.21 से 21.03.21	14	48	11.27
10.	गांधी शिल्प बाजार	अजमेर	21.01.2021 से 31.01.2021	10	80	----
11.	गांधी शिल्प बाजार	अजमेर	2.02.2021 से 11.02.2021	10	80	----
12.	गांधी शिल्प बाजार	अजमेर	13.02.2021 से 22.02.2021	10	80	----
13.	गांधी शिल्प बाजार	अजमेर	24.02.2021 से 05.03.2021	10	80	----
14.	गांधी प्रदर्शनी	अजमेर	31.03.2021 से 9.04.2022	10	80	----
15.	राजस्थान दिवस पर उद्योग काफ्ट मेला	अजमेर	22.03.2021 से 31.03.2021	10	36	4.86
16.	साप्ताहिक मंगल हाट	भरतपुर	प्रत्येक सप्ताह मंगलवार (26 दिवस)	27	900	167.66
17.	स्पेशल हैण्डलूम एक्सपों	भरतपुर	14.03.2021 से 27.03.2021	14	40	7.00
18.	ऊनी वस्त्र प्रदर्शनी	भरतपुर	1 माह (01.12.20 से 31.12.2020)	31	40	2.05
19.	ऊनी वस्त्र प्रदर्शनी	भरतपुर	11 दिवस (21.11.20 से 31.11.2020)	11	35	.80
20.	ऊनी वस्त्र प्रदर्शनी	भरतपुर	1 माह (01.01.2021से 31.01.2021)	31	40	1.75
	कुल योग			276	1944	221.47

(xii) औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर

औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने तथा उद्योग स्थापना से सम्बन्धित नियमों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी देने हेतु जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों द्वारा जिला एवं पंचायत समिति के स्तर पर औद्योगिक प्रोत्साहन शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन औद्योगिक शिविरों में उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने से संबंधित मार्गदर्शन के साथ–साथ उद्योगों के एन्टरप्रन्योर मेमोरेण्डम, कच्चेमाल की उपलब्धता, मशीन सप्लायर्स, राज्य में उपलब्ध संसाधन, वित्तीय सुविधाओं, उद्योगों को देय सहायता/सुविधाओं आदि के बारे में जानकारी देने के साथ–साथ शिविरों में उपस्थित होने वाले उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की जानकारी वाले पम्पलेट्स वितरित किये जाते हैं एवं वित्तीय संस्थाओं के ऋण आवेदन पत्र तैयार करने तथा स्वीकृतियाँ जारी कराने आदि कार्य भी शिविर स्थल पर ही सम्पन्न किये जाते हैं।

औद्योगिक प्रोत्साहन शिविरों का आयोजन

क्र0सं0	वर्ष	जिला स्तर		पंचायत समिति स्तर	
		लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति
1.	2018–19	35	62	248	254
2.	2019–20	35	46	248	255
3.	2020–21	–	29	–	179
4.	2021–22 (माह दिसम्बर, 2021 तक)	–	26	–	92

(xiii) विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र (DRM)

राज्य में नये निवेश को प्रोत्साहित करने एवं विद्यमान उद्यमों के सुचारू संचालन के लिए एक प्रभावी तंत्र जहाँ निवेशक एवं उद्यमी अपनी समस्याओं को स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत कर सके तथा राजकीय नियमों एवं योजनाओं के संबंध में अपने अमूल्य सुझाव भी दे सकें, इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य में विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार(ग्रुप–3) विभाग की आज्ञा क्रमांक प. 6(27)प्र.सु./अनु 3/2019 दिनांक 11.7.2019 के क्रम में की गई है। विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार है:–

1. राजस्थान राज्य में स्थित सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद स्तर की मैन्यूफेक्चरिंग एवं सेवा इकाइयों के संचालन में आने वाली कठिनाइयों का निवारण।
2. राजस्थान राज्य में नव स्थापित होने वाली सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद स्तर की मैन्यूफेक्चरिंग एवं सेवा इकाइयों में निवेश सम्बन्धित कठिनाइयों का निवारण :– इसमें वे सभी मामले शामिल होंगे जिनका सम्बन्ध राज्य सरकार के किसी विभाग से अनुमति/अनापत्ति लेने से सम्बन्ध रखते हो।
3. न्यायिक एवं अर्द्धन्यायिक प्रकृति के प्रकरण तंत्र की परिधि से बाहर हैं।

विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की संरचना द्वि–स्तरीय हैं। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। जिला स्तर पर विवाद एवं शिकायत निवारण तंत्र की बैठकों का नियमित आयोजन किया जा रहा है। जिनमें निर्धारित कार्यक्षेत्र के अनुरूप निवेश प्रोत्साहन एवं उद्यमों के सुचारू संचालन सम्बन्धित विषयों पर समुचित कार्यवाही की जा रही है।

(xiv) एमनेस्टी स्कीम, 2021

राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, 1990 के प्रावधान सं.– 14 (ब) अन्तर्गत

राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु दिनांक 01.04.1990 को अधिसूचित राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, 1990 में दोषी रही औद्योगिक इकाईयों को राहत प्रदान करने हेतु दिनांक 23.09.2021 को **एमनेस्टी स्कीम, 2021** लागू की गई है।

जिसके प्रावधान निम्नानुसार है :–

- राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना 1990 अन्तर्गत इस योजना का नाम ''**एमनेस्टी स्कीम, 2021**'' है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने की तिथि से **31.03.2022** तक प्रभावी रहेगी।
- राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, 1990 के प्रावधान संख्या–14 में उल्लेखित शर्तो की पालना में असफल रही इकाईयों से वसूलनीय अनुदान पर प्रभारित ब्याज माफ कर लाभान्वित किया जायेगा।
- **योजनान्तर्गत वे इकाईयां पात्र होगी जो –**
- राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, 1990 के अन्तर्गत वसूलनीय मूल अनुदान राशि दिनांक 31.03.2022 तक संबंधित वितरण एजेन्सी को जमा करा देती है।

अथवा

- जिन इकाईयों द्वारा पूर्व में ही वसूलनीय मूल अनुदान राशि सम्बन्धित वितरण एजेन्सी को जमा करा दी गई है तथा जिनसे केवल ब्याज की राशि वसूलनीय है।
- **प्रकिया :–**
- योजना के प्रावधान संख्या–3 में उल्लेखित इकाई द्वारा राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, 1990 के अन्तर्गत वसूलनीय मूल अनुदान की न्यूनतम 50 प्रतिशत राशि जमा कराने के पश्चात संबंधित वितरण एजेन्सी को निर्धारित प्रारूप में मय साक्ष्य/दस्तावेज के आवेदन किया जायेगा।
- संबंधित वितरण एजेन्सी संधारित रिकार्ड अनुसार प्राप्त आवेदन पत्र एवं संलग्न साक्ष्य/दस्तावेजों की जांच कर पात्र पाये जाने पर इकाई से वसूलनीय शेष मूल अनुदान

एवं सम्पूर्ण ब्याज राशि माफ करने हेतु आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य को अभिशंषा प्रेषित करेगी।

- **अनुदान वितरण एजेन्सी से प्राप्त प्रस्ताव की जांच उपरान्त आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य द्वारा सम्बन्धित इकाई से वसूलनीय ब्याज राशि को माफ करने हेतु आदेश जारी किया जायेगा।**
- **प्रगति :– दिसम्बर, 2021 तक 9 इकाईयों को लाभान्वित किया जा चुका है।**

(xv) भौगोलिक संकेत (जीआई) टेंगिग

भौगोलिक संकेत (जीआई) उन उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक संकेत है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उस मूल के कारण गुण या प्रतिष्ठा होती है। जीआई के रूप में कार्य करने के लिए, एक संकेत को किसी उत्पाद को किसी दिए गए स्थान पर उत्पन्न होने के रूप में पहचानना चाहिए। इसके अलावा, उत्पाद के गुण, विशेषताएं या प्रतिष्ठा मूल रूप से मूल स्थान के कारण होनी चाहिए। चूंकि गुण उत्पादन के भौगोलिक स्थान पर निर्भर करते हैं, इसलिए उत्पाद और उसके उत्पादन के मूल स्थान के बीच एक स्पष्ट सम्बन्ध होता है।

राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों से प्राप्त जीआई टेंगिग हेतु प्रस्ताव जो प्राप्त हुए हैं।

क. संख्या	जिले का नाम	उत्पाद
1	चित्तौड़गढ़	अकोला दाबू प्रिन्ट
2	भरतपुर	भुसावर अचार मुरब्बा
3	झुंझुनू	खेतडी का अचार
4		चिडावा का पेडा
5	अजमेर	किशनगढ पेंटिग
6	अलवर	कलाकन्द
7	उदयपुर	ग्रीन मार्बल
8	श्रीगंगानगर	किन्नू
9	कोटा	कोटा स्टोन
10	टोंक	नमदा
11	राजसमंद	नाथद्वारा की पिछवई
12	भीलवाडा	फड
13	जयपुर	पंजा दरी
14		जयपुरी रजाई
15	बीकानेर	उस्ताकला
16	जैसलमेर	यलो स्टोन

- मुख्यालय द्वारा अलवर के कलाकंद उत्पाद का जीआई उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के मार्फत भारत सरकार को रजिस्ट्रेशन हेतु भिजवाया गया हैं।

भाग– 3

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की प्रमुख विशिष्ट योजनाएँ

(1) सामान्य स्वरोजगार योजनाएँ–

(i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

परिचय :

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 से उद्योग विभाग **(DIC)** द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड **(KVIB)** व खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग **(KVIC)** द्वारा संचालित ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को सम्मिलित करते हुये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नामक नवीन योजना वर्ष 2008–09 से प्रारम्भ की गई है। योजना की क्रियान्वयन एवं नोडल एजेन्सी खादी और ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई है।

उद्देश्य :

योजना का उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामोद्योग एवं औद्योगिक व सेवा क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा देकर नवीन परियोजनाओं की स्थापना करते हुए रोजगार के नये अवसर प्रदान करना है। योजनान्तर्गत आरक्षण का प्रावधान नहीं है, परन्तु योजना का उद्देश्य पिछड़े वर्ग को अधिक से अधिक लाभान्वित करना है।

योजना की पात्रता :

- आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष से अधिक हो।
- कम से कम 8वीं पास (विनिर्माण क्षेत्र में रू. 10 लाख और सेवा क्षेत्र में रू. 5 लाख से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए)।
- योजनान्तर्गत ऋण लेने हेतु व्यक्तिगत आवेदक के अतिरिक्त उत्पादन आधारित कॉपरेटिव सोसायटीज, सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में पंजीकृत संस्थान एवं स्वयं सहायता समूह भी पात्र है।
- आवेदक की पारिवारिक आय की अधिकतम सीमा सम्बन्धित प्रावधान नहीं है।
- केवल विनिर्माण क्षेत्र अथवा सेवा क्षेत्र में नये स्थापित होने वाले उद्यम योजनान्तर्गत पात्र है।

पात्र गतिविधियॉ :–

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जारी निषिद्ध सूची में उल्लेखित परियोजनाओं को छोड़कर सभी उद्योग।
- परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण इकाई के लिए अधिकतम 25.00 लाख ओर सेवा इकाई के लिए रू. 10.00 लाख।

क्रियान्वयन अभिकरण :–

सम्पर्क को आसान बनाने के लिए प्रत्येक जिले में तीन अभिकरण कार्य कर रहे है :–

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग (ग्रामीण क्षेत्र)
- राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (ग्रामीण क्षेत्र)
- जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र (शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्र)

बैंक :

समस्त सरकारी क्षेत्र के बैंक व ग्रामीण बैंक, राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित आईसीआईसीआई बैंक, एयू बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)

परिचालन क्षेत्र :

खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 2006 के तहत यथाघोषित ग्रामीण क्षेत्र से आशय :–

- कोई ऐसा वर्गीकृत क्षेत्र जो राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के राजस्व अभिलेखों के अनुसार गॉव की परिभाषा के अन्तर्गत आता हो।
- कोई भी गॉव, नगर या कस्बा जिसकी जनसंख्या 20 हजार से अधिक न हो।

योजनान्तर्गत देय लाभ :

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लाभार्थी की श्रेणी	**लाभार्थी का अंशदान (परियोजना लागत का)**	**मार्जिनमनी (सब्सिडी) (परियोजना लागत का)**	
क्षेत्र (परियोजना/इकाई की अवस्थिति)		**शहरी क्षेत्र**	**ग्रामीण क्षेत्र**
सामान्य श्रेणी	**10%**	**15%**	**25%**
विशेष श्रेणी (अजा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यक/महिला/पूर्व सैनिक/शारीरिक दिव्यांग/सीमावर्ती क्षेत्र)	**05%**	**25%**	**35%**

ऋण की मात्रा :

- बैंक सामान्य श्रेणी के उद्यमी को परियोजना लागत की 90 प्रतिशत ऋण राशि तथा विशेष श्रेणी के लाभग्राहियों/संस्थाओं के मामले में 95 प्रतिशत ऋण राशि स्वीकृत कर भुगतान करेंगें।
- बैंक परियोजना की स्थापना के लिए सम्पूर्ण स्वीकृत राशि जारी करेंगे।
- परियोजना लागत में भूमि की कीमत शामिल नहीं की जाएगी।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अधीन रू 10.00 लाख तक के प्रोजेक्ट्स पर कोलेटरल सिक्योरिटी (प्रतिभूति) का प्रावधान नहीं है।

आवेदन प्रकिया :

वित्तीय वर्ष 2017–18 से योजना को पूर्णतया ऑनलाईन कर दिया गया है। योजनान्तर्गत आवेदन करने हेतु **https://www.kviconline.gov.in** पर लॉगइन कर आवेदन किया जा सकता है।

मार्जिनमनी :

- वित्तीयन बैंक द्वारा ऋण की प्रथम किश्त जारी किये जाने पर ऑनलाईन मार्जिनमनी क्लेम मय दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात् नियमानुसार मार्जिनमनी सम्बन्धित बैंक को जारी की जा सकेगी।
- वित्तीय बैंक द्वारा मार्जिनमनी राशि प्राप्त होने के उपरान्त उक्त राशि को लाभार्थी के नाम से तीन वर्ष की टीडीआर में रखनी होगी।
- टीडीआर पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा और न ही उसकी समतुल्य राशि पर ब्याज प्रभारित किया जायेगा।
- मार्जिनमनी राशि का समायोजन इकाई के भौतिक सत्यापन उपरान्त ही किया जायेगा।

भौतिक सत्यापन :

- योजनान्तर्गत बैंकों द्वारा वित्त पोषित इकाइयों की वास्तविक स्थापना और कामकाज की स्थिति का 100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन खादी और ग्रामोद्योग आयोग बाहरी अभिकरण से करायेगा।
- बाहरी अभिकरण से प्राप्त भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार क्रियान्वयन ऐजेन्सी द्वारा मार्जिनमनी को उद्यमी के खाते में जमा करने के संबंध में संबंधित बैंक को समयोजन आदेश जारी किया जायेगा।
- समायोजन आदेश उपरान्त ही मार्जिनमनी राशि संबंधित लाभार्थी के पक्ष में समायोजन किया जायेगा।

अपात्र गतिविधियॉ :

- मांस से जुड़े उद्योग/रोजगार अथवा उसका प्रसंस्करण, डिब्बाबन्दी या मांसाहारी खाद्य पदार्थ आदि, कोई ऐसा होटल या ढाबा जहॉ शराब या मांसाहारी भोजन परोसा जाता हो।
- बीड़ी, पान, सिगार, सिगरेट आदि नशीली वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री साथ ही कच्चे माल के रूप में तम्बाकू का प्रयोग, ताड़ी निकालना और बेचना।
- चाय, कॉफी रबर आदि के बागान सहित फसलों की खेती से जुड़े उद्योग/कार्य, रेशमपालन (ककून पालन) बागवानी, हार्वेस्टर सहित पुष्पोद्यनिकी, मत्स्य पालन, सूअर पालन, मुर्गी पालन जैसे पशुपालन कार्य।
- 20 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन की थैलियों का विनिर्माण और पुनः एकीकृत प्लास्टिक से बने थैले या कन्टेनर या कोई ऐसा उत्पाद जो पर्यावरण को नुकसान पहुॅचा सकता है।
- कताई व बुनाई कार्यक्रम से संबंधित उद्योग।
- परिवहन।
- राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित गतिविधियॉ।

प्रगति :–

क.सं.	वर्ष	लक्ष्य (इकाई संख्या)	ऋण वितरण (संख्या)	मार्जिन मनी (लाख रूपयें)
1.	2018–19	1245	1609	4742.13
2.	2019–20	1362	2112	5149.19
3.	2020–21	1080	1709	4655.68
4.	2021–22 (31 दिसम्बर 2021 तक)	1452	898	2756.56

(ii) मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना

स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से योजना प्रारम्भ की गई थी। योजनान्तर्गत बैंकों के माध्यम से अधिकतम 10 लाख रू. तक का ऋण 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान लाभ के साथ उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान था। योजना वर्तमान में संचालन में नहीं है, किन्तु पूर्व में वितरित ऋणों पर ब्याज अनुदान का पुर्नभरण किया जा रहा है। वितरित ऋणों पर 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान पुर्नभरण का प्रावधान है। वर्षवार प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :–

क.सं.	वर्ष	ब्याज अनुदान पुनर्भरण (राशि लाख रू.)
1.	2018–19	168.05
2.	2019–20	69.38
3.	2020–21	16.29
4.	2021–22 (माह दिसम्बर 2021 तक)	4.32

(iii) भामाशाह रोजगार सृजन योजना (BRSY)

भामाशाह रोजगार सृजन योजना दिनांक 13.12.2015 से प्रारम्भ की गई थी। योजना की कालावधि 13 दिसम्बर, 2015 से 31 मार्च 2020 थी, जिसे बाद में संशोधित करके 13 दिसम्बर, 2015 से 20 जून 2019 कर दी गयी। **योजना बन्द हो चुकी है।**

योजनानतर्गत बैंकों के माध्यम से अधिकतम 25 लाख रू. तक का ऋण 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान लाभ के साथ उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान था। योजना वर्तमान में संचालन में नहीं है, किन्तु पूर्व में वितरित ऋणों पर ब्याज अनुदान पुर्नभरण दिया जा रहा है। वितरित ऋणों पर 5 वर्ष तक ब्याज अनुदान पुर्नभरण का प्रावधान है।

प्रगति :–

क. सं.	वर्ष	ऋण वितरण (इकाई संख्या)	बैंकों द्वारा ऋण वितरण (राशि करोड़ रू.)	ब्याज अनुदान (राशि लाख रू.)
1.	2018–19	10025	166.40	133.7
2.	2019–20	-		279.69
3.	2020–21	-		266.55
4.	2021–22 (माह दिसम्बर 2021 तक)	-		129.40

(iv) मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY)

(कियान्वयन अवधि दिनांक 17.12.2019 से 31.03.2024)

- **उद्देश्य** :– प्रदेश में उद्यमों की सरल स्थापना एवं राज्य के सभी वर्गों के व्यक्तियों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने हेतु बैंकों के माध्यम से ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की गई है।

- **ऋणदात्री संस्थान** :–योजना अन्तर्गत वित्तीय संस्थानों (राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत निजी क्षेत्र के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा अनुसूचित स्मॉल फाईनेंस बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्त निगम एवं सिडबी) के माध्यम से विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम हेतु ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

- **उद्यम के प्रकार** :– नये स्थापित होने वाले उद्यम के साथ–साथ पूर्व स्थापित उद्यम भी विस्तार/विविधीकरण/आधुनिकीकरण इत्यादि हेतु लाभान्वित हो सकेंगे।

- **आवेदक** :–योजना अन्तर्गत व्यक्तिगत आवेदक के साथ–साथ संस्थागत आवेदक (स्वयं सहायता समूह/सोसायटी/भागीदारी फर्म/एल.एल.पी.फर्म/कम्पनी) भी पात्र होंगे। योजनान्तर्गत उद्यम का स्थापना क्षेत्र राजस्थान राज्य होगा। व्यक्तिगत आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होना आवश्यक होगी।

- **ऋण की मात्रा** :–योजनान्तर्गत नवीन इकाईयों के लिए अधिकतम 10 करोड़ रू. तक का ऋण उपलब्ध करवाया जायेगा। व्यापार हेतु ऋण की अधिकतम सीमा 1 करोड़ रूपये रहेगी। ऋण का स्वरूप कम्पोजिट ऋण/सावधि एवं कार्यशील पूंजी (सी.सी.लिमिट सहित) होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशानुसार 10 लाख रू. तक के ऋण पर सम्पार्श्विक प्रतिभूति की मांग नहीं की जायेगी।

- **ब्याज अनुदान** :–बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण पर ब्याज अनुदान के रूप में लाभार्थियों को प्रदान किया जायेगा, जो पॉच वर्ष तक नियमानुसार देय होगा :–

क.सं.	अधिकतम ऋण राशि	ब्याज अनुदान
1	25 लाख रू. तक	8%
2	25 लाख रू. से 05 करोड़ रू. तक	6%
3	05 करोड़ से 10 करोड़ रू. तक	5%

प्रकिया :–योजना में आवेदन ऑनलाईन आवेदन हेतु SSO.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सिटीजन एप में स्थित MLUPY के माध्यम प्रस्तुत करना होगा, जिसकी प्रक्रिया योजना कियान्वयन हेतु निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुसार होगी। 10 लाख रू तक के ऋण आवेदन पत्र बिना साक्षात्कार के एवं इससे अधिक ऋण प्रकरणों को जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा स्क्रूटनिंग पश्चात् मय अभिशंषा के बैंकों को अग्रेषित किए जा सकेंगें।

- <u>अपात्र गतिविधियाँ :</u>
  - मांस, मदिरा व मादक पदार्थो से बने उत्पादों का निर्माण व विक्रय।
  - विस्फोटक पदार्थ।
  - परिवहन वाहन, जिसकी ऑन–रोड कीमत 10 लाख रू. से अधिक हो।
  - पुनः चक्रित न किये जा सकने वाले पॉलिथीन व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक उत्पाद।
  - भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रतिबन्धित उत्पाद/गतिविधियाँ।
  - कृषि एवं सम्बन्ध गतिविधियाँ (पशुपालन,पक्षीपालन मत्स्यपालन सहित)।
- <u>प्रगति :–</u>

क. सं.	वर्ष	लक्ष्य (इकाई संख्या)	ऋण वितरण (इकाई संख्या)	बैंकों द्वारा ऋण वितरण (राशि करोड़ रू.)	ब्याज अनुदान (राशि करोड़ रू.)
1.	2018–19	योजना वित्तीय वर्ष 2019–20 में लागू			
2.	2019–20	3000	239	33.75	–
3.	2020–21	10000	8259	2016.14	2.98
	2021–22 (माह दिसम्बर, 2021 तक)	10000	1601	485.32	21.65

(2) हस्तशिल्प एवं संबंधित विकास योजनाएँ

(क) राज्य में हस्तशिल्पः वस्तुस्थिति व सम्भावना– विकास, सम्भावना व हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात

• राज्य में हस्तशिल्प विकास

राजस्थान के आर्थिक विकास में हस्तशिल्प अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य का हस्तशिल्प विश्वविख्यात है। यह क्षेत्र स्थानीय लोगों को रोजगार ही नहीं प्रदान करता बल्कि इससे विदेशी मुद्रा भी राज्य को प्राप्त होती है। राजस्थान के हस्तशिल्पों में मुख्यतः धातु शिल्प, पीतल पर नक्काशी, बन्धेज (टाई एण्ड डाई), तारकशी, मिनिएचर पेन्टिंग, कशीदा कार्य, एल्युमिनियम टायज, वुडन कारविंग फर्नीचर, मार्बल की मूर्तियां, वुडन एण्ड मेटल क्राफ्ट, कारपेट (गलीचा), ब्ल्यू आर्ट पॉटरी, टेराकोटा (मिट्‌टी के बर्तन), पेपरमेशी, मार्बल स्टोन कारविंग, लकड़ी/कागज/हाथी दांत पर नक्काशी, कोटा डोरिया, थेवा क्राफ्ट, डाईंग एण्ड प्रिटिंग (हाथ ठप्पा छपाई) से सम्बन्धित हस्तशिल्प सम्मिलित है। राज्य में हस्तशिल्प विकास की विपुल संभावनाएं है। राज्य के पृथक–पृथक जिलों में प्रारम्भ से ही विभिन्न हस्तशिल्पों का विकास हुआ है। विभिन्न सांस्कृतिक एवं लोक कलाओं के साथ इनमें क्षेत्रीय परिवर्तन हुए, जिसके कारण आज राजस्थान में क्षेत्र अनुसार अनेक हस्तशिल्प प्रचलित है। राज्य में विकसित अधिकांश हस्तशिल्प दैनिक कार्यो में उपयोगी है, इसलिए यहां के हस्तशिल्प का बाजार न केवल ड्राइंगरूम या होटलों की सजावट करता है वरन् दैनिक उपयोग भी

सुनिश्चित करता है। इसलिए राजस्थान के हस्तशिल्प की सदैव मांग बनी रहती है। राज्य से हस्तशिल्प के निर्यात की भी विपुल संभावनाएं है। हस्तशिल्प के निर्यात में राजस्थान में जोधपुर ने एल्यूमिनियम एवं आयरन हैण्डीक्रॉफ्ट्स, बाडमेर ने वुडन कारविंग एवं जयपुर ने मार्बल की मूर्तियों व हस्तशिल्प उत्पादों (यथा कारपेट, प्रिन्टेड कपड़ा) के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ठ पहचान स्थापित कर ली है।

- **राज्य में हस्तशिल्प की सम्भावना**

राज्य में हस्तशिल्प विकास की विपुल सम्भावनाएँ हैं। राज्य के पृथक–पृथक जिलों में प्रारम्भ से ही विभिन्न हस्तशिल्पों का विकास हुआ। विभिन्न सांस्कृतिक एवं लोक कलाओं के साथ इनमें क्षेत्रीय परिवर्तन हुए। जिसके कारण आज राजस्थान में क्षेत्र अनुसार अनेक हस्तशिल्प प्रचलित है। राज्य में विकसित अधिकांश हस्तशिल्प दैनिक कार्यो में उपयोगी है। इसलिए यहां के हस्तशिल्प का बाजार न केवल ड्राइंगरूम या होटलों की सजावट करता है वरन् दैनिक उपयोग भी सुनिश्चित करता है। इस कारण राजस्थान के हस्तशिल्पियों की सदैव मांग बनी रहती है। राज्य से हस्तशिल्प के निर्यात की भी विपुल सम्भावनाएँ है। हस्तशिल्प के निर्यात में जोधपुर ने एल्यूमिनियम एवं आयरन हैण्डीक्रॉफ्ट्स, बाड़मेर ने वुडन कार्विंग एवं जयपुर ने मार्बल की मूर्तियों व हस्तशिल्प उत्पादों (यथा कारपेट, प्रिन्टेड कपड़ा) के क्षेत्र में अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित की है।

(ख) हस्तशिल्प विकास योजनाएँ

(i) हस्तशिल्पी (आर्टीजन) परिचय पत्र

विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, भारत सरकार की इस योजना में राज्य में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से हस्तशिल्पियों का परिचय पत्र जारी कर, उनका पंजीकरण किया जाता है। तदुपरान्त भारत सरकार के कार्यक्रमों, योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हे लाभ प्रदान किया जाता है। राज्य में मार्च, 2016 से राज्य सरकार द्वारा संचालित आर्टीजन पंजीयन पोर्टल (www.sso.rajasthan.gov.in) के माध्यम से हस्तशिल्पियों का पंजीयन किया जा रहा है। माह दिसम्बर 2021 तक 52,716 हस्तशिल्पियों का पंजीयन किया जा चुका है।

क्र0 सं0	वर्ष	लक्ष्य	विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार द्वारा जारी करवाये गये परिचय पत्र/ राज्य सरकार द्वारा जारी परिचय पत्र (SSO Portal)
1.	2018–19	25000	8743
2.	2019–20	19500	5346
3.	2020–21	9366	3484
4.	2021–22 (दिसम्बर 2021 तक)	–	1485

(ii) शिल्पियों हेतु बाजार सहायता योजना

राज्य के कुशल शिल्पियों को राष्ट्रीय एवं स्थानीय हस्तशिल्प प्रदर्शनियों में भाग लेने पर दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता एवं स्टाल शुल्क में रियायत हेतु यह योजना राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है। योजनान्तर्गत शिल्पी को द्वितीय श्रेणी का यात्री किराया एवं राज्य में प्रदर्शनी में भाग लेने पर 350 रुपये एवं राज्य से बाहर 450/— रु.प्रतिदिन दैनिक भत्ता देय है। स्टॉल शुल्क में 50 प्रतिशत रियायत अधिकतम 4,500/— रुपये प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021—22 में दिसम्बर 2021 तक योजनान्तर्गत 98 हस्तशिल्पियों को कुल 12.44 लाख रूपये का लाभ दिया जा चुका है।

(3) हाथकरघा (Handloom) विकास योजनाएँ

(क) हाथकरघा उद्योग : वस्तुस्थिति व सम्भावना

- स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी उत्पादो को बढावा दिये जाने हेतु स्वदेशी आन्दोलन प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार द्वारा 7 अगस्त, 2015 को प्रथम राष्ट्रीय हैण्डलूम दिवस मनाये जाने की घोषणा की गई जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय हाथकरघा उद्योग के महत्व को सामान्यजन तक पहुँचाना था। अब तक चैन्नई, बनारस एवं गुवाहाटी में राष्ट्रीय हैण्डलूम दिवस मनाया गया है।
- हाथकरघा उद्योग एक असंगठित क्षेत्र है जो कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है। प्रदेश में हाथकरघा बुनकरों की आबादी में लगभग 85 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं शेष अल्प संख्यक मुस्लिम समुदाय के गरीब बुनकर है। उक्त दोनो ही वर्गो के बुनकर आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य विभाग राज्य के बुनकरों, बुनकर समितियों, शीर्ष समितियों, निगमों, उद्यमियों, निर्यातकों, रंगाई एवं छपाई के कामगारों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन प्रत्येक जिले में स्थापित जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों के माध्यम से करता है। राजस्थान में तृतीय हाथकरघा गणना 2017—18 के अनुसार 13409 बुनकर कार्यरत है।
- **प्रदेश के प्रमुख हाथकरघा उत्पादः**— प्रदेश के प्रमुख हाथकरघा उत्पाद कोटा डोरिया साडी, पट्टू, खेस, रेजा, लठ्ठा, बरडी, कम्बल, लोई, शॉल, बगरू व सांगानेरी प्रिन्टेड चादरें, तोलिये, टेरीकॉट वस्त्र, गॉज, बैन्डेज, दरियां, जाजम आदि हैं।

राज्य में हाथकरघा विकास से जुडी निम्न संस्थाऐं कार्यरत हैं:–

राजस्थान में हाथकरघा उद्योग एक प्रमुख उद्योग है। राज्य में हाथकरघा के विकास हेतु कार्यालय, आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नोडल विभाग है। हाथकरघा विकास हेतु राजस्थान हाथकरघा विकास निगम, राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ कार्यरत है।

- **राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लि., जयपुरः–** राजस्थान हाथकरघा विकास निगम की स्थापना कम्पनी अधिनियम–1956 के अन्तर्गत अप्रेल, 1984 में की गई थी। निगम के छः क्षेत्रीय कार्यालय यथा :– जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा एवं उदयपुर में स्थित हैं इसके अतिरिक्त निगम की 16 विपणन इकाइयां स्थापित है ।

  निगम का मुख्य उद्‌देश्य बुनकरों को आधुनिक हाथकरघों पर बुनाई का प्रशिक्षण देना, हाथकरघों के आधुनिकीकरण के लिए बुनकरों को सहायता उपलब्ध करवाना, कच्चा माल, (यार्न) उपलब्ध कराना, तैयार माल का विपणन में सहायता देना, बुनाई व छपाई की आधुनिक डिजाईन तैयार करवा कर व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन करवाना एवं हाथकरघा विकास के लिए अनुसंधान करना है।

- **राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि., जयपुरः–** राजस्थान में सहकारिता के क्षेत्र में हाथकरघा उद्यागों की प्रगति एवं प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ–साथ बुनकरों की कठिनाईयों के निवारण हेतु राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि. का गठन 26 अगस्त 1957 को किया गया था। बुनकर संघ की वर्तमान में 500 से अधिक प्राथमिक सहकारी समितियां सदस्य है। बुनकर संघ द्वारा राज्य में 16 एवं राज्य के बाहर नई दिल्ली में एक डिपों संचालित किये जा रहे हैं। जिसके द्वारा राज्य एवं राज्य के बाहर प्रदर्शनियों में भाग लेकर हाथकरघा कपड़े की बिक्री में सहयोग दिया जा रहा है। बुनकर संघ ने अपने गठन के पश्चात राज्य एवं केन्द्र सरकार के द्वारा प्रदान की गई हिस्सा पूँजी एवं सदस्य सहकारी समितियों द्वारा तैयार माल का विपणन कर परिसम्पत्तियां अर्जित की गई।

- **बुनकर सेवा केन्द्रः–** वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की हाथकरघा सम्बन्धी योजनाओं को राज्य सरकार तथा सहकारी संघों के साथ समन्वय स्थापित कर लागू करने हेतु भारत सरकार द्वारा जुलाई **1978 में बुनकर सेवा केन्द्र, जयपुर की स्थापना** की है, जिसका मुख्य उद्‌देश्य डिजाईन, रंगाई/छपाई एवं बुनाई के नमूने बनाकर बुनाई तकनीक का विकास एवं सुधार करना एवं प्रदर्शनियों एवं सेमीनारों का समय–समय पर आयोजन करना, पारम्परिक वस्त्रों के नमूनों का परीक्षण करना एवं हाथकरघा वस्त्रों को बढावा देना है।

- **भारतीय हाथकरघा प्रोद्योगिकी संस्थान जोधपुरः–** राज्य में हाथकरघा का प्रशिक्षण (त्रिवर्षीय डिप्लोमा कोर्स) दिये जाने हेतु जोधपुर में भारतीय हाथकरघा प्रोद्योगिकी संस्थान कार्यरत है। संस्थान में राजस्थान के लिये 17 सीट आरक्षित है। संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त करने

वाले राज्य के छात्रों को राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है।

प्रथम वर्ष	:	रू. 500/– प्रतिमाह
द्वितीय वर्ष	:	रू. 550/– प्रतिमाह
तृतीय वर्ष	:	रू. 600/– प्रतिमाह

- **हाथकरघा वस्त्रों के विपणन हेतु मेले व हाट बाजारः**– उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जयपुर द्वारा वर्ष पर्यन्त राज्य के पृथक–पृथक जिलों में राज्य/ जिला स्तरीय औद्योगिक मेलों का आयोजन किया जाता है।
- **स्पेशल/नेशनल हैण्डलूम एक्सपोः**– विकास आयुक्त (हाथकरघा) वस्त्र मंत्रालय सरकार द्वारा वर्ष पर्यन्त देश के पृथक–पृथक राज्यों में एक्सपो आयोजित किये जाते हैं, जिनमें बुनकर सहकारी समितियां अपने उत्पाद का प्रदर्शन एवं बिक्री कर सकती है।

(ख) हाथकरघा उद्योग से सम्बन्धित योजनाएँ

विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही निम्नांकित हाथकरघा विकास सम्बन्धी मुख्य योजनाओं की प्रगति का विवरण निम्नानुसार हैः–

(i) उत्पाद विविधीकरण योजना

योजनान्तर्गत देश के अन्य राज्यों में राज्य सरकार के व्यय पर राज्य में कार्यरत बुनकरों को अन्य राज्यों में हाथकरघा इकाइयों के डिजाइन, नवीन तकनीकी उत्पादों एवं उत्पादन क्षमता के अध्ययन हेतु भेजा जाता है, जिससे राज्य के बुनकर अन्य राज्यों में उपयोग में ली जा रही नवीन तकनीकी, उत्पादों के विविधिकरण, डिजाईन विकास, हाथकरघा वस्त्रों के विपणन तथा अन्य राज्यों में संचालित हाथकरघा विकास की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। वर्ष 2021–22 में योजनान्तर्गत 25–25 बुनकरों के दो दलो का गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्यों की यात्रा किया जाना प्रस्तावित है।

क्र0सं0	वर्ष	बुनकरों की संख्या	बुनकरों से सम्बन्धित जि.उ.केन्द्र	यात्रा स्थल/राज्य का नाम
1.	2016–17	25 20	नागौर राजसमन्द	पश्चिम बंगाल मध्यप्रदेश
2.	2017–18	25 25	कोटा कोटा	मध्यप्रदेश पश्चिम बंगाल
3.	2018–19	25 25	राजसमन्द बूंदी	तमिलनाडु कर्नाटक
4.	2019–20	कोविड–19 महामारी के कारण आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य द्वारा यात्रा स्थगित कर दी गई। आवंटित राशि को समर्पित कर दिया गया है।		
5.	2020–21			

(ii) बुनकर पुरस्कार योजना

राज्य सरकार द्वारा राज्य के कुशल बुनकरों/सहकारी समितियों को उनके द्वारा उत्पादित उत्कृष्ट उत्पादों एवं गतिविधियों को पहचान व सम्मान दिलाने के लिए जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर नकद पुरस्कार दिये जाने की योजना 2005–06 से प्रारंभ की गई।

बुनकर पुरस्कार हेतु वर्तमान में जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर दी जाने वाली राशि निम्नानुसार है :–

जिला स्तर	**राज्य स्तर**
प्रथम – 5,100/–रु.	21,000/–रु.
द्वितीय – 3,100/–रु.	11,000/–रु.
तृतीय – 2,100/–रु.	7,100/–रु.
सांत्वना– 1,100/–रु.(2)	3,100/–रु.(2)

क्र0सं0	वर्ष	बजट प्रावधान (रू. लाखों में)	पुरस्कृत बुनकरों की संख्या
1.	2018–19	3.00	80
2.	2019–20	3.00	92
3.	2020–21	3.00	90
4.	2021–22 दिसम्बर 2021 तक	3.00	69

(iii) बुनकरों के पंजीयन हेतु ऑन लाईन पोर्टलः–राज्य सरकार द्वारा बुनकरों के पंजीयन/ बुनकर कार्ड के लिए ऑन लाईन वीवर रजिस्ट्रेशन पोर्टल (Weaver Registration Portal) स्थापित किया है। इस पोर्टल के माध्यम से दिसम्बर 2021 तक 10623 बुनकरों का पंजीयन किया जा चुका है।

(4) कपड़ा (Textile) उद्योग व उससे संबंधित योजनाएँ

(क) कपड़ा उद्योग : वस्तुस्थिति व सम्भावना

राजस्थान का वस्त्र उद्योग सदियों पुराना उद्योग है। राजस्थान देश में अपनी पहचान कपास, ऊन, पॉलिस्टर विस्कोस यार्न, सिन्थेटिक शूटिंग, सर्टिंग तथा कपड़ा बुनाई छपाई, हस्तनिर्मित वस्त्र निर्माण तथा हैण्डीक्राफ्ट टैक्सटाईल के उत्पादन कार्य में रखता है। भीलवाड़ा, बांसवाडा तथा किशनगढ (अजमेर) सिन्थेटिक, पॉलिस्टर विस्कार्स, शूटिंग सर्टिंग में संपूर्ण भारत में नई छवि के रूप में विकसित हुआ है। पाली, बालोतरा (बाडमेर), सांगानेर एवं बगरू (जयपुर) प्रोसेसिंग तथा रंगाई छपाई के लिए देश में ही नही अपितु संपूर्ण विश्व में अपनी पहचान बनाये हुए है। राजस्थान की कोटा डोरियां साड़ियां जो कोटा, बूंदी एवं बारां में हस्तनिर्मित हैं, वह भी विश्व विख्यात हैं।

राजस्थान का वस्त्र उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का प्रमुख साधन रहा है। पावरलूम क्षेत्र में 3000 से अधिक स्थापित इकाईयों के द्वारा 60 हजार लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

जैसलमेर, बाड़मेर एवं बीकानेर में प्रचुर मात्रा में ऊन का उत्पादन होता है जो कि देश की 30 प्रतिशत ऊन की उपलब्धता को पूर्ण करता है। इसी तरह भीलवाड़ा, चित्तौड़, अजमेर, जोधपुर,बीकानेर, नागौर, गंगानगर तथा हनुमानगढ में कपास का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है जिससे राज्य में 24 जिनिंग एवं प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित है। इन उद्योगों के माध्यम से ही लगभग 2 लाख से अधिक भेड़ पालकों तथा किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है। जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है।

राजस्थान में कपास के उत्पादन से कपड़ा रंगाई छपाई तक की श्रृंखला में लगभग 7–8 लाख व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है। टैक्सटाईल के एक्सपोर्ट के माध्यम से प्रदेश को आय का स्त्रोत प्राप्त होने के साथ–साथ रोजगार सृजन भी हो रहा है।

(ख) कपड़ा उद्योग से सम्बन्धित योजनाएँ

(i) एकीकृत प्रोसेसिंग विकास योजना

(Integrated Processing Development Scheme)

वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा टेक्सटाईल इकाईयों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रण करने के उद्देश्य से एकीकृत प्रोसेसिंग विकास योजना प्रारंभ की गई। योजनान्तर्गत परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम 75 करोड़ रूपयें) केन्द्र सरकार द्वारा व 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा व 25 प्रतिशत एस.पी.वी. **(SPV)** स्वयं के स्रोत तथा बैंक आदि से

ऋण/सहायता प्राप्त कर वहन किया जाता है। राज्य में आई.पी.डी.एस. योजनान्र्तगत निम्नलिखित परियोजना स्वीकृत की गई है :—

क्र. स.	परियोजना **का नाम एवं क्षमता**	स्वीकृति वर्ष	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	राज्यांश राशि	जारी की गयी राज्यांश राशि
1.	बालोतरा वॉटर पॉल्यूशन कन्ट्रोल ट्रीटमेट एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन ट्रस्ट, बालोतरा 18 एम.एल.डी.	2015—16	131.89	32.9725	15.95
2.	जसोल वाटर पॉल्यूशन कन्ट्रोल ट्रिटमेंट एण्ड रिसर्च आसमोसिस प्रा. लि, जसोल बाडमेर 2.5 एम.एल.डी.	2015—16	38.50	9.625	4.31
3.	सांगानेर एनवायरों प्रोजेक्ट डवलपमेंट, जयपुर 12.3 एम.एल.डी.	2016—17	159.00	39.75	39.75
4.	पाली वॉटर पॉल्यूशन कन्ट्रोल ट्रीटमेट एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन, पाली 12 एम.एल.डी.	2018—19	100.00	25.00	12.50
5.	नेस्टजेन टैक्सटाईल पार्क प्रा.लि., 3.1 एम.एल.डी से 8 एम.एल.डी.	2020—21	129.42	32.355	—

(ii) टेक्सटाईल पार्क योजना Scheme of Integrated Textile Park (SITP)

भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की प्रमुख योजना Scheme Of Integrated Textile Park (SITP) का संचालन राजस्थान में किया जा रहा है। योजनान्तर्गत Common Infrastracture, CETP, Captive Power Plants आदि की स्थापना हेतु परियोजना लागत का 40 प्रतिशत अथवा अधिकतम 40 करोड़ रूपयें की सहायता दिये जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार पार्को को Handholding Support प्रदान करती है।

वर्तमान में राज्य में 4 टेक्सटाईल पार्क्स कार्यरत है, जिनकी स्थिति निम्नानुसार है :—

क्र. स.	टेक्सटाईल पार्क का नाम	स्वीकृति वर्ष	परियोजना लागत (करोड़ रु.)	वर्तमान स्थिति
1.	जयपुर टेक्स विविंग पार्क, किशनगढ़, अजमेर	2005	96.81	पार्क विकसित
2.	किशनगढ़ हाईटैक टेक्स पार्क, किशनगढ़, अजमेर	2006	110.58	पार्क विकसित
3.	नेक्सजेन टेक्सटाईल पार्क, पाली	2007	101.40	पार्क विकसित
4.	जयपुर इन्टीग्रेटेड टेक्सक्राफ्ट पार्क, बगरू, जयपुर	2008	60.15	पार्क विकसित

(5) चर्म उद्योग व उससे सम्बन्धित योजनाएँ

(क) चर्म उद्योग : वस्तुस्थिति व सम्भावना

भारत के कुल कच्चे चमड़े का 13 प्रतिशत उत्पादन राजस्थान राज्य में होता है। राज्य में 57.73 मिलियन पशुधन है जबकि तमिलनाडु, कर्नाटक एवं आन्ध्रप्रदेश में यह संख्या आधी से भी कम है, जबकि लेदर प्रोडक्ट की अधिकांश फैक्ट्रियॉ इन्हीं राज्यों मे है। राज्य में 20 लाख से अधिक चर्म दस्तकार है जो कि पैतृक रूप से चर्म फुटवियर (मोजरी/जूती), लैदर गुड्स (बैल्ट, केब, पर्स) का कार्य कर रहे हैं, परन्तु उनको आधुनिक उपकरणों/ मशीनों की जानकारी नहीं होने के कारण उनको अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है। राज्य के चर्म उत्पादों की देश–विदेश में अत्यधिक मांग होने के बावजूद चर्म दस्तकारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है व आधुनिक मांग के अनुरूप अपने उत्पाद तैयार नहीं कर पाते है।

राजस्थान में चर्म उद्योग की वस्तु–स्थिति एवं संभावनाऐंः–

राजस्थान में ग्रामीण व अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में चर्म शिल्प परम्परागत रूप से आजीविका व स्व–रोजगार का मुख्य स्त्रोत रहा है। वर्तमान में मुख्यतः भीनमाल (जालौर), बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, अलवर, चितौड़गढ आदि जिलों में बहुतायत मात्रा में चर्म हस्तशिल्पी कार्यरत है।

संभावनाएंः–

कच्चे माल (चमड़ा) की उपलब्धताः–

राज्य में 57.73 मि. पशुधन उपलब्ध होने से चर्म उद्योग के लिए पर्याप्त कच्चे माल की उपलब्धता है, राज्य में भारत का 13 प्रतिशत कच्चे चमड़े का उत्पादन होता है। किन्तु राज्य में चर्म शोधन इकाइयों की कमी होने से राज्य के चर्म शिल्पियों को राज्य से बाहर से कच्चा माल क्रय करना पड़ता है।

श्रम की उपलब्धताः–

राज्य में 20 लाख से अधिक कुशल व अर्द्धकुशल चर्म दस्तकार है। जिन्हें आधुनिक डिजाइन एक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।

चर्म उत्पाद की मांग में वृद्धिः–

राज्य के भीतर, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में चर्म शिल्प उत्पादों यथा, लैदर गुड्स बैग, मौजड़ी जूतियां, बैल्ट, डायरीकवर, पर्स व लैदर फर्नीचर, डेकोरेविट आईटम आदि की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है।

निर्यात संर्वद्धनः–

चर्म शिल्प उत्पादों के निर्यात से राज्य व देश को विदेशी मुद्रा अर्जित की संभावना है।

रोजगार सृजनः–

चर्म शिल्प के एकीकृत विकास से राज्य में व्यापक रोजगार सृजन की संभावना है।

मानपुरा माचेडी चर्म औद्योगिक क्षेत्रः– राज्य सरकार द्वारा चर्म उद्योग के विकास के लिए मानपुरा माचेड़ी (जयपुर) में चर्म औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। इस क्षेत्र में 8 लेदर की इकाइयॉ स्थापित हुई है।

(ख) चर्म उद्योग से सम्बन्धित योजनाएँ

(i) चर्म प्रशिक्षण योजना

राज्य सरकार द्वारा चर्म उद्योग को बढावा देने, दस्तकारों के उत्पादन एवं गुणवता में सुधार, नई डिजाइन के उत्पाद तैयार कराने एवं स्वयं का रोजगार शुरू करने के उद्देश्य से वर्ष 1990 में चर्म प्रशिक्षण योजना को प्रारम्भ किया गया। योजना के अन्तर्गत चर्म रंगाई, नागरा जूती, लेदर गुड्स एवं लेदर टॉयज बनाने के नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षण जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों के माध्यम से दिलाया जाता है। यह प्रशिक्षण 2 माह का होता है। प्रशिक्षण के अंतर्गत 15 प्रशिक्षणार्थियों का बैच चर्म रंगाई एवं नागरा जूती हेतु तथा 20 प्रशिक्षणार्थियों का बैच लैदर गुड्स व लेदर टॉयज हेतु निर्धारित है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में 12.82 लाख रूपये का बजट प्रावधान है।

लाभान्वित वर्गः–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के 18 ये 35 वर्ष उम्र के व्यक्ति लाभान्वित होगें। चयन समिति को उम्र में 10 वर्ष तक की छूट देने का अधिकार है।

योग्यताः– प्रशिक्षणार्थियों को साक्षर होना आवश्यक है। 8 वीं पास एवं इससे अधिक पढ़े लिखे प्रशिक्षणार्थियों को वरियता दी जावेगी।

स्टाई फण्डः– प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान 500 रूपये प्रति माह स्टाई फण्ड दिया जाता है।

टूल किट्सः– प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के उपरांत स्वयं का रोजगार स्थापित कराने के उद्देश्य से 1000 रूपये तक के टूल किट्स उपलब्ध कराये जाते हैं।

आवेदनः– आवेदक को प्रशिक्षण हेतु सादे कागज पर अपना पूर्ण विवरण अंकित करते हुए सम्बन्धित महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा।

क्र. सं.	वर्ष	भौतिक लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि (संख्या)	आवंटित बजट (राशि लाख रु)	व्यय (राशि लाख रु)
1	2018—19	195	195	10.00	9.24
2	2019—20	195	195	10.00	8.75
3	2020—21	250	240	12.82	12.12
4	2021—22 (दिसम्बर 2021 तक)	300	110	15	3.93 (उक्त योजना में प्रशिक्षण संपादित होने के पश्चात् ही व्यय होता है।)

(ii) राजस्थान चर्म शिल्प विकास एवं आधुनिकीकरण योजना, 2012

राज. चर्म शिल्प विकास एवं आधुनिकरण योजनाः— चर्म दस्तकारों को चर्म उद्योग से संबंधित आधुनिक औजार शु—लास्ट (फर्मे) एवं मशीन आदि उपलब्ध करवाने पर चर्म दस्तकार बाजार में प्रचलित फैशन एवं मांग के अनुरूप उत्पाद तैयार कर, गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ—साथ आय में भी बढोतरी हो सके, इस हेतु योजनान्तर्गत चर्म दस्तकारों द्वारा बैंक से लिये गये ऋण का अधिकतम राशि 30000/—रूपये की सहायता राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान था।

चर्म दस्तकारों को आधुनिक औजार, शू—लॉस्ट (फर्मे) एवं उत्पाद से संबंधित मशीने क्रय करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017—18 से 2019—20 तक 168 चर्म दस्तकारों को राशि 23.94 लाख रूपये की सहायता उपलब्ध करवाई गई है।

वर्षवार प्रगति निम्नानुसार हैः—

क्र.सं.	वर्ष	भौतिक लक्ष्य (संख्या)	उपलब्धि (संख्या)	आवंटित बजट (राशि लाखों में)	व्यय (राशि लाखों में)
1	2017—18	100	64	10.00	8.44
2	2018—19	100	61	10.00	9.12
3	2019—20	102	43	10.00	6.38
	योग	**302**	**168**	**30.00**	**23.94**

नोटः— यह योजना 31 मार्च, 2020 से समाप्त हो गई है।

(6) नमक उद्योग व उससे सम्बन्धित योजनाएँ

- **लवण उद्योग : वस्तुस्थिति व सम्भावना– लवण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विवरण, लवण क्षेत्रों में सर्वेक्षण एवं सीमांकन**

राजस्थान भूमिगत जल से लवण निर्माण में सर्वोच्च स्थान रखता है। देश में उत्पादित नमक का लगभग 12 प्रतिशत हिस्सा राज्य में उत्पादित किया जाता है। यह उद्योग राज्य के रेगिस्तानी इलाकों में स्थित है, जो अकाल के समय में भी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। राज्य के खुले लवण क्षेत्रों में निजी इकाईयों को राज्य सरकार के उद्योग विभाग के माध्यम से लवण भूमि का आवंटन किया जाता है, जबकि आरक्षित लवण क्षेत्रों में राजकीय/केन्द्रीय उपक्रम विभागों द्वारा नमक उत्पादन का कार्य करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त लवण क्षेत्रों की परिधि में खातेदारों (कृषकों) जिनकी भूमि लवणीय हो गयी है, खातेदार (कृषक) द्वारा खातेदारी भूमि को कृषि से अकृषि भूमि में राजस्व विभाग के माध्यम से रूपान्तरित करवाकर लवण निर्माण का कार्य किया जाता है।

राजस्थान राज्य में खुले लवण क्षेत्र जोधपुर, नागौर, जैसलमेर, चूरू, सीकर व बाड़मेर जिलों में घोषित हैं। वर्तमान में राज्य के विभिन्न लवण क्षेत्रों में 656 इकाईयों को 10663.47 एकड़ भूमि आवंटित है, जिनसे लगभग 15.00 लाख से 17.00 लाख रुपये राजस्व आय प्रतिवर्ष प्राप्त होती है।

निजी खातेदारी द्वारा राजस्थान कृषि से अकृषि भूमि रूपान्तरण नियम–1961 के अन्तर्गत जिला कलक्टर को 10 एकड़ तक रूपान्तरण की शक्तियां प्रदत्त थी। वर्ष 1992 से पूर्व विभिन्न जिला कलक्टर्स द्वारा 642 इकाइयों की 4600 एकड़ भूमि को रूपान्तरित किया गया था। इन इकाइयों के संबंध में लीज निष्पादन, नवीनीकरण, हस्तांतरण की कार्यवाही उद्योग विभाग द्वारा ही सम्पादित की जाती है।

वर्ष 1992 के बाद कृषि से अकृषि लवण भूमि ग्रामीण क्षेत्र में भूमि संपरिवर्तन नियम 1992 एवं 2007 के तहत कृषि भूमि का लवण भूमि में संपरिवर्तन राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा हैं।

लवण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विवरण

लवण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने के तहत लवण क्षेत्रों में सड़क बनाने, पीने के लिए स्वच्छ जल, बांध निर्माण, विद्युतीकरण आदि के कार्य राज्य सरकार की एजेन्सीज यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सिंचाई विभाग एवं विद्युत विभाग के माध्यम से करवाये जाते हैं।

लवण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को विकसित किये जाने हेतु महाप्रबन्धकों द्वारा स्थानीय नमक उत्पादकों/संघों के प्रतिनिधियों से चर्चा कर, आवश्यकतानुसार प्रस्ताव प्राप्त कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाती है, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी की जाती हैं। गत तीन वित्तीय वर्षो के दौरान लवण क्षेत्रों मे निर्मित सड़को का विवरण नीचे सारणी मे दिया जा रहा है।

वर्ष 2018—2019 एवं 2019—20

क्र.स.	सड़क निर्माण कार्य का नाम	कुल व्यय राशि (रु.लाखो में)	कार्य की प्रगति
1.	**मलार रिण लवण क्षेत्र में बी.टी. सड़क का निर्माण —** प्लॉट सं. 99—87 के मध्य से भू.स. 96 के पश्चिमी किनारे से भू.स. 126 के दक्षिण किराने तक एवं भू. सं. 126—123 से भू.स. 530 बापरिण तक। (जोधपुर)	53.00	कार्य पूर्ण
2	**बाप रिण लवण क्षेत्र में बी.टी. सड़क का निर्माण —** प्लॉट नं. 39—60 से 42—57 के मध्य 900 मीटर बी.टी. रोड़ तक सड़क निर्माण (जोधपुर)	26.00	कार्य पूर्ण
3	**कुचामन लवण क्षेत्र में बी. टी. सड़क का निर्माण —** मुख्य सड़क से दक्षिणी दिशा की ओर दानाराम नाई के भूखण्ड तक वाया नन्दलाल किशनलाल मोर एवं रिद्धकरण दुग्गड के लवण भूखण्ड (नागौर)	21.00	कार्य पूर्ण
	योग	**100.00**	

वर्ष 2020—21

क्र. स.	सड़क निर्माण कार्य का नाम	कुल व्यय राशि (रु.लाखो में)	कार्य की प्रगति
1.	**जाब्दीनगर लवण क्षेत्र में सी.सी. रोड़ का निर्माण**— नावां—गुढ़ा साल्ट रोड 7/500 (तेजाजी टेम्पल से मेहताबसिंह के खारड़ा तक), जाब्दीनगर, नावां जिला नागौर	59.00	कार्य पूर्ण
	योग	**59.00**	

वर्ष 2021—22

क्र. स.	प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य का नाम	आवंटित राशि (रु.लाखो में)	कार्य की प्रगति
1.	मलार रिण लवण क्षेत्र में भूखण्ड संख्या (24)386 व (23)387 के मध्य होते हुए भू.स. (411)412 व (412)411 के मध्य तक मलार रिण भू.स. (409)414 के सड़क निर्माण कार्य, जिला—जोधपुर।	60.00	सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से टेन्डर जारी कर निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना है, जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
	योग	**60.00**	

लवण क्षेत्रों में सर्वेक्षण एवं सीमांकन

राज्य में अनेक क्षेत्रों में भूमि की क्षारीयता बढ़ जाने के कारण स्थानीय लोगों/जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर राज्य सरकार स्तर पर निर्णय उपरान्त लवण उत्पादन की संभावनाओं हेतु सर्वेक्षण कराया जाता है।

सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्र को लवण क्षेत्र घोषित कराया जाता हैं। घोषित लवण क्षेत्रों (आरक्षित व खुला क्षेत्र) के सीमांकन एवं प्लाटिंग का कार्य करवाया जाता है।

वर्ष 2020–21

क्र.स.	सर्वेक्षण एवं सीमाकंन कार्य	कुल व्यय राशि (रु.लाखो में)	कार्य की प्रगति
1.	कुचामन लवण क्षेत्र मे ब्राईन की उपलब्धता एवं घनत्व की जाँच, जिला नागौर	1.00	कार्य पूर्ण
2	सेड़वा तहसील जिला बाड़मेर स्थित लवण क्षेत्रों में पत्थरगढ़ी का कार्य	0.50	कार्य पूर्ण
	योग	**2.00**	

वर्ष 2021–22

क्र.स.	सर्वेक्षण एवं सीमाकंन कार्य	आवंटित राशि (रु.लाखो में)	कार्य की प्रगति
1.	मलार व बाप रिण लवण क्षेत्रों मे में उपलब्ध 106 रिक्त लवण भूखण्ड़ों के सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी का कार्य, तहसील फलोदी जिला जोधपुर	4.02	सीमांकन कार्य प्रक्रियाधीन है।
	योग	**4.02**	

(7) निर्यात

राज्य सरकार ने निर्यात की पहचान आर्थिक विकास को प्रेरित करने वाले क्षेत्रों में से एक के रूप में की है। राज्य से निर्यात का महत्व न केवल देश के राजस्व के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने में निहित है, बल्कि राज्य को अप्रत्यक्ष लाभ पहुँचाने में भी है। जैसे– उत्पादन हेतु बाजारों के विस्तार के अवसर, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार एवं अनुवर्ती तकनीक संचालन, संयंत्रों में तकनीकी उन्नयन, मशीनरी और विनिर्माण प्रक्रिया, वृहद् रोजगार के अवसर आदि। निर्यात प्रोत्साहन के लिए राज्य की प्रतिबद्धता का आंकलन नीति आयोग द्वारा जारी **निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI) रिपोर्ट 2020** द्वारा स्पष्टता से किया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान 62.59 के स्कोर के साथ **लैण्ड़लॉक्ड़ राज्यों की श्रेणी में देश में प्रथम** एवं **सम्पूर्ण देश में चौथे स्थान** पर रहा है।

(क) वस्तुस्थिति– राज्य से किये जा रहे निर्यात, सेक्टर वाईज निर्यात (2020–21)

- **राज्य से किये जा रहे निर्यात**

राज्य निर्यात के क्षेत्र में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2004–05 में राज्य से 8002.03 करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया गया था, जोकि बढकर वर्ष 2017–18 में 46476.92 करोड़ रुपये, वर्ष 2018–19 में 51178.41 करोड़, वर्ष 2019–20 में 49946.09 करोड़ रूपये हो गया। वर्ष 2020–21 में कोविड़ महमारी के बावजूद राज्य को निर्यात **52764.31** करोड़ रहा। राज्य से टेक्सटाईल्स, एग्रो, जैम्स एण्ड़ ज्वैलरी, इंजीनियरिंग, मेटल, डायमेंशनल स्टोन्स, केमीकल्स, हैण्डीक्राफ्ट्स, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि वस्तुओं का निर्यात प्रमुख से किया जा रहा है। राज्य से निर्यात होने वाली शीर्ष पाँच वस्तुओं के अन्तर्गत राज्य से होने वाले निर्यात का 50 प्रतिशत से अधिक भाग आता है। राज्य से किए गए निर्यातों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

S. NO.	**Product**	Year				
		2016-17	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
1.	Textiles	5256.61	5667.30	6750.11	6165.79	5729.29
2.	Agro & Food Products	3720.43	4204.84	4525.87	3708.96	3740.65
3.	Gem & Jewellery	5695.33	5264.38	5737.55	5109.60	4067.36
4.	Engineering	5629.20	7350.17	7632.99	7674.76	7781.81
5.	Metal 1.Ferrous 2.Non- Ferrous	 745.06 3129.20	 935.07 4065.19	 970.59 3343.21	 1216.60 3182.29	 1102.94 4180.75
6.	Dimensional Stones Marble, Granites,& articals of Stone Mica etc	3102.51	3172.40	3354.58	3208.81	4080.22
7.	Mineral fuels, Mineral oils & Products, Bituminous Substances, Mineral waxes, Ores, Slags & Ash	13.40	138.96	168.96	871.39	842.34
8.	Electronics & Computer Software	2439.73	2531.42	2833.24	2729.70	3016.01
9.	Wool & Woolens	62.93	91.73	139.11	130.74	62.30
10.	Chemical & Allied	3404.74	4231.55	5901.94	4260.30	5016.53
11.	Drugs & Pharmacuticals	469.28	604.64	1027.35	1899.69	2268.39
12.	Plastics & Linoleums	701.94	922.87	896.85	1178.65	1337.58
13.	Handicrafts	3831.36	3701.55	4825.42	5219.48	6205.32
14.	Leather & Leather products	266.66	296.89	356.85	226.25	193.43
15.	Readymade Garments	1660.61	1831.51	2078.28	2073.20	1764.40
16.	Carpet (Durries)	626.84	1095.32	625.67	563.08	464.70
17.	Others	20.28	371.13	9.84	526.81	910.28
	Total	**40776.11**	**46476.92**	**51178.41**	**49946.09**	**52764.31**

- वर्ष 2020–21 के दौरान राजस्थान से निर्यात में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

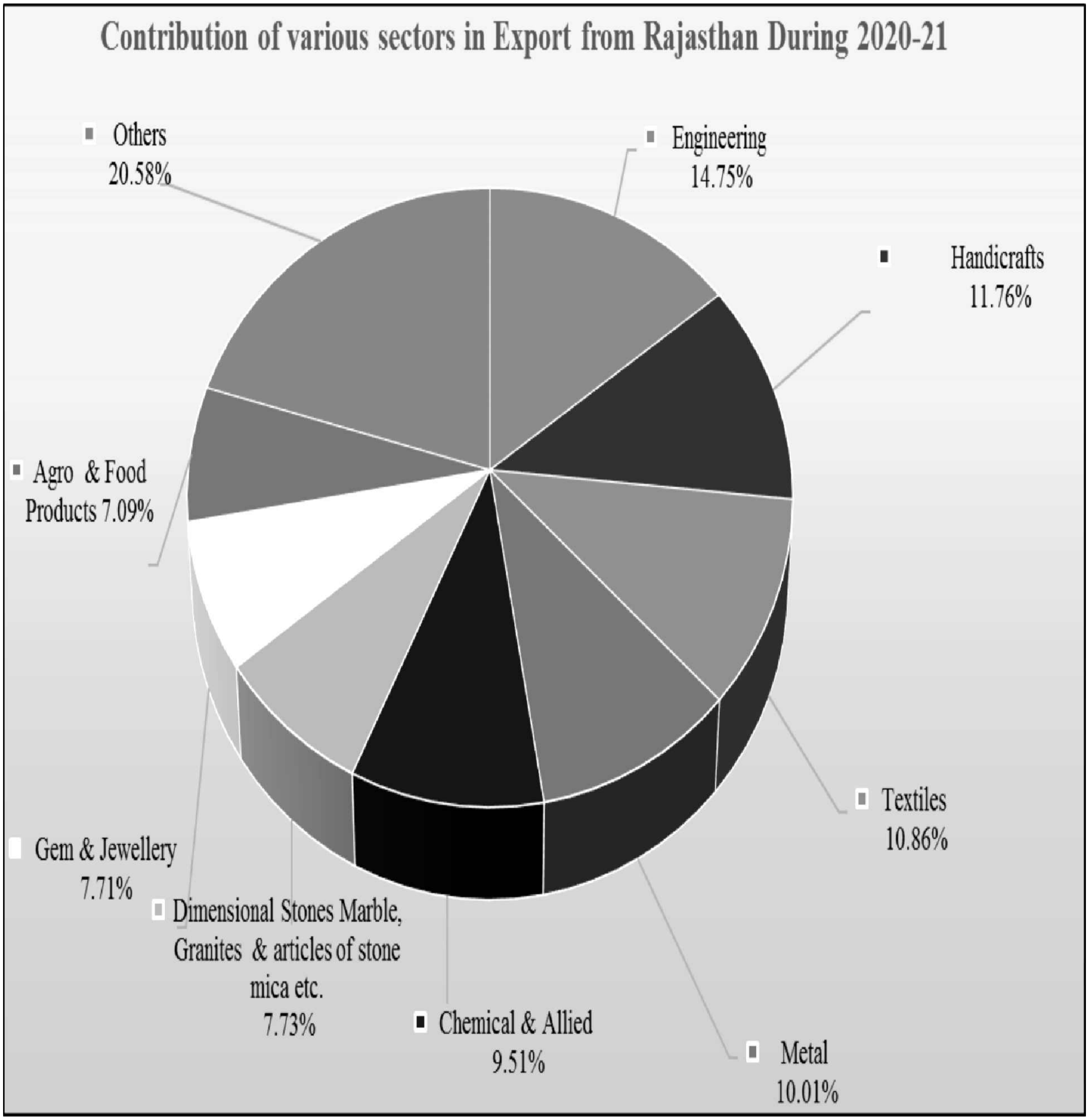

(ख) निर्यात से सम्बन्धित योजनाएँ

राज्य निर्यात के व्यापक विस्तार के लिए निरन्तर विभिन्न प्रोत्साहन पहलों को प्रारम्भ करने में प्रयासरत है, जो कि निम्नानुसार दिए गए हैः–

(i) अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने पर चुकाए गए ग्राउण्ड़ रेन्ट/सहभागिता शुल्क पर पुनर्भरण योजना

यह योजना 2012–13 से लागू की गयी है। योजनान्तर्गत विदेशों में आयोजित होने वाले अनुमोदित व्यापार मेलों में भाग लेने वाली इकाईयों को उनके द्वारा चुकाये गये ग्राउण्ड रेण्ट पर ग्राउण्ड रेण्ट का 30 प्रतिशत अथवा अधिकतम 1.00 लाख रुपये की दर से पुनर्भरण कराया जाता है ताकि इकाई अधिकाधिक संख्या में इन विदेशी मेलों में भाग लेकर बाजारों की खोज कर सके। वर्ष 2018–19 में 11 निर्यातकों को 9,67,700 रूपये एवं वर्ष 2019–20 में 7 निर्यातकों को 6,83,400 रुपये एवं वर्ष 2020–21 में योजनान्तर्गत 3 निर्यातकों को 3.00 लाख रूपये का पुर्नभरण किया गया। वर्ष 2021–22 में 5 निर्यातकों को 5 लाख रूपये का पुनर्भरण किया जा चुका है। **राज्य सरकार द्वारा योजना की अवधि 2 वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है।**

(ii) निर्यात प्रोत्साहन, प्रक्रिया एवं दस्तावेजीकरण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह योजना वर्ष 2012 से लागू की गयी थी। राज्य सरकार द्वारा योजना की अवधि 3 वर्ष बढाकर 31 मार्च, 2023 कर दी गयी है। ऐसे उद्यमी जोकि निर्यात के क्षेत्र में प्रवेश के इच्छुक है, उन उद्यमियों को निर्यात प्रक्रिया एवं दस्तावेजों तथा विश्व के बाजारों की जानकारी देने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गयी है ताकि वे अपना स्वयं का निर्यात व्यवसाय प्रारम्भ कर सके। योजनान्तर्गत 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 7 स्थानों अर्थात् बाडमेर, जैसलमेर, चित्तौडगढ़, सवाईमाधोपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर तथा भीलवाड़ा में कार्यक्रम आयोजित कराये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु राज्य से 7 जिलों (अजमेर, झुन्झुनू, जालौर, टोंक, धौलपुर, बाराँ एवं प्रतापगढ) का चयन किया गया है। किन्तु कोविड़–19 महामारी के परिणामस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों के कारण केवल अजमेर जिले द्वारा ही प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा सके।

(iii) राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना

वर्ष 2021–22 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद् (REPC) के माध्यम से कराया जा रहा है। राज्य के निर्यात को प्रोत्साहन करने एवं निर्यातकों के मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान निर्यात पुरस्कार योजना क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 1994 की औद्योगिक नीति में निर्यात पुरस्कार योजना लागू की गई जिसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष 19 वर्गों में 35 उत्कृष्ट निर्यातकों को पुरस्कार का प्रावधान था। वर्ष 2019–20 में इस योजना में संशोधन किया गया। वर्तमान में योजनान्तर्गत 15 श्रेणियों में 32 निर्यातकों एवं 1 नवीन श्रेणी (लाइफटाईम अचीवमेन्ट एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड) में प्रतिवर्ष राज्य के कुल 33 उत्कृष्ट निर्यातकों को सम्मानित किया जाता है। यह योजना वर्ष 2019 में पुनः अग्रिम 05 वर्षों के लिए (31 मार्च, 2024 तक) लागू कर दी गई है। वर्ष 2019 में एमएसएमई कॉन्क्लेव पर दिनांक 19.12.2019 को आयोजित कार्यक्रम में राज्य के 31 उत्कृष्ट निर्यातकों को पुरस्कृत किया गया था। योजनान्तर्गत वर्ष 2020 में उत्कृष्ट निर्यातकों को पुरस्कृत किये जाने हेतु आवेदन प्राप्त कर लिये गये है। वर्ष 2020 में राज्य के उत्कृष्ट निर्यातको को सम्मलित करने के उद्देश्य से 15 श्रेणियों में 28 एवं एक जीवनपर्यन्त निर्यात रत्न पुरूस्कार सहित कुल 29 निर्यातकों का चयन किया गया था। जिन्हे राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कर सम्मानित किया जाना था किन्तु कोविड़–19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के परिणामस्वरूप उक्त आयोजन संभव नही हो सका। वर्तमान में गत वर्ष में चयनित विजेताओं को वित्तीय वर्ष 2021–22 में सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन्स के अनुसार निर्णय किया जा सकेगा।

राज्य निर्यात पुरस्कार योजना 2019

(औद्योगिक नीति, 1994 के अनुक्रम में लागू राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के स्थान पर)

1. प्रस्तावना

राज्य सरकार द्वारा विकसित की गयी आधारभूत सुविधाओं तथा नीतियों के साथ–साथ राज्य के सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहद, व्यापारिक/निर्यातक इकाइयों एवं सेवा क्षेत्र से निर्यात को प्रोत्साहित करने एवं निर्यातकों का मनोबल बढाने के उद्देश्य से राज्य में निर्यात पुरस्कार योजना लागू किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए औद्योगिक नीति, 1994 के अनुक्रम में लागू राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना के स्थान पर नवीन राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना लागू की जा रही है।

2. उद्देश्य

राज्य में विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना

3. योजना की अवधि

राज्य निर्यात पुरस्कार योजना 1 अप्रेल, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक लागू रहेगी, जिसे समीक्षा कर आगे बढाया जा सकेगा।

4. पुरस्कार एवं उसकी श्रेणियां–

निर्यात पुरस्कार निम्नलिखित वस्तुओं अथवा वस्तु समूहों के लिए इन वस्तुओं/वस्तु समूहों के निर्माता/व्यापारी/निर्यातकों को पृथक–पृथक प्रदान किया जायेगाः–

क0सं0	वस्तु/वस्तु समूह	कुल चयनित किये जाने वाले निर्यातकों की संख्या		
		On the basis of Highest Export Turnover in Particular Category	**On the basis of Best Growth in exports in preceding 3 years**	**Total**
1.	कृषि आधारित, खाद्य प्रसंस्करण एवं जैविक खाद्य उत्पाद	1	1	2
2.	गलीचा, दरी एवं ऊन आधारित	1	1	2
3.	स्वर्ण/रजत/प्लेटिनम /कृत्रिम आभूषण	1	1	2
4.	मूल्यवान एवं अर्ध मूल्यवान पत्थर	1	1	2
5.	हस्तशिल्प	1	1	2
6.	खनिज आधारित उत्पाद	1	1	2
7.	वस्त्र	1	1	2
8.	सिले–सिलाये वस्त्र	1	1	2
9.	इलेक्ट्रोनिक्स एवं कम्पयूटर हार्डवेयर	1	1	2
10.	अभियांत्रिकी	1	1	2
11.	रसायन, दवाईयां एवं संबद्ध उत्पाद	1	1	2
12.	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर/केपीओ/ बीपीओ/ पर्यटन/स्वास्थ्य एवं अन्य सेवायें (सॉफ्टवेयर व सेवा क्षेत्र की श्रेणी)	1	1	2
13.	महिला उद्यमी(निर्यातक) इकाई	1	1	2
14.	विदेशी सैलानियों को काउंटर बिक्री	1	1	2
15.	विविध (चर्म, मेटल एवं अन्य उत्पाद, जोकि उपरोक्त वर्गों में शामिल नहीं हो)	2	2	4
Total		**16**	**16**	**32**

उक्त के अतिरिक्त प्रति वर्ष एक इकाई को Life Time Achievement Export Ratna Award से सम्मानित किया जाएगा। इस प्रकार Life Time Achievement Export Ratna Award सहित प्रति वर्ष चयनित इकाईयों की कुल संख्या 33 होगी।

इनके लिए प्रावधान निम्नानुसार होंगे–

I. एक बार पुरस्कृत इकाई आगामी 2 वर्षों के लिए इस योजना में पुरस्कार हेतु पात्र नहीं होगी।

II. जीवनपर्यन्त निर्यात रत्न पुरस्कार (Lifetime Achievement Export Ratna Award) अथवा राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार एक बार प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाई भविष्य में इस योजनान्तर्गत किसी भी वर्ग में पुरस्कार हेतु पात्र नहीं होगी ।

III. चयनित इकाईयों को पुरस्कार स्वरूप प्रमाण–पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किये जाएगें।

IV. **जीवनपर्यन्त निर्यात रत्न पुरस्कार** (Lifetime Achievement Export Ratna Award) के लिए प्रावधान निम्नानुसार होंगे–

राज्य से निर्यात संवर्द्धन में अपनी सहभागिता एवं राज्य के औद्योगिक विकास में अपना अत्यधिक महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करने वाली औद्योगिक निर्यातक इकाईयों को विशेष रूप से सम्मानित किये जाने के लिए नई पुरस्कार श्रेणी– जीवनपर्यन्त निर्यात रत्न पुरस्कार (Lifetime Achievement Export Ratna Award) का गठन कर पुरस्कार प्रदान किया जायेगा, जिसके लिए प्रत्येक वर्ष में निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करने वाली केवल एक निर्यातक औद्योगिक इकाई पात्र होगी :–

1. निर्यातक औद्योगिक इकाई विगत 15 वर्षों से निरन्तर उत्पादनरत् हो।
2. इकाई द्वारा विगत 12 वर्षों से निरन्तर निर्यात किया जा रहा हो।
3. इकाई के निर्यात में विगत 3 वर्षों से निरन्तर वृद्धि दर्ज हो रही हो।
4. इकाई द्वारा विगत 5 वर्षों में निरन्तर 500 अथवा अधिक व्यक्तिओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध कराया गया हो।
5. निर्यातक औद्योगिक इकाई अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य स्तर पर शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों/संस्थाओं या भारत सरकार की निर्यात संवर्द्धन परिषदों/बोर्ड/ प्राधिकरण से कम से कम 2 निर्यात पुरस्कार प्राप्त हों।
6. निर्यातक औद्योगिक इकाई ने विगत तीन वर्षों में सीएसआर के तहत कुल 10 करोड़ रूपये अथवा अधिक का व्यय/योगदान प्रदान किया हुआ हो।

7. निर्यातक औद्योगिक इकाई ने विगत 3 वर्षों में कम से कम प्रतिवर्ष 100 करोड़ रूपये का निर्यात किया हो।

जीवनपर्यन्त निर्यात रत्न पुरस्कार (Lifetime Achievement Export Ratna Award) के लिए एक वर्ष में एक से अधिक पात्र इकाइयां होने पर जिस इकाई की उत्पादन तिथि सबसे पुरानी होगी, वही पुरस्कार हेतु पात्र होगी।

5. योजना में पात्रता की शर्तें

राज्य निर्यात पुरस्कार योजना राजस्थान में कार्यरत औद्योगिक/व्यापारिक/निर्यातक इकाइयों के लिए लागू की गयी है। इस योजना में निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करने वाले निर्यातक लाभान्वित किये जाने हेतु पात्र होंगे :–

1. इस योजना के लागू होने से पूर्व विगत 2 वर्षों में निर्यात प्रोत्साहन एवं पुरस्कार योजना में लाभान्वित हो चुकी इकाई वित्तीय वर्ष 2019–2020 में इस योजना के तहत पुरस्कार प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगी।
2. इस योजना में पुरस्कार प्राप्त करने वाली इकाई आगामी 2 वित्तीय वर्ष तक इस योजनान्तर्गत पुनः पुरस्कार हेतु पात्र नहीं होगी।
3. इकाई/इकाई के भागीदार, स्वामी, निदेशकों के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है/अन्य प्रकरण में शास्ति होने पर इकाई को पात्र नहीं माना जायेगा। इकाई को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. पुरस्कार निर्धारण वर्ष में 10 करोड़ रू0 से कम मूल्य का निर्यात करने वाली इकाई योजना में अपात्र होगी।
5. काउन्टर सेल टू टूरिस्ट वर्ग में ऐसी इकाइयॉ लाभान्वित हो सकेगी जोकि पुरस्कार निर्धारण वर्षं में 5 करोड़ रूपये से अधिक की विदेश मुद्रा का व्यापार करती हो।
6. **पुरस्कार चयन हेतु मापदंड–** पुरस्कार चयन हेतु मापदंड निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगाः–

S.No.	Sub-Category	Methodology
1.	Highest Export	प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी कर संबंधित केटेगिरी में संबंधित वर्ष (अवार्ड वर्ष) में अधिकतम निर्यात करने वाली इकाई का समिति द्वारा चयन किया जाएगा।

<table>
<tr><td>2.</td><td>Best Growth</td><td>इसके लिए प्राप्त आवेदनों में से गत तीन वर्षों में से उनके निर्यात को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सूत्र के अनुसार गणना करते हुए संबंधित केटेगरी में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली इकाई/आवेदक का चयन किया जायेगा–
<table>
<tr><th>क्र. स.</th><th>मानदण्ड बिन्दु</th><th>कुल अंक</th><th>अंकों का वितरण का आधार</th><th>अधिकतम अंक</th></tr>
<tr><td rowspan="5">1.</td><td rowspan="5">निर्यात पुरस्कार वर्ष में पिछले वर्ष के मुकाबले वृद्धि पर।</td><td rowspan="5">50</td><td>25% तक वृद्धि होने पर</td><td>10 अंक</td></tr>
<tr><td>25 %से अधिक व 50%तक वृद्धि होने पर</td><td>20 अंक</td></tr>
<tr><td>50 %से अधिक व 75%तक वृद्धि होने पर</td><td>30 अंक</td></tr>
<tr><td>75 %से अधिक व 100 %तक वृद्धि होने पर</td><td>40 अंक</td></tr>
<tr><td>100 %से अधिक वृद्धि होने पर</td><td>50 अंक</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2.</td><td rowspan="5">निर्यात पुरस्कार से पिछले वर्ष में उससे पहले के वर्ष के मुकाबले वृद्धि पर</td><td rowspan="5">50</td><td>25% तक वृद्धि होने पर</td><td>10 अंक</td></tr>
<tr><td>25 %से अधिक व 50%तक वृद्धि होने पर</td><td>20 अंक</td></tr>
<tr><td>50 %से अधिक व 75%तक वृद्धि होने पर</td><td>30 अंक</td></tr>
<tr><td>75 %से अधिक व 100 %तक वृद्धि होने पर</td><td>40 अंक</td></tr>
<tr><td>100 %से अधिक वृद्धि होने पर</td><td>50 अंक</td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल अंक</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Lifetime Achievement Award</td><td>कमेटी को इकाई द्वारा प्रस्तुत आंकडों के विश्लेषण के उपरान्त इस वर्ग में सर्वसम्मति से एक इकाई के चयन का अधिकार होगा।</td></tr>
</table>

6. निर्यात पुरस्कार निर्धारण समिति

राज्य निर्यात पुरस्कार योजना में प्राप्त आवेदन पत्रों में से पुरस्कार हेतु पात्र इकाईयों के चयन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जायेगा : –

1.	अतिरिक्त / प्रमुख / शासन सचिव, उद्योग	**अध्यक्ष**
2.	आयुक्त, उद्योग	सदस्य
3.	सीएमडी / एमडी, रीको	सदस्य
4.	सीएमडी / एमडी, राज. लघु उद्योग निगम	सदस्य
5.	संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, जयपुर	सदस्य
6.	क्षेत्रीय निदेशक / प्रबन्धक,जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल	सदस्य
7.	क्षेत्रीय प्रबन्धक, ईपीसी फॉर हैण्डीक्राफट	सदस्य
8.	क्षेत्रीय निदेशक / प्रबन्धक एपरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल	सदस्य
9.	अध्यक्ष, फेडेरेशन ऑफ राजस्थान एक्सपोटर्स	सदस्य
10.	अध्यक्ष, फेडेरेशन ऑफ राजस्थान हैण्डीक्राफ्ट एक्सपोटर्स	सदस्य
11.	अध्यक्ष, कन्फडरेशन ऑफ इण्डियन इण्डस्ट्री	सदस्य
12.	अध्यक्ष, राजस्थान चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्ड0, जयपुर	सदस्य
13.	अध्यक्ष, फेडेरेशन ऑफ चेम्बर ऑफ कामर्स एण्ड0, जयपुर	सदस्य
14.	अतिरिक्त निदेशक, उद्योग (वरिष्ठतम)	**सदस्य सचिव**

नोटः–

1. राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन परिषद (राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉउन्सिल) के गठन की स्थिति में उन्हें भी इसमें सम्मिलित किया जायेगा और उनके सुझावों के अनुरूप वांछित संशोधन किया जा सकेगा।
2. औद्योगिक संगठनों के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि ही बैठक में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।

7. समिति का कार्य क्षेत्र

समिति प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर पात्रता के आधार पर पुरस्कार हेतु निर्यातक इकाईयों का चयन करेगी। समिति के पास यह अधिकार होगा कि यदि किसी वस्तु अथवा वस्तु समूह हेतु प्राप्त आवेदन पत्र, उस वर्ग में निर्धारित पुरस्कार संख्या से अधिक है और अन्य किसी वर्ग में आवेदन ही प्राप्त नहीं हुआ है तो अधिक आवेदन प्राप्त होने वाले वर्ग में पुरस्कारों की संख्या बढा सकेगी, जो प्रतिवर्ष कुल 33 अवार्ड से अधिक नही होगी।

8. आवेदन पत्र आमंत्रण एवं पुरस्कार समयावधि

उपरोक्त पुरस्कार के लिए सर्वप्रथम राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर अथवा विज्ञापन प्रसारित कर, आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जायेंगे, जिसकी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। विज्ञापन जारी होने की सूचना संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार कार्यालय, निर्यात संवर्द्धन परिषदों, निर्यातक ऐसोसियेशन्स को भी प्रेषित की जाएगी। आवेदक निर्यातक इकाई

अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन संबंधित जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों अथवा कार्यालय आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान, जयपुर में प्रस्तुत करेगी।

चूंकि इकाईयों द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदन भारत सरकार के आयकर विभाग/कंपनी रजिस्ट्रार विवरणी प्रतिवर्ष माह सितम्बर/अक्टूबर तक भरने का प्रावधान है, इसलिए इस योजना में लाभान्वित किये जाने के लिए प्रतिवर्ष आवेदन पत्र वित्तीय वर्ष समाप्त होने के उपरांत माह नवम्बर या दिसम्बर में आमन्त्रित किये जायेंगे एवं माह मार्च तक सभी चयनित इकाईयों को राज्य स्तरीय समारोह मे पुरस्कृत/सम्मानित किया जायेगा। पुरस्कार की तिथि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

9. योजना का प्रशासनिक विभाग

राज्य सरकार का उद्योग (ग्रुप–1) विभाग योजना का प्रशासनिक विभाग होगा एवं योजना में संशोधन एवं मार्गदर्शन देने के लिए अधिकृत होगा।

राजस्थान निर्यात पुरस्कार योजना 2019 के अन्तर्गत राज्य के श्रेष्ठ निर्यातको को 16 श्रेणियों में सर्वाधिक टर्नओवर एवं सर्वाधिक ग्रोथ के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा दिनांक 19.12.2019 को 31 पुरस्कार एमएसएमई कॉनक्लेव समारोह में दिये गये। योजनान्तर्गत राज्य में प्रति वर्ष 1 सर्वश्रेष्ठ निर्यातक को "Lifetime Achievement Export Ratna Award" से भी पुरस्कृत किया जाने का प्रावधान है।

निर्यातक अवार्ड 2019–20 की सूची–

S.No.	Category	Selected Unit	Remarks
1.	Agro Based, Food Processing and Organic Food	Shri Hari Agro Industries Ltd, Jaipur	Highest Exports Turnover
		Murli Flour Mills Pvt. Ltd., Bikaner	Highest Growth
2.	Gold/Silver/Platinum/Artificial Jewellery	Derewala Industries Ltd., Jaipur	Highest Exports Turnover
		MCGI Pvt. Ltd., Jaipur	Highest Growth
3.	Precious & Semi-Precious Stones	RMC Gems India Ltd., Jaipur	Highest Exports Turnover
		• Ashok Jewellers, Jaipur • Lunawat Gems, Jaipur	Highest Growth
4.	Handicrafts	Dileep Industries Pvt. Ltd, Jaipur	Highest Exports Turnover
		Cross Country, Jodhpur	Highest Growth
5.	Minerals Based Products	Shri Prempuriji Granimarbo	Highest Exports Turnover

		Pvt. Ltd., Jaipur	
		Golcha Associated Exports LLP, Jaipur	Highest Growth
6.	Textiles	RSWM Ltd., Bhilwara	Highest Exports Turnover
		• Lagnam Spintex Ltd., Bhilwara • Manomay Tex India Ltd., Bhilwara	Highest Growth
7.	Readymade Garments	Ahuja Overseas, Jaipur	Highest Exports Turnover
		M/s Rama Handicrafts, Jaipur	Highest Growth
8.	Electronics & Computer Hardware	Secure Meters Ltd., Udaipur	Highest Exports Turnover
9.	Computer Software KPO/BPO/Tourism/Medical & Other Services	Pinnacle Infotech Solutions, Jaipur	Highest Exports Turnover
		Pinnacle Infotech Solutions, Jaipur	Highest Growth
10.	Engineering	National Engineering Industries Ltd., Jaipur	Highest Exports Turnover
		JLC Electromet Pvt. Ltd. Jaipur	Highest Growth
11.	Chemical, Pharmaceuticals & Allied Products	Samde Aromatic Pvt. Ltd., Bhiwadi	Highest Exports Growth
		Ananta Medicare Ltd., Sri Ganganagar	Highest Growth
12.	Women Entrepreneur (Exporter)	Shivam Exports, Jaipur	Highest Exports Trunover
		Shivam Exports, Jaipur	Highest Growth
13.	Miscellaneous	• Gravita India Ltd., Jaipur • Knitpro International, Jaipur	Highest Exports Turnover
		• Espirit Stones Pvt. Ltd., Udaipur	Highest Growth
14.	Lifetime Achievement Export Ratna Award	Rajasthan Textiles Mills, Bhawanimandi	Lifetime Achievement Award

(IV) मिशन निर्यातक बनों–

- राज्य के उद्यमियों में निर्यात प्रक्रियाओं तथा दस्तावेजीकरण के संबंध में जागरूकता के अभाव एवं राज्य के निर्यात को गति प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा एक अनूठी पहल करते हुए देश में सर्वप्रथम ''**मिशन निर्यातक बनों**'' का शुभारंभ दिनांक 29.07.2021 को किया गया।
- उक्त मिशन के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों में अवस्थित औद्योगिक इकाईयों के आधार पर नवीन निर्यातक बनाने हेतु लक्ष्य आवंटित किये गये है। राज्य से कुल 22731 नवीन निर्यातक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- योजनान्तर्गत राज्य में 5700 से अधिक उद्यमियों को आयात–निर्यात कोड (IEC) जारी करवाये जा चुके है एवं उन्हें निर्यात संबंधी प्रक्रियाओं एवं दस्तावेजीकरण के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
- इसी क्रम में सभी संभागीय मुख्यालयों पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य से नवीन निर्यातकों को प्रथम निर्यात निर्गम तक की पूर्ण हैण्डहोल्डिंग की जाएगी।
- ''मिशन– निर्यातक बनों'' के अन्तर्गत समस्त वित्तीय भार का वहन रीको लिमिटेड़ द्वारा किया जा रहा है।

(V) राजस्थान निर्यात संवर्द्धन समन्वय परिषद् (REPCC)

राज्य में निर्यात के संवर्द्धन हेतु व्यवस्थित प्रयास करने, विभिन्न उद्यमों के निर्यात के संबंध में आवश्यक व्यवस्था अपनाने, निर्यात के क्षेत्र में आ रही बाधाओं को दूर करने, विभिन्न औद्योगिक संगठनों एवं उनके प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करने, निर्यात संवर्द्धन हेतु आवश्यक सुझाव प्रदान करने व समुचित आधारभूत सुविधाओं का सृजन एवं विकास करने के लिए के लिए राजस्थान निर्यात संवर्द्धन समन्वय परिषद् (REPCC) का गठन दिनांक 25.10.2019 को किया गया है।

(VI) राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद् (REPC)

राज्य में निर्यात प्रोत्साहन हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद–8 के अन्तर्गत राज्य में निर्यात सम्बन्धी नियमन, संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए राजस्थान निर्यात संवर्द्धन परिषद् का गठन दिनांक 08.11.2019 को किया गया है।

(VII) जिला स्तरीय निर्यात संवर्द्धन परिषद् (DLEPC)

राज्य सरकार जिला स्तर पर भी निर्यात को व्यापक रूप से प्रोत्साहित करने में प्रयासरत् है। इस उद्देश्य से राज्य के समस्त जिलों द्वारा संबंधित जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निर्यात संवर्द्धन परिषद् का गठन किया गया है। इन परिषदों का मुख्य उद्देश्य जिला स्तर पर निर्यात संभाव्यता के उत्पादों का चयन कर उनके निर्यात प्रोत्साहन हेतु एक प्रभावी कार्ययोजना बनाकर जिले के निर्यात में वृद्धि करना है।

(VIII) एक जिला एक उत्पाद योजना (ODOP SCHEME)

केन्द्र सरकार द्वारा घोषित एक जिला एक उत्पाद (One District One Product) योजना का राज्य में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजनान्तर्गत देश के विभिन्न जिलों की निर्यात संभाव्यता की समीक्षा कर निर्यात योग्य उत्पादों के चयन के उपरांत उनके निर्यात में आ रही समस्याओं का निराकरण करने के लिये जिला निर्यात संवर्द्धन समितियों का गठन एवं जिला निर्यात कार्य योजना का निर्माण किया गया है। साथ ही यह योजना स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आय के स्त्रोत उपलब्ध कराने पर भी केन्द्रित है।

केन्द्र सरकार द्वारा योजना के प्रथम चरण के लिए राज्य से जयपुर की ब्लू पॉटरी एवं नागौर जिले के मकराना के मार्बल का चुनाव किया गया है।

Export Potential Products Selected for ODOP

S.No.	District	Export Potenial Products	
		Industrial Products	Agro Products
1	Bharatpur	Edible Oil	a) Honey b) Edible Oil c) Achar Murabba of Bhusawar
2	Bhilwara	Textile	a) Maize based products
3	Dholpur	a) Red Stone b) Sand Stone	Potato Chips
4	Hanumangarh	a) Rice Cotton	b) Rice c) Cotton
5	Jaipur (Urban)	Gems and Jewellery	Tomato
6	Jhunjhunu	Gems and Jewellery	Lemon
7	Jodhpur	a) Handicraft	a) Guargum

8	Pali	a) Umbrella (Falna)	a) Mehandi (Sojat) b) Gulab Halwa (Pali)
9	Jaisalmer	a) Handicraft items, b) woolen carpet, c) wooden articles, and d) bed sheets, wall hanging, Cushion cover, e) silver ornament etc.	Kair, Sangari etc.
10	Sikar	Handicraft Items	Onion
11	Ajmer	Marble and Granite Items	Rose
12	Udaipur	a) Green Marble b) Wollastonite	Forest based miscellaneous products processing amla, jamun, custard apple etc.
13.	Rajsamand	a) Natural stone, Granite, Marble article etc. b) Pichwai paintings of Nathdwara c) Molela Terracotta d) White Metal Handicrafts	Fruit based Product (Amla, Jamun, Custard Apple and miscellaneous forest produce
14.	Tonk	a) Namada handicraft b) Slate Stone, limestone, Sandstone and quartzite	Mustard based small industries,
15.	Bikaner	a) Bhujia, b) Canned Rasgulla and Food Products	c) Guar Gum, Cotton Ginning, d) Spices, e) Bhujia, f) Canned Rasgulla and Food g) Products
16.	Sri Ganganagar	Guar Gum	a) Guar Gum b) Waxed Kinnow
17.	Karauli	Sand Stone	Agro Product- Seasame seed-cleaning, grading, sortex, roasting & Gazak
18.	Kota	Kota Stone	Coriander
19.	Dausa	Dari and Stone Articles	Wheat (cereal based products-barely,bajra,dlia,tomato etc.)

20.	Alwar	Auto Components	Onion
21.	Banswara	a) Yarn, b) Fabric, c) Marble Slabs, Tiles and Articles	Mango
22.	Barmer	a) Garments b) Petrochemicals	a) Guar Gum, b) Bajra c) Pomegranate
23.	Chittorgarh	a) Natural stone, Granite, Marble article etc. b) Wooden crafts(Toys & Kawad) c) Dabu Print, Akola Print d) Eco-tourism of Chittorgarh Fort Religious tourism	a) Jaggery
24.	Churu	Silver utensils, Wooden furniture	Groundnut,
25.	Sawai Madhopur	Food Products- Kheer Mohan	Guava
26.	Sirohi	a) Marble Articles b) Tiles c) Slabs	d) Fennel-cleaning, grading, sorting and packaging for searoning, mouth freshner, flavoured and sugar-coated products.
27.	Jalore	a) Granite, b) Tiles, c) Slabs,	a) Cumin, b) Isabgol
28.	Baran	a) Garlic, b) Coriander, c) Dry Ginger	d) Garlic, e) Coriander, f) Dry Ginger
29.	Dungarpur	a) Garments b) Marble Articles	Mango
30.	Nagaur	a) Hand tools, b) Power tools	a) Cumin, b) Fenugreek
31.	Pratapgarh	Garlic	Garlic
32.	Jhalawar	Stone,	Spices
33.	Bundi	Rice	Rice

(8) अल्पसंख्यक कल्याण योजना (15 सूत्रीय कार्यक्रम)

प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण की विभिन्न योजनाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को लाभान्वित कराया जाता है। इस कल्याणकारी योजना के तहत विभागीय योजनायें यथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, उद्योग आधार ज्ञापन/उद्यम रजिस्ट्रेशन, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना हाथकरघा, बुनकरों का बीमा, आर्टिजन्स परिचय पत्र, हस्तशिल्पियों को ब्याज अनुदान आदि योजनाओं में लाभान्वित किया गया। वर्षवार विवरण निम्नानुसार है।

क्र0सं0	वर्ष	विभागीय योजानाओं में अल्पसंख्यक लाभार्थियों की संख्या
1.	2018–19	5876
2.	2019–20	5732
3.	2020–21	1816
4.	2021–22 (माह दिसम्बर, 2021 तक)	11,766

(9) उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से संबंधित अन्य प्रमुख संस्थान

(i) राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान (NIFT)

राज्य में फैशन तकनीकी से संबंधित उद्योगों के सर्वांगीण विकास हेतु राष्ट्रीय फैशन तकनीकी संस्थान की जोधपुर में वर्ष 2010 में स्थापना की घोषणा की गयी थी। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा ग्राम करवड में 50 एकड भूमि का निःशुल्क आवंटन कर राज्य सरकार द्वारा भवन एवं प्रारंभिक तीन वर्षों के Deficit Funding के रूप में अब तक 62.47 करोड रुपये की राशि का बजट उपलब्ध करा दिया गया है।

वर्तमान में NIFT में कुल 6 कोर्स संचालित है, जिसमें कुल 750 विद्यार्थी अध्ययनरत है। निफ्ट् में प्रति कोर्स हेतु राजस्थान के 6 विद्यार्थियों के लिए 6 सीटें आरक्षित हैं। वर्तमान में राजस्थान के कुल 36 विद्यार्थी अध्ययनरत है।

(ii) सिरेमिक इलेक्ट्रीकल रिसर्च एण्ड डवलपमेंट सेन्टर (CERDC)

सिरेमिक सेन्टर की स्थापना के लिए वर्ष 2005–06 के बजट भाषण में घोषणा की गई थी, और इस हेतु 451.40 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया था। सिरेमिक एण्ड इलेक्ट्रिकल विकास समिति, बीकानेर की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सिरेमिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट (सीजीसीआरआई) खुर्जा से तैयार कराई गई थी। समिति की मूल प्रोजेक्ट लागत 451.40 लाख रुपये थी, जो कि संशोधित कर 710.78 लाख रुपये कर दी

गई। सेन्टर के लिए टैक्नीकल एज्यूकेशन विभाग द्वारा 11,514 वर्ग मीटर जमीन उपलब्ध कराई गई है। जिला कलक्टर, बीकानेर की अध्यक्षता में एक सोसायटी का पंजीयन कराया गया है। प्रयोगशाला हेतु भवन के प्रथम एव द्वितीय चरण का निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है। सेन्टर को सुचारु रुप से चलाने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, बीकानेर सोसायटी के साथ दिनांक 11.11.2009 को एक एम.ओ.यू. (MoU) एक वर्ष के लिए किया गया था, जिसे नवम्बर, 2010 में एक वर्ष के लिए और बढ़ाया गया था तत्पश्चात् नवम्बर,2011 से दो वर्ष की अवधि में बढ़ाया जाता रहा है, जो निरन्तर कार्यरत है। सिरेमिक सेन्टर में मूल प्रोजेक्ट की लागत में से 322.27 लाख रुपये की राशि के आवश्यक संयत्र आदि क्रय किये जा चुके है। सिरेमिक सेन्टर में परीक्षण/गुणवत्ता की जॉच के पश्चात मशीनें स्थापित करके टेस्टिंग का कार्य शुरु कर दिया गया है।

- सिरेमिक उद्योगों को क्लस्टर्स के रूप में स्थापित करने एवं पूरे उत्तर भारत में इस क्षेत्र में क्रांतिकारी औद्योगिक उपलब्धियों के लिए वर्ष 2005–06 में राज्य सरकार द्वारा सिरेमिक सेन्टर, बीकानेर के रूप में स्थापित किये जाने के लिए घोषणा की गई। सिरेमिक सेंटर की स्थापनार्थ राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित राशि रुपये 710.78 लाख स्वीकृत/आवंटन हुए हैं। सिरेमिक सेन्टर बीकानेर का विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) , नई दिल्ली से पंजीकरण हो चुका है। परियोजना रिपोर्ट राशि 710.78 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008–09 में अनुमोदित की गई। राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत 14 अक्टूबर 2008 को "सिरेमिक एवं इलेक्ट्रीकल विकास समिति" का पंजीयन हो चुका है। सिरेमिक लेबोरेट्री द्वारा सिरेमिक टेस्टिंग का कार्य शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कर, दिनांक 13.05.2010 से प्रारम्भ कर दिया गया था।
- लैब के लिए लैब भवन एवं प्रशासनिक भवन बनकर पूर्ण रूपेण तैयार हो गया है। इस पर अब तक (कुल निर्माण 20277 वर्ग फीट क्षेत्र) राशि 187.73 लाख रुपये विनियोजन हो चुका है।
- आवश्यकता के अनुसार अब तक राशि 322.27 लाख रुपये के उपकरण क्रय कर विभिन्न लैब में स्थापित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त सभी लैबों की आवश्यकतानुसार फर्नीचर एवं फिक्चर भी क्रय कर स्थापित कर दिया गया है।
- CEVSB के सदस्यों एवं उद्योग संघों के सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर रीजनेबल टेस्टिंग्स चार्ज/फीस निर्धारित की गई है।

- सेंटर में सिरेमिक इलेक्ट्रिकल, कैमिकल, मिनरल एवं फिजिकल विश्लेषण से संबंधित विभिन्न प्रकार के परीक्षण का कार्य चल रहा है।
- राष्ट्रीय स्तर की परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में सिरेमिक सेंटर की इलेक्ट्रीकल लैब को **राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL)** भारत सरकार द्वारा मान्यता दिनांक 22.09.2016 को प्राप्त हो चुकी है। पुनः 2019 में NABL भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है।
    - जिसमें विद्युत धारा प्रसारण उपकरणों एवं एसेसरीज के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के इंसुलेटर एवं उनसे संबंधित उपकरणों एवं एसेसरीज मुख्यतः इंसुलेटर, पोर्सलीन इंसुलेटर में प्रयुक्त खनिज विशेषतः सिरेमिक की गुणवत्ता एवं उच्च स्तरीय ताप ग्राह्यता एवं गैल्वेनाईजिंग टेस्ट दिनांक 22.09.2016 से प्रारम्भ कर दिये गये है।
    - साथ ही माह दिसम्बर 2016 से यांत्रिक टेस्ट भी प्रारम्भ कर दिये गये हैं।
- CERDC को राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रतिष्ठित संस्थान बनाने हेतु CSIR-CGCRI से MOU किया जाना निश्चित हुआ है जिसके लिए प्रस्ताव माननीय उद्योग मंत्री महोदय के अनुमोदन के पश्चात् CGCRI को प्रेषित किया गया है।
- CGCRI ने अवगत करवाया है कि संस्थान नये सेन्टर पर होने वाले व्यय को वहन किये जाने में असमर्थ है।
- सिरेमिक सेन्टर के संचालन हेतु नई सम्भावनाओं की तलाश की जा रही है।

(iii) सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सिपेट-CIPET)

रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के अर्न्तगत ISO 9001:2015, ISO/IEC:17025 & 17020 प्रमाणित एक राष्ट्रीय संस्थान है, जो कि प्लास्टिक्स एवं उससे संबंधित उद्योगों के विकास हेतु कौशल विकास, प्रौद्योगिकी सहायता, शैक्षणिक एवं अनुसंधान के लिए समर्पित है।

सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (सिपेट) जयपुर की स्थापना वर्ष 2006 में भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा कुल 20.50 करोड रूपये की परियोजना लागत से 50:50 व्यय साझेदारी के आधार पर की गयी। सिपेट जयपुर केन्द्र सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में 22 एकड़ भूमि में स्थित है एवं संस्थान प्लास्टिक की वस्तुएं, मोल्ड डिजाईन, कैड–कैम सी.ए.ई., मोल्ड बनाना, प्रोसेसिंग, परीक्षण व गुणवत्ता नियंत्रण आदि विभागों के लिए आधुनिक संसाधनों के साथ सुसज्जित है और यह प्लास्टिक्स एंव संबंधित इकाइयों और छात्रों के विकास के लिए कटिबद्ध है।

सीपेट में अधिस्नातक एवं स्नातक के तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में हाई–लर्निंग सेन्टर की स्थापना की गई है। सेन्टर हेतु राज्य सरकार द्वारा 20035.31 वर्ग मीटर भूमि का आंवटन किये जाने के साथ ही कुल परियोजना लागत 51.32 करोड़ रू की 50 प्रतिशत राज्यांश हिस्सा राशि 25.66 करोड़ रू. का भुगतान सीपेट को वर्ष 2021–22 पर किया गया है।

(iv) ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, जोधपुर

- माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा 29 मार्च 2007 को विधानसभा में हैण्डीक्राफ्ट एवं ग्वारगम के लिए जोधपुर में एक R&D Cum Skill Upgadation Institute की स्थापना के लिए राज्य की ओर से निःशुल्क उपयुक्त भूमि और एक बेसिक भवन उपलब्ध कराने की घोषणा की गयी थी जिसका संचालन स्थानीय उद्योग संस्थानों के माध्यम से अथवा निजी सहभागिता से किया जाना था ।
- दिनांक 27.12.2007 को रीको द्वारा बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण हेतु अल्पकालीन टेण्डर आमंत्रित किये गयें। रीको को दिनांक 17.1.2007 को बाउण्ड्रीवॉल के निर्माण के लिये 25.40 लाख रुपयें का बजट राशि का भुगतान जारी किया गया।
- उपरोक्त घोषणा की पालना में रीको द्वारा दिनांक 08.08.2007 को बोरानाडा, जोधपुर में 5 एकड भूमि का आवंटन किया गया । परियोजना का नाम प्रसिद्व गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के नाम को अनुमोदित किया गया। परियोजना का शिलान्यास मा. मुख्यमंत्री राजस्थान, सरकार दिनांक 14.08.2007 को किया गया।
- चूंकि घोषणा के अनुसार इन्स्टीट्यूट का संचालन औद्योगिक संस्थानों अथवा निजी सहभागिता से किया जाना था। अतः उक्त केन्द्र की स्थापना एवं संचालन हेतु ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास समिति का गठन किया गया।
- घोषणा की मूल भावना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा इसके लिए भूमि का आवंटन कर दिया गया है तथा इस भूमी पर 24.15 लाख रूपये की लागत से बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण करा दिया गया है।
- ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास समिति द्वारा प्रभावी कदम नहीं उठाने के कारण यह भूमि रिक्त होने के कारण जिला उद्योग केन्द्र द्वारा दिनांक 19.06.2019 को हस्तशिल्प निर्यात सवंर्द्धन परिषद् को इस भूमि पर कौशल उन्नयन संस्था की स्थापना हेतु प्रस्ताव देने के लिये पत्र लिखा गया था।
- ग्वारगम के अनुसंधान जॉच एवं प्रमाणीकरण हेतु राज्य में एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था का केन्द्र खोलने हेतु श्री पीयूष गोयल, रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भारत सरकार को मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 17.01.2020 को अ0शा0 पत्र प्रेषित किया गया है। भारत सरकार से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
- हस्तशिल्प निर्यात सवंर्द्धन परिषद् का कोई प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ। वर्तमान परिस्थितियों में इस भूखण्ड के समुचित उपयोग हेतु महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैः—
    1. राज्य सरकार द्वारा जोधपुर में हस्तशिल्प निदेशालय की स्थापना की घोषणा की गई है अतः इस भूखण्ड में आवश्यकतानुसार आंशिक भूमि को प्रस्तावित निदेशालय के कार्यालय हेतु आरक्षित किया जा सकता है।
    2. निदेशालय स्थापना के पश्चात् यदि भूखण्ड रिक्त रहता है तो (केन्द्र सरकार की एमएसई—सीडीपी के तहत हस्तशिल्प से संबंधित कलस्टर के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे है) अवशेष भूमि इन कलस्टर के कोमन फेसिलिटी सेन्टर की स्थापना हेतु आरक्षित रखी जा सकती है।
    3. इन प्रस्तावों की पूर्ति के उपरान्त भी यदि कोई भूमि शेष रहती है तो उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुये हस्तशिल्प निर्यात सवंर्द्धन परिषद् को भी आवंटित की जा सकती है।
    4. वर्तमान में एमएसई—सीडीपी के तहत यदि कोई प्रस्ताव कोमन फेसिलिटी सेन्टर के लिये प्राप्त नही होता है तो इस भूमि का उपयोग हस्तशिल्प निदेशालय की स्थापना एवं हस्तशिल्प निर्यात सवंर्द्धन परिषद को ट्रेड फेसीलेटेशन सेन्टर के विस्तार हेतु दिया जा सकता है।

(10) उद्योग एवं वाणिज्य विभाग से संबंधित अन्य कार्य

(i) ऋण/ब्याज की वसूली/अपलेखन के आवंटित लक्ष्य व उसके विरूद्ध उपलब्धि का विवरण

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र	वर्ष 2018–19		वर्ष 2019–20		वर्ष 2020–21		वर्ष 2021–22 (31.10.2021 तक)	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	अजमेर	3.11	00.00	3.73	4.47	00.00	00.00	4.47	00.00
2.	अलवर	6.94	00.26	8.33	9.99	0.08	00.00	9.99	00.00
3.	बांसवाड़ा	5.26	00.00	6.31	7.57	00.00	00.05	7.57	00.00
4.	बारां	0.00	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
5.	बाड़मेर	2.34	00.00	2.80	3.36	00.00	00.00	3.36	00.00
6.	भरतपुर	2.61	00.00	3.13	3.76	00.00	00.02	3.76	00.00
7.	भीलवाड़ा	10.45	00.00	12.54	15.04	00.00	00.00	15.04	00.00
8.	भिवाड़ी	0.00	00.00	0.59	0.40	00.00	00.00	0.40	00.00
9.	बीकानेर	0.51	00.00	0.61	0.73	00.00	00.00	0.73	00.00
10.	बून्दी	0.41	00.00	0.49	0.59	00.00	00.00	0.59	00.00
11.	चित्तौडगढ	1.08	00.04	1.29	1.55	00.00	00.00	1.55	00.00
12.	चुरू	4.35	00.21	5.22	6.26	0.24	00.22	6.26	00.00
13.	दौसा	0.46	00.00	0.56	0.67	00.00	00.00	0.67	00.00
14.	धौलपुर	0.84	00.00	1.01	1.21	00.00	00.00	1.21	00.00
15.	डूंगरपुर	0.73	00.00	0.88	1.06	00.00	00.00	1.06	00.00
16.	हनुमानगढ	0.00	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
17.	जयपुर(ग्रा.)	3.68	00.00	4.42	5.30	00.00	00.00	5.30	00.00
18.	जयपुर (श.)	36.63	00.00	43.95	52.74	00.00	00.00	52.74	00.00
19.	जैसलमेर	0.00	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
20.	जालौर	0.00	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
21.	झालावाड़	1.43	00.00	1.71	2.05	00.00	00.00	2.05	00.00
22.	झुंझुनू	4.88	00.00	5.85	7.02	00.00	00.00	7.02	00.00
23.	जोधपुर	9.36	00.00	11.23	13.47	00.00	00.00	13.47	00.00
24.	करौली	2.21	00.00	2.65	3.18	00.00	00.00	3.18	00.00
25.	कोटा	3.98	00.00	4.77	5.73	00.01	00.53	5.73	00.00
26.	नागौर	6.69	00.00	8.03	9.64	00.00	00.00	9.64	00.00
27.	पाली	0.69	00.00	0.83	1.00	00.00	00.00	1.00	00.00
28.	राजसमन्द	0.00	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
29.	स.माधोपुर	1.06	00.00	1.27	1.52	00.00	00.00	1.52	00.00
30.	सीकर	6.38	00.00	7.65	9.18	00.00	00.00	9.18	00.00
31.	सिरोही	1.12	00.00	1.34	1.61	00.00	00.00	1.61	00.00
32.	श्रीगंगानगर	1.17	00.00	1.41	1.69	00.00	00.00	1.69	00.00
33.	टौंक	2.01	00.00	2.41	2.89	00.00	00.00	2.89	00.00
34.	उदयपुर	3.13	00.00	3.76	4.51	00.01	00.08	4.51	00.00
35.	प्रतापगढ़	1.12	00.00	1.34	1.61	00.00	00.00	1.61	00.00
36.	फलौदी	0.00	00.00	0.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
	योग	**124.63**	**00.51**	**150.11**	**179.80**	**00.34**	**00.90**	**179.80**	**0.0**

नोटः– माननीय मुख्यमन्त्री द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2021–22 के बिन्दु संख्या 102 के अनुसार "उद्योग विभाग द्वारा वितरित राज्य के दस्तकारों, बुनकरों कुटीर व लघु उद्योगों के वर्ष 2000 तक के विभिन्न योजनाओं में बकाया समस्त ऋणों को माफ किया जायेगा।'' उक्त घोषणा की क्रियान्विति हेतु उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप–2) विभाग द्वारा दिनांक 21.01.2022 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

भाग–4

परिशिष्ट

परिशिष्ट –1

कार्यालय आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य एवं जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्रों में विभिन्न सेवाओं के स्वीकृत पद 2021–22 (दिसम्बर, 2021)

क्र.सं.	नाम पद	मुख्यालय	जिला उद्योग केन्द्र
1.	भारतीय प्रशासनिक सेवा	**1**	**0**
2.	राजस्थान उद्योग सेवा (राजपत्रित)	**21**	**101**
3.	राजस्थान लेखा सेवा (राजपत्रित)	**3**	**0**
4.	राजस्थान सांख्यिकी सेवा (राजपत्रित)	**1**	**0**
5.	राजस्थान विधि सेवा (राजपत्रित)	**2**	**0**
6.	राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा (राजपत्रित)	**6**	**78**
7.	राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा	**11**	**130**
8.	राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा	**17**	**36**
9.	राजस्थान अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा	**4**	**0**
10.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	**1**	**0**
11.	सहायक प्रोग्रामर	**2**	**0**
12.	मंत्रालयिक सेवा (राजपत्रित)	**12**	**14**
13.	मंत्रालयिक सेवा (अराजपत्रित)	**109**	**304**
	अन्य सेवा		
1.	सूचना सहायक	**2**	**31**
2.	वाहन चालक	**3**	**3**
3.	जमादार	**2**	**0**
4.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	**32**	**153**
5.	सफाईकर्ता	**2**	**0**
	योगः–	**231**	**850**

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण
(दिसम्बर, 2021)

क.सं.	पद	कुल स्वीकृत	कुल कार्यरत्	रिक्त	विशेष विवरण
1	आयुक्त	1	1	0	
2	अतिरिक्त निदेशक	4	3	1	पदोन्नति की पत्रावली तिथि निर्धारण हेतु प्रस्तुत की हुई है।
3	संयुक्त निदेशक	17	16	1	पदोन्नति की पत्रावली तिथि निर्धारण हेतु प्रस्तुत की हुई है।
4	उप निदेशक	41	22	19	पदोन्नति की पत्रावली प्रकियाधीन है।
5	सहायक निदेशक	60	43	17	12 पद सीधी भर्ती यथांश के रिक्त है जिसमें से 4 पदों पर प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, 8 पदों के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 में अर्थना प्रस्तुत कर दी जायेगी। शेष पद पदोन्नति से भरे जाने है।
6	जिला उद्योग अधिकारी	83	26	57	3 पद सीधी भर्ती यथांश के है जिसके लिए प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। शेष पद पदोन्नति से भरे जाने है।
7	आर्थिक अन्वेषक	13	8	5	
8	उद्योग प्रसार अधिकारी	94	43	51	
9	हाथकर्घा निरीक्षक	9	06	03	
10	उद्योग निरीक्षक	19	10	09	
11	वित्तीय सलाहकार	1	1	0	
12	लेखाधिकारी	2	1	1	
13	सहायक लेखाधिकारी I	2	2	0	
14	सहायक लेखाधिकारी II	41	20	21	निदेशक कोष एवं लेखा द्वारा पदस्थापन किया जाता है।
15	कनिष्ठ लेखाकार	10	9	1	निदेशक कोष एवं लेखा द्वारा पदस्थापन किया जाता है।
16	उप निदेशक (सांख्यिकी)	1	1	0	—
17	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	2	2	0	एक पद को राज्य सरकार द्वारा सांख्यिकी अधिकारी के लिए अस्थायी क्रमोन्नत किया गया है।
18	संगणक	2	1	1	—
19	उप विधिपरामर्शी	1	1	0	—

क.सं.	पद	कुल स्वीकृत	कुल कार्यरत्	रिक्त	विशेष विवरण
20	वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	1	0	–
21	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	1	1	0	**DOIT** से पदस्थापन किया जाता है।
22	सहायक प्रोग्रामर	2	2	0	**DOIT** से पदस्थापन किया जाता है।
23	सूचना सहायक	33	23	10	**DOIT** से पदस्थापन किया जाता है।
24	लवण अधीक्षक	1	0	1	पदोन्नति से भरा जायेगा।
25	लवण निरीक्षक	6	05	01	–
26	वाहन चालक	6	2	04	विभागीय स्तर पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है।
27	अतिरिक्त निजी सचिव	2	1	1	–
28	निजी सहायक	12	11	01	एसटी का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने के कारण रिक्त है।
29	आशुलिपिक	32	0	32	21 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अर्थना प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाई जा चुकी है। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजित की जा चुकी है।
30	संस्थापन अधिकारी	01	0	01	
31	प्रशासनिक अधिकारी	04	0	04	
32	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	19	11	08	
33	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	62	56	06	
34	वरिष्ठ सहायक	122	73	49	
35	कनिष्ठ सहायक	185	132	53	
36	जमादार	02	01	01	
37	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	185	50	135	विभागीय स्तर पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है। एन.ओ.सी हेतु कार्यवाही प्रकिया में है।
38	सफाईकर्ता	2	2	0	–
	योगः–	1081	587	494	

परिशिष्ट –2

बजट 2018–19

(राशि लाख रू. में)

क्र.सं.	बजट मद	आय–व्ययक अनुमान	संशोधित प्रावधान	व्यय
1	योजनाओं से संबंधित	24972.34	19553.38	19166.45
2	योजनाओं के अतिरिक्त	5497.29	5420.00	4910.72
3	केन्द्रीय सहायता	0.03	0.00	0.00

बजट 2019–20

(राशि लाख रू. में)

क्र.सं.	बजट मद	आय–व्ययक अनुमान	संशोधित प्रावधान	व्यय
1	योजनाओं से संबंधित	19255.17	18609.36	18029.68
2	योजनाओं के अतिरिक्त	15197.92	15284.38	13314.38
3	केन्द्रीय सहायता	0.03	0.00	0.00

बजट 2020–21

(राशि लाख रू. में)

क्र.सं.	बजट मद	आय–व्ययक अनुमान	संशोधित प्रावधान	व्यय
1	योजनाओं से संबंधित	21132.45	26920.47	26697.25
2	योजनाओं के अतिरिक्त	7129.71	6872.37	6325.27
3	केन्द्रीय सहायता	0.02	0.00	0.00

बजट 2021–22

(राशि लाख रू. में)

क्र.सं.	बजट मद	आय–व्ययक अनुमान	संशोधित प्रावधान	व्यय (31.12.2021 तक)
1	योजनाओं से संबंधित	31525.52	–	20909.53
2	योजनाओं के अतिरिक्त	7854.70	–	5179.34
3	केन्द्रीय सहायता	0.08	–	0.00

परिशिष्ट –3

विभागीय योजनाओं की प्रगति

वर्ष 2018-19, 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 (दिसम्बर, 2021 तक)

क. सं.	योजना / कार्यक्रम	इकाई	2018–19		2019–20		2020-21		2021-22 (दिसम्बर, 2021 तक)	
			लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	लक्ष्य	प्रगति
	एम.एस.एम.ई / मेमोरेण्डम	संख्या	-	104584	-	146472	-	43658	-	-
	नियोजन	संख्या	-	465445	-	617245	-	253512	--	-
	विनियोजन	करोड़ रुपये	-	11589.64	-	16011.71	-	8104.97	-	-
	उद्यम रजिस्ट्रेशन	संख्या	-	-	-	-	-	198132	-	202947
	नियोजन	संख्या	-	-	-	-	-	1328980	-	1128082
	विनियोजन	करोड़ रुपये	-	-	-	-	-	21719.72	-	7699.46
	औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर									
	(अ) जिला स्तर पर	संख्या	35	62	35	46	-	29	-	26
	(ब)पंचायत समिति स्तर पर	संख्या	248	254	248	255	-	179	-	92
	चर्म प्रशिक्षण	संख्या	195	195	195	195	375	240	300	110
	आर्टिजन परिचय पत्र	संख्या	25000	8743	19500	5346	9366	3484	-	1485
	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (ऋण वितरण)	संख्या	1245	1609	1362	2112	1080	1709	1452	898
	भामाशाह रोजगार सृजन योजना (ऋण वितरण)	संख्या	11000	10025	–	–	–	–	–	–
	मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (ऋण वितरण)	संख्या	-	-	3000	239	10000	8259	10,000	1601
	राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2019 (जारी छूट प्रमाण पत्र)	संख्या	-	-	-	516	-	3423	-	3268

परिशिष्ट–4

प्रमुख कार्यक्रमों में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां वर्ष 2018–19

क.सं.	जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र	MSME उद्योग आधार ज्ञापन (UAM)			प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम		भामाशाह रोजगार सृजन योजना		औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर		चर्म प्रशिक्षण		राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 (RIPS)		
		पंजीकृत इकाई संख्या	नियोजन संख्या	विनियोजन लाख रु.											
		उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	प्राप्त प्रस्ताव	जारी प्रमाण पत्र	प्राप्त निवेश (करोड रु.)
1.	अजमेर	4949	21692	84987.00	44	52	550	554	9	10	0	0	186	162	407.80
2.	अलवर	2991	12971	32938.00	29	27	350	301	9	9	0	0	35	32	76.29
3.	बांसवाड़ा	1302	4532	9026.00	30	54	300	180	9	7	20	20	1	1	0.53
4.	बारां	799	3915	4875.00	44	53	210	197	8	4	0	0	11	10	5.92
5.	बाड़मेर	1894	10446	29633.00	40	48	350	99	9	10	20	20	17	11	8.47
6.	भरतपुर	1711	6889	20524.00	30	40	350	352	10	10	0	0	4	4	13.38
7.	भीलवाड़ा	5137	22649	69598.00	44	41	360	362	12	12	15	15	30	26	27.33
8.	भिवाड़ी	1616	17198	63551.00	15	13	250	208	7	13	0	0	388	385	1022.22
9.	बीकानेर	4713	22064	59779.00	30	70	400	264	7	7	0	0	13	8	21.06
10.	बून्दी	818	3044	9799.00	30	32	200	212	6	17	0	0	9	9	37.69
11.	चित्तौडगढ़	1603	8426	16932.00	44	43	300	305	12	13	0	0	23	21	35.67
12.	चुरू	1415	6134	13666.00	40	87	200	167	7	7	0	0	12	11	6.11
13.	दौसा	2213	7866	12447.00	40	59	210	220	6	6	0	0	5	5	2.26
14.	धौलपुर	534	2534	6056.00	44	22	170	159	5	5	0	0	11	11	19.58
15.	डूंगरपुर	791	2991	6583.60	30	36	170	161	6	8	0	0	0	0	0.00
16.	हनुमानगढ	1929	8504	16051.00	30	44	265	223	8	8	0	0	11	9	13.22
17.	जयपुर (ग्रामीण)	10844	44640	75109.00	30	58	500	450	13	14	20	20	140	130	378.91
18.	जयपुर (शहर)	13543	62538	119398.00	17	60	700	739	1	2	0	0	135	129	269.65
19.	जैसलमेर	589	2756	6688.00	40	18	100	56	4	4	0	0	4	4	5.62
20.	जालौर	1030	4518	12573.00	30	16	340	325	9	10	0	0	24	24	32.11
21.	झालावाड़	576	3109	5678.00	30	60	250	250	7	9	0	0	7	7	6.83
22.	झुंझुनू	2503	9472	22848.00	40	61	350	224	9	10	15	15	4	4	3.92
23.	जोधपुर	9686	47522	132526.00	30	110	550	442	7	7	20	20	104	104	252.25
24.	करौली	1311	4803	10476.00	44	55	200	202	6	6	0	0	0	0	0.00
25.	कोटा	5746	22429	43874.00	40	68	400	490	6	9	15	15	26	26	64.86
26.	नागौर	4002	16711	38718.00	44	27	300	321	12	13	0	0	40	35	34.58
27.	पाली	2594	10219	31025.00	30	26	175	176	11	11	20	20	34	33	9.41
28.	फलौदी	557	2164	6339.00	14	10	200	169	5	6	0	0	7	7	6.66
29.	प्रतापगढ	396	1931	4166.00	30	29	210	126	6	6	0	0	0	0	0.00
30.	राजसमन्द	1247	6017	23309.00	30	24	200	202	8	9	0	0	43	38	35.25
31.	सवाईमाधोपुर	1539	5507	10885.00	30	61	450	503	6	6	15	15	0	0	0.00
32.	सीकर	3069	12883	30154.00	44	23	200	143	9	10	0	0	20	20	69.49
33.	सिरोही	1012	4282	14880.00	44	41	260	240	6	9	20	20	55	33	58.86
34	श्रीगंगानगर	3775	12411	26842	30	48	200	209	9	9	15	15	6	3	7.27
35	टौंक	1150	4046.00	7545.00	40	42	200	200	7	7	0	0	8	8	41.17
36	उदयपुर	5000	25632	79485.00	44	51	580	594	12	13	0	0	13	13	95.53
	योग	**104584**	**465445**	**1158963.6**	**1245**	**1609**	**11000**	**10025**	**283**	**316**	**195**	**195**	**1426**	**1323**	**3069.90**

नोटः– RIPS-2014 में मुख्यालय स्तर पर 168 प्राप्त प्रस्तावों में 157 छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये, जिनमे 36568.62 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

प्रमुख कार्यक्रमों में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां वर्ष 2019–20

क.सं.	जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र	MSME उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) पंजीकृत इकाई संख्या	नियोजन संख्या	विनियोजन लाख रु.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम		औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर		चर्म प्रशिक्षण		राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 (RIPS)			राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) –2019		मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY)	
		उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	प्राप्त प्रस्ताव	जारी प्रमाण पत्र	प्राप्त निवेश (करोड रु.)	पात्रता प्रमाण पत्र जारी	कुल निवेश (करोड़ रू. में)	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	अजमेर	8462	36641	131280.00	50	53	9	9	0	0	53	44	101.07	54	159.41	110	14
2.	अलवर	4784	20062	51467.00	35	42	9	10	0	0	26	20	49.72	3	9.95	110	22
3.	बांसवाड़ा	1838	7551	15424.00	40	37	9	8	20	20	0	0	0	0	0	80	0
4.	बारां	1177	3844	9755.00	38	61	8	6	0	0	3	3	0.9	5	4.49	50	0
5.	बाडमेर	2977	16163	43278.00	30	47	9	10	15	15	12	6	5.33	25	37.17	90	0
6.	भरतपुर	1974	10475	19939.00	38	62	10	10	0	0	4	4	20.20	0	0	100	7
7.	भीलवाड़ा	7602	30868	100565.00	48	46	12	12	0	0	21	10	13.58	22	55.13	100	0
8.	भिवाड़ी	1945	19934	52962.00	15	32	7	6	0	0	235	195	557.34	113	478.89	50	41
9.	बीकानेर	6599	29024	76708.00	38	77	7	7	0	0	11	5	11.18	4	14.52	110	24
10.	बून्दी	1494	6113	11342.00	38	59	6	6	20	20	13	12	10.33	6	10.96	50	0
11.	चित्तौडगढ़	3760	13287	28925.00	48	51	12	11	0	0	7	5	5.31	0	0	70	1
12.	चुरू	2820	11570	27570.00	34	83	7	5	0	0	9	8	7.96	11	5.10	90	2
13.	दौसा	4763	15400	25020.00	50	68	6	6	0	0	2	1	1.16	2	2.90	70	0
14.	धौलपुर	823	3376	8432.00	38	47	5	5	0	0	7	2	3.65	4	2.96	50	0
15.	डूंगरपुर	1232	3937	8296.00	38	35	6	7	0	0	0	0	0	0	0	60	0
16.	हनुमानगढ़	3297	11700	36681.00	34	57	8	4	15	15	17	7	33.50	5	5.49	80	0
17.	जयपुर (ग्रामीण)	14101	52068	128558.00	30	70	13	15	20	20	117	111	270.44	73	251.65	150	3
18.	जयपुर (शहर)	10976	54943	104441.00	30	62	1	11	0	0	84	76	238.49	59	176.58	150	0
19.	जैसलमेर	932	4592	12856.00	30	22	4	4	0	0	0	0	0	0	0	30	0
20.	जालौर	1614	7358	20721.00	38	42	9	9	15	15	15	11	12.31	17	33.79	80	0
21.	झालावाड़	1334	6820	9998.00	38	113	7	11	0	0	4	4	30.11	2	19.93	60	0
22.	झुंझुनू	1706	6947	17222.00	34	108	9	10	20	20	20	20	21.68	0	0	90	67
23.	जोधपुर	12204	65172	172223.00	24	88	7	9	20	20	60	48	116.00	25	364.08	120	0
24.	करौली	1669	5375	9566.00	46	72	6	8	0	0	0	0	0	2	15.22	60	1
25.	कोटा	7265	24826	66744.00	54	66	6	10	0	0	0	0	0	2	4.40	100	0
26.	नागौर	8532	21805	55630.00	34	36	12	9	0	0	29	13	19.58	0	0	150	0
27.	पाली	4720	18852	72318.00	38	44	11	11	15	15	18	16	39.18	5	16.08	90	0
28.	फलौदी	668	3245	8537.00	14	10	5	6	0	0	4	0	0	0	0	40	0
29.	प्रतापगढ	1473	3378	8273.00	46	62	6	4	0	0	0	0	0	0	0	40	0
30.	राजसमन्द	1864	7609	27574.00	44	25	8	8	0	0	19	7	5.03	5	17.77	50	4
31.	सवाईमाधोपुर	2153	7596	14891.00	44	131	6	5	0	0	0	0	0	2	1.18	80	4
32.	सीकर	5539	20093	51912.00	30	43	9	13	0	0	26	12	15.33	15	47.24	100	9
33.	सिरोही	1689	7488	19022.00	54	48	6	2	20	20	58	39	42.55	6	4.50	50	2
34	श्रीगंगानगर	4984	20754	54476.00	34	77	9	9	15	15	14	5	8.39	2	5.13	100	17
35	टौंक	844	3129	5792.00	42	55	7	13	0	0	10	8	13.77	6	49.17	60	3
36	उदयपुर	6658	35250	92773.00	46	81	12	12	0	0	20	15	29.53	8	29.63	130	18
	योग	**146472**	**617245**	**1601171.00**	**1362**	**2112**	**283**	**301**	**195**	**195**	**918**	**707**	**1683.62**	**483**	**1823.32**	**3000**	**239**

नोटः– RIPS-2014 में मुख्यालय स्तर पर 118 प्राप्त प्रस्तावों में 219 छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये, जिनमे 21649.93 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।
RIPS-2019 में मुख्यालय स्तर पर 33 छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये, जिनमे 10999.58 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

प्रमुख कार्यक्रमों में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां वर्ष 2020-21

क. सं.	जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र	MSME उद्योग आधार ज्ञापन (UAM) 01.04.2020 से 30.06.2020 तक			MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन (UR) 01.07.2020 से 31.03.2021 तक			प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम		औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर		चर्म प्रशिक्षण		राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) –2019		मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY)	
		पंजीकृत इकाई संख्या	नियोजन संख्या	विनियोजन लाख रु.	उद्यम रजिस्ट्रेशन संख्या	नियोजन संख्या	विनियोजन लाख रु.										
		उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	पात्रता प्रमाण पत्र जारी	कुल निवेश (करोड़ रू. में)	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	अजमेर	1819	9023	65999.00	11621	64964	87542.28	32	36	-	9	0	0	385	925.68	400	330
2.	अलवर	1752	5818	24176.00	5923	45356	73054.97	22	40	-	12	0	0	68	179.69	370	325
3.	बांसवाड़ा	265	915	2200.00	1654	6758	7753.32	32	33	-	4	0	0	3	4.37	260	230
4.	बारां	336	1808	4634.00	1377	6479	37417.00	30	46	-	5	0	0	6	7.17	170	64
5.	बाड़मेर	1477	14752	41626.00	6192	33790	64240.19	30	37	-	4	15	15	248	357.74	350	130
6.	भरतपुर	1168	4985	24462.00	5124	27380	29450.00	34	39	-	9	20	20	30	95.62	370	287
7.	भीलवाड़ा	2875	14337	60632.00	9415	76369	103443.00	36	49	-	12	20	20	104	243.65	370	367
8.	भिवाड़ी	414	5662	10138.00	5937	106792	263821.90	10	21	-	9	0	0	434	1407.18	160	169
9.	बीकानेर	1523	8019	27597.00	16697	86852	127674.26	30	37	-	7	0	0	96	189.48	360	205
10.	बून्दी	236	1592	7180.00	3431	26799	19382.00	30	39	-	4	0	0	28	23.7	170	177
11.	चित्तौडगढ़	1206	8027	29496.00	4764	26588	65158.26	36	52	-	12	20	20	35	90.55	250	222
12.	चुरू	734	3206	10202.00	4226	20184	17298.80	30	78	-	7	0	0	54	70.07	290	190
13.	दौसा	595	2674	5271.00	3562	14798	8830.00	32	59	-	8	15	15	25	52.19	250	214
14.	धौलपुर	164	628	1521.00	776	6363	7192.30	30	12	-	6	0	0	15	34.81	180	115
15.	डूंगरपुर	213	600	1657.00	1835	9032	134590.00	30	31	-	6	0	0	0	0	200	165
16.	हनुमानगढ़	1122	4910	14247.00	4978	45903	26116.45	30	58	-	0	0	0	28	82.06	250	158
17.	जयपुर (ग्रामीण)	4761	24822	69875.00	15580	97315	141063.88	26	43	-	9	20	20	492	1343.99	490	274
18.	जयपुर (शहर)	2035	12052	29895.00	13677	120702	202832.00	24	64	-	5	0	0	145	521.03	490	177
19.	जैसलमेर	340	3865	9869.00	1310	15825	8202.90	30	20	-	3	0	0	42	39.65	100	102
20.	जालौर	520	2978	8122.00	3112	13499	14899.00	30	34	-	1	20	20	158	135.59	250	165
21.	झालावाड़	375	1563	4543.00	1908	10103	9685.39	30	112	-	0	0	0	38	42.98	200	83
22.	झुंझुनू	753	4265	11639.00	4944	22466	28903.99	30	111	-	10	20	20	10	41.26	310	568
23.	जोधपुर	5151	41296	95369.00	16929	128934	203586.18	32	62	-	5	0	0	197	2114.96	390	401
24.	करौली	406	1574	4201.00	1210	5380	3180.28	30	61	-	7	0	0	20	16.52	210	142
25.	कोटा	2136	13327	48614.00	6996	44947	72004.20	42	43	-	2	0	0	41	102.85	300	149
26.	नागौर	1088	6108	20475.00	1198	6845	21297.00	30	31	-	0	0	0	40	85.67	380	403
27.	पाली	1796	10767	31117.00	6791	40075	34883.53	30	32	-	6	20	20	23	52.28	290	133
28.	फलौदी	258	1601	3047.00	1007	4722	4846.92	12	14	-	7	0	0	4	7.21	140	140
29.	प्रतापगढ	186	926	1997.00	1237	4772	5261.93	30	32	-	3	20	20	0	0	130	136
30.	राजसमन्द	293	1332	6064.00	3544	21114	33195.00	30	24	-	8	0	0	83	163.3	160	175
31.	सवाईमाधोपुर	470	2247	9364.00	1637	9228	5728.64	34	83	-	5	15	15	25	36.68	200	211
32.	सीकर	1167	4778	18514.00	7659	36237	50734.00	30	51	-	10	20	20	92	167.78	380	417
33.	सिरोही	1030	7375	11034.09	2738	16839	24050.83	36	43	-	0	15	15	121	136.5	160	198
34	श्रीगंगानगर	1863	6913	21780.00	7082	34085	41178.68	30	73	-	5	0	0	25	74.01	300	365
35	टौंक	107	553	1656.00	2223	9654	13110.00	34	48	-	6	0	0	56	157.78	280	208
36	उदयपुर	3024	18214	72284.00	9838	81831	180363.83	36	61	-	2	0	0	94	497.76	440	464
	योग	**43658**	**253512**	**810497.09**	**198132**	**1328980**	**2171972.91**	**1080**	**1709**	**-**	**208**	**240**	**240**	**3265**	**9501.76**	**10000**	**8259**

नोटः– RIPS-2019 में मुख्यालय स्तर पर 158 छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये, जिनमे 53890.25 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

प्रमुख कार्यक्रमों में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र वार लक्ष्य एवं उपलब्धियां वर्ष **2021-22** (माह दिसम्बर, 2021 तक)

क.सं.	जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र	MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन (UR) उद्यम रजिस्ट्रेशन संख्या	नियोजन संख्या	विनियोजन लाख रु.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम		औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर		चर्म प्रशिक्षण		राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) –2019		मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (MLUPY)	
		उपलब्धि	उपलब्धि	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	पात्रता प्रमाण पत्र जारी	कुल निवेश (करोड़ रू. में)	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	अजमेर	12953	46555	75946.69	48	12	-	0	0	0	330	1127.56	400	97
2.	अलवर	7622	53695	38991.62	32	20	-	7	0	0	66	161.31	370	97
3.	बांसवाड़ा	2492	9657	7060.68	36	11	-	5	20	0	3	7.08	260	64
4.	बारां	1806	7097	6754.48	38	12	-	1	15	0	10	18.94	170	19
5.	बाड़मेर	5911	30063	26041.89	30	20	-	1	15	0	169	44.09	350	7
6.	भरतपुर	3997	23620	19408.12	46	20	-	6	20	0	24	64.21	370	35
7.	भीलवाड़ा	10948	153966	40043.00	46	21	-	5	20	0	125	223.06	370	37
8.	भिवाड़ी	2660	24608	369.00	16	7	-	4	0	0	329	1602.61	160	24
9.	बीकानेर	11280	46462	37555.70	50	32	-	7	0	0	64	221.98	360	61
10.	बून्दी	1630	6430	5811.99	40	32	-	1	15	0	45	117.62	170	17
11.	चित्तौडगढ़	5671	38965	39197.03	46	18	-	9	20	20	10	26.71	250	7
12.	चुरू	6151	29775	14346.54	50	62	-	8	0	0	55	112.27	290	123
13.	दौसा	3737	17404	4422.88	55	14	-	5	15	0	26	59.71	250	61
14.	धौलपुर	907	5213	6042.54	30	5	-	1	0	0	41	120.58	180	13
15.	डूंगरपुर	2300	7988	1878.68	30	15	-	0	0	0	1	2.96	200	53
16.	हनुमानगढ़	6949	46676	16739.75	45	25	-	1	0	0	30	105.46	250	14
17.	जयपुर (ग्रामीण)	16944	92453	63697.54	44	25	-	6	20	0	483	1759.18	490	14
18.	जयपुर (शहर)	5022	25286	19714.20	44	41	-	0	0	0	156	596.12	490	47
19.	जैसलमेर	1930	9551	7051.74	30	17	-	3	15	0	23	26.12	100	10
20.	जालौर	3035	12184	10047.00	38	16	-	1	0	0	135	168.07	250	39
21.	झालावाड़	2850	16150	9900.02	36	34	-	0	0	0	36	26.59	200	54
22.	झुंझुनू	5153	22988	15317.33	44	58	-	6	20	20	17	54.88	310	93
23.	जोधपुर	18137	105479	88690.89	55	43	-	4	0	0	137	296.05	390	20
24.	करौली	1547	7449	797.37	50	67	-	4	15	15	9	4.14	210	17
25.	कोटा	8067	41371	37178.33	45	14	-	3	0	0	65	95.7	300	65
26.	नागौर	3370	17014	29866.50	34	15	-	3	0	0	29	69.61	380	11
27.	पाली	6503	23614	22943.55	36	11	-	7	20	20	147	211.85	290	50
28.	फलौदी	1140	12178	2726.97	20	1	-	2	0	0	11	16.25	140	14
29.	प्रतापगढ	1475	4962	3852.30	30	19	-	1	20	0	0	0	130	6
30.	राजसमन्द	3901	29460	16035.94	40	11	-	6	0	0	87	140.36	160	46
31.	सवाईमाधोपुर	2386	9131	5260.23	50	43	-	4	15	15	21	37.26	200	23
32.	सीकर	9367	40915	10243.46	38	24	-	0	20	20	91	168.93	380	214
33.	सिरोही	2869	9622	8126.98	45	17	-	0	0	0	132	168.81	160	34
34	श्रीगंगानगर	10069	41016	18946.62	45	38	-	4	15	0	53	146.32	300	51
35	टौंक	3267	14026	6464.75	40	36	-	3	0	0	64	84.93	280	32
36	उदयपुर	8901	45059	52474.14	50	42	-	0	0	0	134	409.17	440	32
	योग	**202947**	**1128082**	**769946.45**	**1452**	**898**	-	**118**	**300**	**110**	**3158**	**8496.49**	**10000**	**1601**

नोटः– **RIPS-2019** में मुख्यालय स्तर पर 110 छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये, जिनमे 45758.35 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

परिशिष्ट–8

Number of Entrepreneurs Memorandum Part II (EM-II) / Udyog Aadhar filed during 2007-08 To 2019-20 by Nature of Industry (Sector)

Sl No.	NIC 2004		No. of EM.IInd / Udyog Aadhar													
		Description	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017- 18	2018-19	2019-20	Total
1	01	AGRICULTURE, HUNTING AND RELATED SERVICE ACTIVITIES	173	111	168	112	96	204	257	143	463	1417	1267	1424	1522	7357
2	02	FORESTRY, LOGGING AND RELATED SERVICE ACTIVITIES	237	204	140	188	185	119	60	49	89	1143	53	41	89	2597
3	05	FISHING, AQUACULTURE AND SERVICE ACTIVITIES INCIDENTAL TO FISHING	0	0	0	0	0	6	13	0	4	55	58	38	61	235
4	10	MINING OF COAL AND LIGNITE; EXTRACTION OF PEAT	6	1	23	41	8	2	5	3	9	78	17	20	14	227
5	11	EXTRACTION OF CRUDE PETROLEUM AND NATURAL GAS; SERVICE ACTIVITIES INCIDENTAL TO OIL AND GAS EXTRACTION, EXLUDING SURVEYING	1	1	1	6	1	2	3	0	5	21	76	86	103	306
6	12	MINING OF URANIUM AND THORIUM ORES	1	0	1	1	0	1	18	2	69	9	5	1	31	139
7	13	MINING OF METAL ORES	6	7	65	33	110	20	64	6	121	128	131	235	492	1418
8	14	OTHER MINING AND QUARRYING	240	323	264	389	355	375	233	1203	779	1527	2258	2163	2820	12929
9	15	MFG OF FOOD PRODUCTS AND BEVERAGES	701	583	635	746	707	731	701	875	3267	7941	12667	14511	17896	61961
10	16	MFG OF TOBACCO PRODUCTS	9	20	9	11	9	4	24	3	21	39	107	182	123	561
11	17	MFG OF TEXTILES	2018	2061	2309	2171	1487	1396	1491	1588	2574	5950	4847	4223	5422	37537
12	18	MFG OF WEARING APPAREL; DRESSING AND DYEING OF FUR	632	1255	1045	1188	935	1294	1741	819	968	1688	2771	3465	5694	23495
13	19	MFG OF LEATHER & LEATHER PRODUCT	1170	1072	949	712	537	993	511	438	440	1328	686	947	1318	11101
14	20	MFG OF WOOD AND WOOD PRODUCTS	563	657	628	651	628	539	527	366	954	1474	1393	1524	2035	11939
15	21	MFG OF PAPER AND PAPER PRODUCTS	171	119	89	128	205	190	213	369	657	813	817	935	1127	5833

Sl No.	NIC 2004	Description	No. of EM.IInd / Udyog Aadhar													
			2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017- 18	2018-19	2019-20	Total
16	22	PUBLISHING,PRINTING & REPRODUCTION OF RECORDED MEDIA	117	118	125	120	141	107	142	266	450	800	1036	1118	1607	6147
17	23	MFG OF COKE & REFINED PETROLEUM PRODUCTS AND NUCLEAR FUEL	10	10	6	7	3	13	40	16	82	129	155	120	138	729
18	24	MFG OF CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS	384	281	267	291	346	273	335	232	565	967	1265	1312	2593	9111
19	25	MFG OF RUBBER AND PLASTICS PRODUCTS	286	219	209	262	290	226	268	331	698	1055	1054	1070	1222	7190
20	26	MFG OF OTHER NON0METALLIC MINERAL PRODUCTS	1884	1999	1912	2094	1829	1870	1503	1179	2373	4392	3398	3228	2565	30226
21	27	MFG OF BASIC METALS	414	360	281	239	312	219	225	266	506	1107	1187	1431	1601	8148
22	28	MFG OF FABRICATED METAL PRODUCTS	863	667	721	744	939	754	770	826	919	2467	1495	1391	1967	14523
23	29	MFG OF MACHINERY AND EQUIPMENT N.E.C.	239	392	436	505	187	184	299	318	668	4811	2949	2622	2414	16024
24	30	MFG OF OFFICE, ACCOUNTING 0 COMPUTING MACHINERY	6	11	7	12	15	9	35	50	90	200	195	375	1006	2011
25	31	MFG OF ELECTRICAL MACHINERY AND APPARATUS N.E.C.	164	205	143	174	139	148	239	347	517	978	742	964	1488	6248
26	32	MFG. OF RADIO, TELEVISION AND COMMUNICATION EQUIPMENT AND APPARATUS	59	77	39	49	38	19	54	45	286	252	366	307	291	1882
27	33	MFG OF MEDICAL, PRECISION AND OPTICAL INSTRUMENTS, WATCHES AND CLOCKS.	35	25	20	22	14	13	43	62	71	184	159	237	294	1179
28	34	MFG OF MOTOR VEHICLES, TRAILERS AND SEMITRAILERS.	22	17	11	13	15	20	33	81	116	268	581	840	575	2592
29	35	MFG OF OTHER TRANSPORT EQUIPMENT	20	24	46	17	21	16	36	20	47	489	630	762	821	2949
30	36	MFG OF FURNITURE; MANUFACTURING N.E.C.	917	1027	972	835	1026	943	1069	999	2236	2477	2705	3338	3737	22281
31	37	RECYCLING	18	18	20	13	16	4	5	35	29	47	1	39	28	273
32	40	ELECTRICITY, GAS, STEAM AND HOT WATER SUPPLY	2	32	27	2	1	2	15	28	100	152	211	228	268	1068
33	41	COLLECTION, PURIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER	4	4	15	2	7	1	13	8	140	480	266	286	257	1483

Sl No.	NIC 2004	Description	No. of EM.IInd / Udyog Aadhar													
			2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017- 18	2018-19	2019-20	Total
34	45	CONSTRUCTION	157	200	283	204	225	171	414	628	696	2053	2416	3099	4154	14700
35	50	REPAIR & MAINTENANCE OF MOTER VECHILE, RETAIL SALE OF AUTOMOTIVE FUEL	198	202	267	279	341	310	453	609	719	6767	1470	1132	1812	14559
36	51	WHOLESALE OF TRADE AND COMMISSION TRADE	7	7	6	54	23	63	217	285	988	8936	3101	417	927	15031
37	52	REPAIR & MAINTENANCE OF PERSONAL& HOUSEHOLD GOODS, RETAIL TRADE	205	293	216	241	379	255	662	636	3214	3397	3238	2972	3984	19692
38	55	HOTELS AND RESTAURANTS	17	26	34	34	84	102	175	208	421	639	744	829	1794	5107
39	60	LAND TRANSPORT; TRANSPORT VIA PIPELINES	1	0	0	9	10	99	124	247	443	1318	1473	1412	2696	7832
40	61	WATER TRANSPORT	1	0	1	2	8	2	6	18	62	275	257	228	220	1080
41	62	AIR TRANSPORT	0	0	0	0	0	0	17	26	2	15	82	93	61	296
42	63	SUPPORTING & AUXILIARY TRANSPORT & TRAVEL AGENTS ACTIVITIES	31	28	25	37	91	46	143	222	312	642	1164	1417	2059	6217
43	64	POST AND TELECOMMUNICATIONS	27	21	86	18	13	22	101	83	234	1031	1374	1309	1492	5811
44	65	FINANCIAL INTERMEDIATION, EXCEPT INSURANCE & PENSION FUNDING	5	4	8	0	3	80	76	189	444	929	913	1320	1383	5354
45	66	INSURANCE AND PENSION FUNDING, EXCEPT COMPULSORY SOCIAL SECURITY	0	0	1	2	0	4	7	29	62	183	179	341	291	1099
46	67	ACTIVITIES AUXILIARY TO FINANCIAL INTERMEDIATION	26	22	21	34	68	2	16	31	162	722	300	307	555	2266
47	70	REAL ESTATE ACTIVITIES	0	1	0	1	0	65	116	241	575	1043	912	1073	1239	5266
48	71	RENTING OF MACHINERY & EQUIPMENT WITHOUT OPERATOR & OF PERSONAL & HOUSEHOLD GOODS	10	9	7	11	4	18	32	77	156	400	489	975	1364	3552
49	72	COMPUTER AND RELATED ACTIVITIES	184	196	250	269	369	500	796	772	1321	3486	3998	3823	5477	21441
50	73	RESEARCH AND DEVELOPMENT	1	2	0	3	1	89	22	10	40	1283	661	791	338	3241

Sl No.	NIC 2004		No. of EM.IInd / Udyog Aadhar													
		Description	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017- 18	2018-19	2019-20	Total
51	74	OTHER BUSINESS ACTIVITIES	326	454	430	462	403	459	525	491	3284	7296	6191	5324	13105	38750
52	75	PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY	2	0	0	0	1	6	6	49	126	121	273	347	188	1119
53	80	EDUCATION	10	6	7	18	34	113	329	540	965	2432	2952	2710	2706	12822
54	85	HEALTH AND SOCIAL WORK	3	9	15	8	12	46	76	121	335	1107	1431	1893	2981	8037
55	90	SEWAGE AND REFUSE DISPOSAL, SANITATION AND SIMILAR ACTIVITIES	0	0	0	1	1	0	0	2	74	30	70	96	206	480
56	91	ACTIVITIES OF MEMBERSHIP ORGANIZATION N.E.C.	3	10	15	0	0	1	4	1	39	93	217	217	226	826
57	92	RECREATIONAL, CULTURAL AND SPORTING ACTIVITIES	1	1	0	5	4	24	61	65	147	242	369	458	351	1728
58	93	OTHER SERVICE ACTIVITIES	1100	1187	1317	1286	1764	2085	2087	1956	2705	8562	20687	20307	31958	97001
59	95	ACTIVITIES OF PRIVATE HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS OF DOMESTIC STAFF	7	6	5	26	33	9	72	14	66	349	230	259	214	1290
60	96	UNDIFFERENTIATED GOODS0PRODUCING ACTIVITIES OF PRIVATE HOUSEHOLDS FOR OWN USE	8	12	17	18	34	1	27	37	285	469	1480	1670	2017	6075
61	97	UNDIFFERENTIATED SERVICE & PRODUCING ACTIVITIES OF PRIVATE HOUSEHOLDS FOR OWN USE	44	30	31	53	43	59	52	95	118	499	190	232	978	2424
62	99	EXTRA TERRITORIAL ORGANIZATION AND BODIES.	94	70	52	41	128	35	0	0	31	155	106	70	77	859
		TOTAL	13840	14696	14677	14894	14678	15363	17601	18655	38339	99340	102515	104584	146472	615654

Large Scale Industries - (Running) (Tentative Data)

Up to 31.3.2021

S.NO.	Name of D.I.C.C.	Running Units (Nos.)	Fix.Investment (Rs. in Crore)	Employment (Nos.)	Closed
1.	Ajmer	14	1629.93	1649	0
2	Alwar	16	1630.28	9076	0
3	Banswara	7	8166.68	10144	0
4	Baran	5	26762.05	3973	0
5	Barmer	1	7009.98	1021	0
6	Bharatpur	0	0.00	0	0
7	Bhilwara	21	8282.33	29291	0
8	Bhiwadi	77	14829.84	34443	0
9	Bikaner	1	525.00	2025	1
10	Bundi	5	938.04	1158	3
11	Chittorgarh	11	16176.26	13076	0
12	Churu	0	0.00	0	0
13	Dausa	0	0.00	0	0
14	Dholpur	2	72.43	658	0
15	Dungarpur	1	119.47	629	2
16	Hanumangarh	2	76.50	150	0
17	Jaipur(Rural)	34	4465.92	14312	1
18	Jaipur(Urban)	10	607.69	3310	0
19	Jaisalmer	0	0.00	0	0
20	Jalore	1	15.39	45	0
21	Jhalawar	2	1179.01	6911	0
22	Jhunjhunu	1	404.30	671	0
23	Jodhpur	10	14356.62	2551	0
24	Karoli	1	60	18	0
25	Kota	10	11122.67	5582	0
26	Nagaur	3	0.00	321	0
27	Pali	8	6981.49	6455	0
28	Phalodi	0	0.00	0	2
29	Pratapgarh	0	0.00	0	0
30	Rajsamand	1	375.20	1597	0
31	S.Madhopur	0	0.00	0	0
32	Sikar	3	481.93	2333	0
33	Sirohi	7	4672.46	4448	1
34	SriGanganagar	9	8222.17	3732	0
35	Tonk	4	289.94	728	0
36	Udaipur	10	8529.97	7387	0
	G.Total	**277**	**147983.56**	**167694**	**10**

Medium Scale Industries - (Running) (Tentative Data)					
Up to 31.3.2021					
S.N.	Name of D.I.C.C.	Running Units (Nos.)	Fix.Investment (Rs. in Crore)	Employment (Nos.)	Closed
1	Ajmer	7	50.88	127	0
2	Alwar	6	130.51	1614	0
3	Banswara	0	0.00	0	0
4	Baran	3	114.38	221	0
5	Barmer	0	0.00	0	0
6	Bharatpur	3	36.72	589	0
7	Bhilwara	55	1038.58	11014	0
8	Bhiwadi	48	1284.87	8615	2
9	Bikaner	3	47.16	702	2
10	Bundi	5	24.17	99	0
11	Chittorgarh	4	134.84	1268	1
12	Churu	2	29.13	138	0
13	Dausa	1	12.13	50	0
14	Dholpur	10	61.18	329	1
15	Dungarpur	0	0.00	0	0
16	Hanumangarh	1	4.00	9	0
17	Jaipur(Rural)	20	221.82	2996	1
18	Jaipur(Urban)	5	55.27	2014	0
19	Jaisalmer	0	0.00	0	0
20	Jalore	3	17.61	106	0
21	Jhalawar	1	3.00	51	0
22	Jhunjhunu	0	0.00	0	0
23	Jodhpur	19	467.73	2570	1
24	Karoli	0	0	0	0
25	Kota	7	139.21	2944	0
26	Nagaur	0	0.00	0	1
27	Pali	9	105.94	1976	0
28	Phalodi	0	0.00	0	0
29	Pratapgarh	0	0.00	0	0
30	Rajsamand	2	37.80	271	0
31	S.Madhopur	0	0.00	0	0
32	Sikar	7	207.70	999	0
33	Sirohi	2	15.39	46	1
34	SriGanganagar	1	7.01	7	0
35	Tonk	2	26.83	93	1
36	Udaipur	47	957.45	13707	0
	G.Total	273	5231.31	52555	11

Government of Rajasthan परिशिष्ट–10

Office of the Commissioner of Industries & Commerce

Udyog Bhawan, Tilak Marg, Jaipur : 302005

EPABX No. 2227727-29, 31, 33-34; 2227630 Fax No. 2227516; 5106748

OFFICERS OF THE HEADQUARTER

S.No.	NAME	DESIG.	Email Address
1.	Shri Mahendra Kumar Parakh	CI	indraj@rajasthan.gov.in
2.	Shri R.K. Aameria	AD	indrajfo2@rajasthan.gov.in
3.	Shri Y.N. Mathur	AD	indrajfo3@rajasthan.gov.in
4.	Shri S.S.Shah	AD	indrajfo10@rajasthan.gov.in
5.	Smt. Preeti Sharma	FA	indrajfo4@rajasthan.gov.in
6.	Shri Vipul Jani	JD	vippuljani.ind@rajasthan.gov.in
7.	Shri Yogendra Gurnani	JD	indrajfo6@rajasthan.gov.in
8.	Shri Rajendra Kr. Setia	JD	indrajfo7@rajasthan.gov.in
9.	Shri C.B. Naval	JD	indrajfo11@rajasthan.gov.in
10.	Shri P.R.Sharma	JD	indrajfo16@rajasthan.gov.in
11.	Shri P.N.Sharma	JD	indrajfo14@rajasthan.gov.in
12.	Shri Sanjay Mangain	JD	indrajfo1@rajasthan.gov.in
13.	Shri Rajeev Garg	JD	rajeevgarg.ind@rajasthan.gov.in
14.	Shri Chiranji Lal	JD	indrajfo13@rajasthan.gov.in
15.	Shri Dharmendra Poonia	DD	indrajfo12@rajasthan.gov.in
16.	Smt. Nidhi Sharma	DD	indrajfo9@rajasthan.gov.in
17.	Smt. Richa Sharma	DD	indrajfo5@rajasthan.gov.in
18.	Shri Balendra Singh	DD	balendra.rajawat@rajasthan.gov.in
19.	Shri Mahendra Kumar	DLR	indrajfo15@rajasthan.gov.in
20.	Shri Mohan Lal Sharma	DD(Statistics)	purseplanind@rajasthan.gov.in
21.	Shri Yasir Arafat	SLO	indrajfo15@rajasthan.gov.in
22.	Shri Tarun Yadav	ACP (DD)	acp.ci.ind@rajasthan.gov.in
23.	Smt. Shalini Sharma	AO	indrajfo4@rajasthan.gov.in
24.	Shri Bharat Sukla	AAO-I	-
25.	Shri Sunil Kumar	AAO-I	-
26.	Shri Yogesh Ramdev	AAO-I	-
27.	Shri Badri Prasad Meena	Stat. offcer	purseplanind@rajasthan.gov.in
28.	Shri Geet Goswami	ADI	-
29.	Smt. Savita Kejriwal	ADI	savitakejriwal.ind@rajasthan.gov.in
30.	Shri Rajendra Kr. Gupta	ADI	rgupta.ind@rajasthan.gov.in
31.	Shri Anil Kumar Jain	ADI	aniljain.ind@rajasthan.gov.in
32.	Smt. Vandana Verma	ADI	vandanavarma.ind@rajasthan.gov.in
33.	Shri Trilok Chand	ADI	-
34.	Shri Rajesh Saxena	DIO	-
35.	Ms. Preeti Sharma	DIO	-

Office of the Commissioner of Industries & Commerce

Udyog Bhawan : Tilak Marg : Jaipur : 302005 **Email: indraj@rajasthan.gov.in**
EPABX No. 2227727-29, 31, 33-34; 2227630 **Fax No. 2227516; 5106748**

GENERAL MANAGERS OF THE DICCs

S. N.	*District*	*Name of General Managers*	*Post*	*STD Code*	*Tel.*		*Mobile*
					(O)	*(R)*	
1.	Ajmer	Shri Ravish kumar Sharma	DD	0145	2970791	2641335	8502802262
2.	Alwar	Shri Meghram Meena	DD	0144	2700268	2700641	94142-50241
3.	Banswara	Shri Khetaram Meghwal	DIO	02962	242798	242758	89498-12508
4.	Baran	Shri Tarachand Jain	ADI	07453	237067	230538	94132-13816
5.	Barmer	Shri Sushil Kumar Chabara	JD	02982	220320	220619	99832-84485
6.	Bharatpur	Shri Babulal Meena	JD	05644	222422	222524	94143-64625
7.	Bhilwara	Shri Rahul Dev Singh	DD	01482	240906	220177	99820-13376
8.	Bhiwadi	Dr. Ranjana Yadav	DD	01493	225393	223949	97729-71693
9.	Bikaner	Smt. Manju Nain	DD	0151	2200325	2201916	94140-83505
10.	Bundi	Shri C.M.Gupta	DD	0747	2456813	2457701	94144-16212
11.	Chittorgarh	Shri Sahiram	DD	01472	256073	244622	99294-32929
12.	Churu	Shri Nanuram Gahnolia	ADI	01562	250936	250423	94145-41261
13.	Dausa	Smt. Shilpa Gokharu	DD	01427	224430	224250	94145-91294
14.	Dholpur	Shri Krishana Avtar Sharma	ADI	05642	220866	220766	81144-26869
15.	Dungarpur	Shri Hitesh Kumar Joshi	DD	02964	232375	230375	94134-54808
16.	Hanumangarh	Smt. Akashdeep Siddhu	ADI	01552	260114	261906	94616-77969
17.	Jaipur (Urban)	Smt. Silpi Ramdev Purohit	JD	0141	2227943	2784843	98295-96665
18.	Jaipur (Rural)	Shri Subhash Chandra Sharma	JD	0141	2227289	2712336	99281-57032
19.	Jaisalmer	Shri Harish Kumar Vyas	ADI	02992	252273	252559	94137-84535
20.	Jalore	Shri Sangramram Devasi	DIO	02973	222381	232503	94135-21219
21.	Jhalawar	Shri Harimohan Sharma	ADI	07432	231196	-	94141-75551
22.	Jhunjhunu	Shri Yogesh Kumar Sharma	ADI	01592	250013	230761	94147-77059
23.	Jodhpur	Shri Shankar Lal Paliwal	JD	0291	2431937	2636256	81070-99201
24.	Karauli	Shri Kamlesh Kumar Meena	DD	07464	215405	215396	98879-28290
25.	Kota	Shri Sitaram	JD	0744	2363129	2423270	94140-43901
26.	Nagaur	Shri Bajranj Sangwa	DIO	01582	240871	240860	9399311085
27.	Pali	Shri S.R. Ali	DD	02932	230213	222562	98293-00511
28.	Phalodi	Smt. Anjula Asdeo	ADI	02925	222065	222064	95889-56772
29.	Pratapgarh	Shri Bhikaram Jatia	DIO	01478	220074	220075	94146-12840
30.	Rajsamand	Shri Rajesh Kumar Tyagi	ADI	02952	221382	221380	94135-54700
31.	Sawai Madhopur	Shri Sugreev Meena	DD	07462	220481	221963	9414693068
32.	Sikar	Shri Dharmendra Kumar Sharma	DD	01572	245434	250879	97835-03777
33.	Sirohi	Shri Bhanu Pratap Singh	DIO	02972	222375	232508	97849-88457
34.	Sri Ganganagar	Shri Harish Mittal	DD	0154	2440164	2476165	94623-32132
35.	Tonk	Shri Shailendra Sharma	DD	01432	247328	247353	84323-77746
36.	Udaipur	Smt. Manju Mali	DD	0294	2490941	2460381	90018-35901
	Sub-Centres						
1.	Abu Road	Vacant		02974	226086	…	
2.	Balotra	Vacant		02988	222006	…	
3.	Beawar	Vacant		01462	250121	…	
4.	Falna	Vacant		02938	233406	…	
5.	Kishangarh	Vacant		01463	250685	…	
6.	Makrana	Vacant		01588	241410	…	
7.	Neemrana	Vacant		01494		…	
8.	Sujangarh	Vacant		01568	220134		

परिशिष्ट–11

DISTRICT INDUSTRIES AND COMMERCE CENTRE (DICCs)

S. N.	*District*	*Address*	*Email*
1.	**Ajmer**	General Manager District Industries and Commerce Centre Near RPSC Building, Jaipur Road Ajmer-305001	dicajmer@rajasthan.gov.in
2.	**Alwar**	General Manager District Industries and Commerce Centre Moti Dungri Road Near Bhawani Tope Circle Alwar-301001	dicalwar@rajasthan.gov.in
3.	**Banswara**	General Manager District Industries and Commerce Centre Opp. Nehru Yuva Kendra, Ambedkar Circle, Dialab Road Banswara-327001	dicbanswara@rajasthan.gov.in
4.	**Baran**	General Manager District Industries and Commerce Centre Collectrate Parisar, Kota Road Baran-325205	dicbaran@rajasthan.gov.in
5.	**Barmer**	General Manager District Industries and Commerce Centre Krishi Mandi Road Near Punjab National Bank, Industrial Area Barmer-344001	dicbarmer@rajasthan.gov.in
6.	**Bharatpur**	General Manager District Industries and Commerce Centre Kendriya Vidhyalaya Ke Paas, RIICO Road Bharatpur-321001	dicbharatpur@rajasthan.gov.in
7.	**Bhilwara**	General Manager District Industries and Commerce Centre Near Pansal Choraha, Pur Road Bhilwara-311001	dicbhilwara@rajasthan.gov.in
8.	**Bhiwadi**	General Manager District Industries and Commerce Centre RIICO Chowk Bhiwadi-301019	dicbhiwadi@rajasthan.gov.in
9.	**Bikaner**	General Manager District Industries and Commerce Centre Chopra Katla, Rani Bazar Bikaner-334001	dicbikaner@rajasthan.gov.in
10.	**Bundi**	General Manager District Industries and Commerce Centre P-9, Nainva Road Bundi-323001	dicbundi@rajasthan.gov.in
11.	**Chittorgarh**	General Manager District Industries and Commerce Centre Industrial Area, Chanderia Chittorgarh	dicchittorgarh@rajasthan.gov.in

S. N.	*District*	*Address*	*Email*
12.	**Churu**	General Manager District Industries and Commerce Centre Near Churu Collectorate Churu-331001	dicchuru@rajasthan.gov.in
13.	**Dausa**	General Manager District Industries and Commerce Centre Collectorate Crossing, Bypass Dausa-303303	dicdausa@rajasthan.gov.in
14.	**Dholpur**	General Manager District Industries and Commerce Centre Opp. S.P. Office New Collectorate Dholpur-328001	dicdholpur@rajasthan.gov.in
15.	**Dungarpur**	General Manager District Industries and Commerce Centre RIICO Industrial Area Dungarpur-314001	dicdungarpur@rajasthan.gov.in
16.	**Hanumangarh**	General Manager District Industries and Commerce Centre Near Old Collectorate, Hanumangarh Junction-335512	dichanumangarh@rajasthan.gov.in
17.	**Jaipur (Urban)**	General Manager District Industries and Commerce Centre, Jaipur (Urban) Dhastkar Bhawan, 22 Godam, Jaipur-302006	dicjprurban@rajasthan.gov.in
18.	**Jaipur (Rural)**	General Manager District Industries and Commerce Centre, Jaipur (Rural) Dhastkar Bhawan, 22 Godam, Jaipur-302006	dicjprrural@rajasthan.gov.in
19.	**Jaisalmer**	General Manager District Industries and Commerce Centre Near Hotel Dhola Maru, Jethwai Road Jaisalmer-345001	dicjaisalmer@rajasthan.gov.in
20.	**Jalore**	General Manager District Industries and Commerce Centre Industrial Area Ist Phase, Bagora Road Jalore-343001	dicjalore@rajasthan.gov.in
21.	**Jhalawar**	General Manager District Industries and Commerce Centre Kota Road Jhalawar-326001	dicjhalawar@rajasthan.gov.in
22.	**Jhunjhunu**	General Manager District Industries and Commerce Centre RIICO Industrial Area Jhunjhunu-333001	dicjhunjhunu@rajasthan.gov.in
23.	**Jodhpur**	General Manager District Industries and Commerce Centre Udhyog Bhawan, New Power House Road Industrial Estate Jodhpur-342003	dicjodhpur@rajasthan.gov.in

S. N.	*District*	*Address*	*Email*
24.	**Karauli**	General Manager District Industries and Commerce Centre RIICO IndustrialArea, Gadka Ki Chowki Karauli	dickarauli@rajasthan.gov.in
25.	**Kota**	General Manager District Industries and Commerce Centre D.C.M. Road, Industrial Estate,Kota-324007	dickota@rajasthan.gov.in
26.	**Nagaur**	General Manager District Industries and Commerce Centre Industrial Area, Basni Road Nagaur-341001	dicnagaur@rajasthan.gov.in
27.	**Pali**	General Manager District Industries and Commerce Centre Industrial Area, Mandia Road Pali-306401	dicpali@rajasthan.gov.in
28.	**Phalodi**	General Manager District Industries and Commerce Centre Plot No.A/62, RIICO Residential Colony Phalodi (Distt. Jodhpur)	dicphalodi@rajasthan.gov.in
29.	**Pratapgarh**	General Manager District Industries and Commerce Centre Room No. 138, Mini Secretariat (District Collectorate) Dhariawad Road,Pratapgarh-312605	dicpratapgarh@rajasthan.gov.in
30.	**Rajsamand**	General Manager District Industries and Commerce Centre Collectorate Campus, Near Tehsil Office Rajsamand-313326	dicrajsamand@rajasthan.gov.in
31.	**Sawai Madhopur**	General Manager District Industries and Commerce Centre Collectorate Road, M.P. Colony Sawai Madhopur-322001	dicsawaimadhopur@rajasthan.gov.in
32.	**Sikar**	General Manager District Industries and Commerce Centre RIICO Industrial Area, Jaipur Road Sikar-332001	dicsikar@rajasthan.gov.in
33.	**Sirohi**	General Manager District Industries and Commerce Centre National Highway No.14, Near Sanjeevni Hospital Sirohi-307001	dicsirohi@rajasthan.gov.in
34.	**Sri Ganganagar**	General Manager District Industries and Commerce Centre Industrial Estate, Near Police Line, Sri Ganganagar-335001	dicsriganganagar@rajasthan.gov.in
35.	**Tonk**	General Manager District Industries and Commerce Centre Near Sindhi Colony, Jaipur Road Tonk-304001	dictonk@rajasthan.gov.in
36.	**Udaipur**	General Manager District Industries and Commerce Centre Mewar Industrial Area, Madri Udaipur-313003	dicudaipur@rajasthan.gov.in

कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य
एवं
संयुक्त शासन सचिव, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर), राजस्थान, जयपुर

मुद्रक: राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि. जयपुर